



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

कल्पना से संपन्नता
आदर्श से विस्तार

IDEAS ENRICH
IDEALS ENHANCE

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15
ANNUAL REPORT 2014-15

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधक	General Managers	3
3.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Statement of Chairman & Managing Director	4
4.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	8
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	9
	- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	9
	- वर्ष 2014-15 का कार्य निष्पादन	- Performance in 2014-15	9
	- संगठन और समर्थन सेवाएं	- Organisation and Support System	14
	- सामाजिक बैंकिंग,	- Social Banking	18
	- बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	- Important Schemes/Projects of the Bank	19
	- निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	21
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	23
	- सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	24
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	25
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का वक्तव्य	- Directors' Responsibility Statement	26
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors	27
	- आभार	- Acknowledgements	27
6.	कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	28
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	52
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	53
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Account Policies	63
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	70
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Statement of Cash Flow	127
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	129
13.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statement	131

बारहवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस संलग्न NOTICE FOR 12TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

संवैधानिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

मेसर्स जी. बसु एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
कोलकाता 700 072
M/s G. Basu & Co.
Chartered Accountants
Ko kata 700 072

मेसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
भुवनेश्वर 751 001
M/s Singh Ray Mishra & Co.
Chartered Accountants
Bhubaneshwar 751 001.

मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
जयपुर 302 001
M/s Parakh & Co.
Chartered Accountants
Jaipur – 302 001

मेसर्स ए आर सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पुणे 411005
M/s A.R. Sulakhe & Co.
Chartered Accountants
Pune 411 005.



श्री एस. मुह्नोट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri S. Muhnot
Chairman and Managing Director

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वर्ष के दौरान वैश्विक वृद्धि मामूली और वर्ष 2015 में लगभग 3.5% के अनुमानों के साथ असमान रही। अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले, किंतु ग्रीस द्वारा भुगतान में चूक के खतरे और चीन और जापान में वृद्धि के मुद्दे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण रहे। परिणामस्वरूप, उभरते हुए बाजारों पर अतिरिक्त दबाव बना। तेल के कम मूल्यों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता की किंतु तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

घरेलू स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सकारात्मक संकेत मिले किंतु औद्योगिक उत्पादन अस्थिर रहा तथा कृषि की वृद्धि में कमी आई। चालू खाता घाटा तेल के मूल्यों में आई कमी के कारण संतोषजनक स्तर पर रहा किंतु निर्यातों में कमी आई। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रहा तथा नीतिगत ब्याज दरों को कम किया गया ताकि निवेश और वृद्धि को बढ़ावा मिले किंतु ऋण वृद्धि 9.52% पर मंद रही और जमाशायियों में 11.42% की वृद्धि हुई जो पिछले 51 वर्षों में सबसे कम है।

इस पृष्ठभूमि में आपके बैंक ने लाभप्रदता को बढ़ाने की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित रखा। वर्ष 2014-15 के दौरान प्रमुख मापदंडों पर आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :

STATEMENT OF CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me a lot of pleasure to place before you the Annual Report and Financial Statements of your Bank for the year ended 31st March 2015.

Global growth during the year remained moderate and uneven with a projection around 3.5% in 2015. There were positive signs of recovery in US and somewhat in Europe; however threat of payment default by Greece and growth issues in China and Japan remained major international concerns, resulting in further pressure on emerging markets. Low oil price helped in reigning inflation, but also adversely affected the economy of the oil producing countries.

On the domestic front, there were positive signs in GDP growth, but industrial production remained inconsistent and agricultural growth declined. The Current Account Deficit (CAD) was comfortable due to lower oil prices, but the exports declined. Inflation remained in check and policy interest rate had been revised downward to promote investment and growth. However, credit growth remained subdued at 9.52% and deposit growth touched 11.42% lowest in last 51 years.

In this back-drop, your Bank has tried to focus on the bottom line. The performance highlights of your Bank on major parameters in the year 2014-15 are as under:

1. बैंक का कुल कारोबार 31.03.2014 को ₹ 207171.76 करोड़ का था जो 31.03.2015 को बढ़कर ₹ 223329.21 करोड़ का हो गया. इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.80% की वृद्धि दर्ज की गई.
2. बैंक की कुल जमा राशियां 31.03.2014 को ₹ 116803.09 करोड़ की थी जो 31.03.2015 को बढ़कर ₹ 122118.95 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.55% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक ने सावधानीपूर्वक उच्च लागत वाली बड़ी जमा राशियों के संग्रहण को हतोत्साहित किया.
3. चालू खाता बचत खाता जमा राशियां 31.03.2014 को ₹ 41921.18 करोड़ की थीं जो 31.03.2015 को बढ़कर ₹ 45296.80 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.05% की वृद्धि दर्ज की गई. दिनांक 31.03.2015 को कुल जमा राशियों में चालू खाता बचत खाता जमा राशियों का हिस्सा 37.09% था.
4. दि. 31.3.2015 को समाप्त वर्ष हेतु जमा राशियों की लागत वर्ष में घटकर 7.03% हो गई जबकि 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में यह 7.13% थी.
5. सकल अग्रिम 31.03.2014 को ₹ 90368.67 करोड़ थे जो 31.03.2015 को बढ़कर ₹ 101210.26 करोड़ हो गए. इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.00% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंक ने ₹ 1,00,000 करोड़ के ऋण का स्तर पार किया.
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम 31.03.2014 को ₹ 34,826 करोड़ थे जो 31.03.2015 को बढ़कर ₹ 39,094 करोड़ के हो गए. इस प्रकार 12.26% की वृद्धि दर्ज की गई. आवश्यक 40% की तुलना में यह अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण का 41.76% हिस्सा थे.
7. समूचे बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्तियों को नियंत्रण में रखना एक चुनौती था और आपका बैंक भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है. दिनांक 31.03.2014 के सकल और निवल अनर्जक अग्रिम क्रमशः 2859.85 करोड़ (3.16%) और 1807.32 करोड़ (2.03%) की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को सकल और निवल अनर्जक अग्रिम क्रमशः 6402.06 करोड़ (6.33%) और 4126.57 करोड़ (4.19%) के रहे.
8. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निवल ब्याज आय दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 3508.93 करोड़ की तुलना में ₹ 3875.03 करोड़ की थी. इस प्रकार 10.43% की वृद्धि दर्ज की गई.
9. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निवल ब्याज मार्जिन दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए 2.71% की तुलना में सुधरकर 2.82% हो गई.
10. अब्याजी आय 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में ₹ 894.19 करोड़ थी जो 31.03.2015 को समाप्त वर्ष में बढ़कर ₹ 1005.98 करोड़ की हो गई. इस प्रकार 12.50% की वृद्धि दर्ज हुई.
11. 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान परिचालनगत लाभ 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए ₹ 2006.37 करोड़ से बढ़कर ₹ 2355.09 करोड़ का हो गया. इस प्रकार 17.38% की वृद्धि दर्ज हुई.
12. 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान निवल लाभ 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए ₹ 385.98 करोड़ से बढ़कर ₹ 450.69 करोड़ का हो गया. इस प्रकार 16.77% की वृद्धि दर्ज हुई.
1. Total Business has increased from ₹ 207171.76 crore as on 31.03.2014 to ₹ 223329.21 crore as on 31.03.2015, registering a growth of 7.80% on Y-o-Y basis.
2. Total Deposits have increased from ₹ 116803.09 crore as on 31.03.2014 to ₹ 122118.95 crore as on 31.03.2015, registering a Y-o-Y growth of 4.55%. The Bank had consciously discouraged high cost bulk deposits.
3. CASA has increased from ₹ 41921.18 crore as on 31.03.2014 to ₹ 45296.80 crore as on 31.03.2015, registering a Y-o-Y growth 8.05% Share of CASA to total deposits was 37.09% as on 31.03.2015.
4. Cost of Deposits has declined to 7.03% for the year ended 31.03.2015 against the 7.13% for year ended 31.03.2014
5. Gross Advances have increased from ₹ 90368.67 crore as on 31.03.2014 to ₹ 101210.26 crore as on 31.03.2015, registering a growth of 12.00% on Y-o-Y basis. The bank credit crossed the milestone of ₹ 1,00,000 core.
6. Priority Sector advances increased from ₹ 34,826 crore as on 31.03.2014 to ₹ 39094 crore showing growth of 12.26%, which came to 41.76% of ANBC as against the required level of 40%.
7. Containing NPAs was challenge for the entire banking sector and the Bank was not an exception. Gross and Net NPAs were ₹ 6402.06 crore (6.33%) and ₹ 4126.57 crore (4.19%) as on 31.03.2015, as against ₹ 2859.85 crore (3.16%) and ₹ 1807.32 crore (2.03%) as on 31.03.2014.
8. Net Interest Income was ₹ 3875.03 crore for year ended 31.03.2015 as against ₹ 3508.93 crore for year ended 31.03.2014 registering a rise of 10.43%
9. Net Interest Margin (NIM) improved to 2.82% for year ended 31.03.2015, as against 2.71% for year ended 31.03.2014.
10. Non-Interest Income has increased from 894.19 crore for the year ended 31.03.2014 to 1005.98 crore for 31.03.2015, showing a rise of 12.50%.
11. Operating Profit during the year ended 31.03.2015 increased to ₹ 2355.09 crore as against ₹ 2006.37 crore during the year ended 31.03.2014 showing an increase of ₹ 17.38%
12. Net Profit during the year ended 31.03.2015 stood at ₹ 450.69 crore as against ₹ 385.98 crore during the year ended 31.03.2014 showing an increase of 16.77%.

13. दिनांक 31.03.2014 को 10.79% की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-3) 11.94% था और दिनांक 31.03.2014 को 12.11% की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-2) 12.79% था
14. आस्तियों पर आय 31.03.2014 को 0.30% थी जो 31.03.2015 को बढ़कर 0.33% हो गई.
15. लागत से आय का अनुपात 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में 54.43% था जो 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए सुधरकर 51.75% हो गया.
16. प्रति कर्मचारी कारोबार 31.03.2014 को ₹ 14.39 करोड़ का था जो 31.03.2015 को बढ़कर ₹ 15.74 करोड़ का हो गया. इसी प्रकार, प्रति शाखा कारोबार भी क्रमशः ₹ 111.74 करोड़ की तुलना में ₹ 118.79 करोड़ का रहा.

13. Capital Adequacy Ratio (Basel – III) was 11.94% as on 31.03.2015 as compared to 10.79% as on 31.03.2014. The same under Basel II stood at 12.79 % as on 31.03.2015 as against 12.11% as on 31.03.2014.
14. Return on Assets for the year ended 31.03.2015 improved to 0.33% as against 0.30% as on 31.03.2014..
15. Cost to Income Ratio improved to 51.75% for the year ended 31.03.2015, as against 54.43% for the year ended 31.03.2014.
16. Business per Employee improved to ₹ 15.74 crore as on 31.03.2015 as against ₹ 14.39 crore as on 31.03.2014. Corresponding figures for Business per Branch are ₹ 118.79 crore & ₹ 111.74 crore respectively.

वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित नई कारोबारी पहलें कीं :

During the year, your Bank had taken new business initiatives as under:

1. बेहतर मूल्यांकन के साथ एसएमई और रिटेल ऋण उत्पाद की त्वरित सुपुर्दगी के लिए सभी अंचलों में ऋण प्रोसेसिंग कक्षों का शुभारंभ किया गया.
2. शाखाओं का भार कम करने और नए ग्राहकों का सुगमता से अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीकृत देयता प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित किए गए.
3. समर्पित संबंध प्रबंधक की तैनाती के साथ उच्च मालियत वाले व्यक्तियों के लिए पर्पल प्रिविलेजेस नामक खाते का शुभारंभ किया गया ताकि बैंक में अधिक संख्या में उच्च मालियत वाले व्यक्तियों के खाते खोले जा सकें.
4. ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के ग्राहकों सहित हमारे सभी ग्राहकों को मोबाईल बैंकिंग सेवा देने के लिए महा मोबाईल नामक मोबाईल बैंकिंग एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया.
5. अगली पीढ़ी का डिजिटल बैंकिंग समाधान – महा सेक्युर जो आरईएल आईडी तकनीक से सुरक्षित हो का शुभारंभ किया गया. यह एक हाई एंड उत्पाद है जो इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है.
6. बैंक ने 'महा ई-एसबीटीआर' (ई-सिक्योर बैंक और खजाना रसीद) सुविधा का शुभारंभ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैप ड्यूटी के भुगतान के लिए किया.
7. समाज के सभी वर्गों को मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'महा सर्वजन बचत खाता जमा योजना' का शुभारंभ किया गया.
8. आवास और कार ऋण संयुक्त रूप से उपलब्ध करने के लिए 'महा काम्बो लोन योजना का शुभारंभ किया गया.
9. समूचे बैंक के कारोबारी परिचालनों को सुगमता से चलाने के लिए बैंक ने कारोबारी प्रक्रिया पुनर्विन्यास पहल- 'उत्कर्ष' को भी इस वर्ष


1. Started Credit Processing Cells in all zones for faster delivery of SME and retail credit products, alongwith better evaluation.
2. Centralised Liability processing cell was started for smooth acquisition of new customers and reduce load on branches.
3. Introduced "Purple Privileges" account for HNI's, with assistance of dedicated Relationship Manager, to bring in more HNI customers in our fold.
4. Launched Mobile Banking App - "MahaMobile" to extend mobile banking services to all our customers, including rural and semi-urban customers.
5. Launched "Maha Secure" –A next Generation Digital Banking Solution, secured by REL-ID Technology, a high end product, to enable secure access to internet banking facilities
6. Launched "MAHA e-SBTR" (e-Secured Bank & Treasury Receipt) facility for payment of Registration Fee and Stamp Duty in the state of Maharashtra.
7. Launched "Maha Sarvajan Savings Bank Deposit Account"- A Basic Savings Bank Account to make basic Banking facilities available to all sections of people.
8. Introduced New " Maha Combo Loan Scheme" for Housing and car loans.
9. A Business Process Re-engineering initiative – "Utkarsha" was taken forward for implementation for putting in place a seamless

आगे बढ़ाया. सभी ग्राहकों के लिए आनंददायी बैंकिंग अनुभव हेतु इस अवधारणा पर पुणे में तीन शाखाएं यथा - मॉडल कॉलोनी, कैम्प और एरंडवणा शाखा में प्रायोगिक तौर पर खोली गईं.

बैंक ने वित्तीय समावेशन में विशेषकर प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उल्लेखनीय योगदान दिया. महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक होने के नाते महाराष्ट्र में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी बैंक ने उठाई.

सड़क, ऊर्जा, रक्षा, रेलवे और एमएसएमई क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई उत्साहवर्धक पहलों को देखते हुए हमें विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर अग्रसर होगी और आपका बैंक इस प्रगति के साथ कदम-दर-कदम आगे बढ़ेगा. आर्थिक वातावरण में सुधार के साथ आस्तियों की गुणवत्ता भी सुधरनी चाहिए. आपका बैंक फुटकर क्षेत्र पर उत्पादक और सुस्थिर कारोबार हासिल करने के लिए ध्यान देना जारी रखेगा.

मैं आपके सतत समर्थन और सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि बैंक को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए भविष्य में भी आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा.



एस मुहनोट
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

business process across the Bank's operations. Three pilot branches based on this concept were opened at Model Colony, Camp and Erandawane in Pune for delightful banking experience for all customers.

The Bank has contributed significantly in Financial Inclusion especially through achievement over the targets under PMJDY and also as SLBC convener for Maharashtra took full responsibility for implementation in Maharashtra.

Looking forward, we believe, the encouraging initiatives taken by the Government especially in road, power, defence, Railways and MSME sectors, the Indian Economy is likely to be on a growth path and your Bank is in all readiness to catch this wave. With the improvements in economic environment, the quality of the assets should also improve. Your Bank will keep focussing on the retail sectors for productive and sustainable business.

I thank you for your continued support and patronage and solicit the same in future to take the Bank to greater heights.



S Muhnot
Chairman and Managing Director

प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)		
	2012-13	2013-14	2014-15
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1249	1427	1063
आरक्षितियां Reserves	5147	5941	7004
कुल जमाराशियां Total Deposits	94337	116803	122119
वृद्धि % Growth %	23.27	23.81	4.55
कुल जमाराशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	40.79	35.89	37.09
अग्रिम Advances	76397	90369	101210
वृद्धि % Growth %	34.08	18.29	12.00
रिटेल अग्रिम Retail Advances	8281	10769	11817
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	24719	34826	39095
कृषि Agriculture	7972	13091	15521
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	11289	15098	16795
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	1871	2265	3264
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1161	1512	1643
निर्यात ऋण Export Credit	1886	1949	1301
कुल आय Total Income	10525	12851	13671
कुल व्यय Total Expenditure	8377	10845	11316
परिचालन लाभ Operating Profit	2149	2006	2355
निवल लाभ Net Profit	760	386	451
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1728	1854	1880
एटीएम की संख्या Number Of ATMs	692	1827	1849
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल (%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%)	12.59	10.79	11.94
प्रति शेयर आय Earning Per Share	11.88	4.56	4.50
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	67.10	66.69	65.61
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	12.56	14.39	15.74
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	5.59	2.68	3.18
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.74	0.30	0.33
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	45.54	54.43	51.75
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	1.49	3.16	6.33
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	0.52	2.03	4.19
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	83.68	56.15	46.57
ऋण- जमा अनुपात Credit- Deposit ratio	80.98	77.37	82.88
एएनबीसी से प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	43.20	44.06	41.76

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

1.1 वर्ष 2014-15 में बैंकिंग व आर्थिक परिदृश्य

वर्ल्ड इकानामिक आउटलुक से प्राप्त अप्रैल 2015 की नवीनतम जानकारी के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2015 में 3.5% (पिछले अनुमानों से 0.3% बिंदु कम) की वृद्धि अपेक्षित है जिसमें 2014 से संबंधित विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्च वृद्धि अनुमान और असमान अंतर शामिल होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में 5.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जो नए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डाटा पर आधारित सीएसओ पूर्वानुमान के लगभग 7% से काफी अलग है।

धीमी किन्तु सुनिश्चित प्रगति प्रक्रिया, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कच्चे तेल की कम कीमतों के परिणामस्वरूप वैश्विक उपयोगी वस्तुओं की सुगम कीमतों, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की प्रतिबद्धता, लगभग स्थिर रूप और चालू खाते के घाटे के चलते पूरे विश्व के निवेशकों के लिए भारत निवेश का सर्वाधिक आकर्षक स्थल बन गया।

तथापि, अर्थव्यवस्था दुबारा प्रगति पर आ चुकी है, इस बात की पुष्टि कुछ महत्वपूर्ण सूचकों द्वारा किया जाना शेष है। भारतीय बैंकिंग उद्योग ने वर्ष 2014 के 14.1% की तुलना में पिछले 51 वर्षों में जमाराशियों में अधिकतम मंद गति से 11.4% वृद्धि दर्शाई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋणों ने भी वर्ष की समाप्ति पर ₹65646.80 बिलियन (वर्ष दर वर्ष 9.5% की वृद्धि) की धीमी प्रगति दर्शाई। अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करने हेतु आगे आए, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014-15 में दो बार ब्याज की दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की।

1.2 2015-16 के लिए अनुमान

उभरते हुए बाजारों में बेहतर वृद्धि संभावनाओं ने 2016 में 3.8% की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया है। (विश्व आर्थिक संगठन, अप्रैल 2015)

यह अनुमान लगाते हुए कि आर्थिक संरचना और राजकोषीय रूपरेखा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, मानसून सामान्य रहेगा और कोई महत्वपूर्ण बाह्य या नीतिगत आघात नहीं होंगे, मुद्रास्फीति लगभग 5% पर स्थिर रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार घरेलू मांग प्रगति को 8.1 से 8.5% तक ले जाएगी।

2. कारोबारी कार्यनिष्पादन 2014-15

2.1 व्यवसाय

आपके बैंक का व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹207172 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को ₹ 223329 करोड़ रहा। (7.80% की वृद्धि)

2.2 जमाराशियां

पिछले वर्ष के ₹116803 करोड़ की तुलना में कुल जमाराशियां ₹122119 करोड़ रहीं। (4.55% की वृद्धि)। पिछले वर्ष के ₹ 41921 करोड़ की तुलना में कासा जमाराशियां ₹ 45297 करोड़ रहीं (8.05% की वृद्धि)। कम लागत जमाराशियों में वृद्धि दर्शाते हुए कुल कासा प्रतिशत पिछले वर्ष के 35.89% की तुलना में 37.09% रहा।

2.3 ऋण अभिनियोजन

बैंक के ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2014 के ₹ 90369 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹101210 करोड़ (12.00% की वृद्धि) हो गए।

वर्ष के दौरान सभी 34 अंचलों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्षों की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल थी। केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग से अपेक्षित है कि इससे ऋण सुपुर्दगी तंत्र में अनपेक्षित विलंब को कम किया जा सकेगा और मूल्यांकन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2015.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.1 Economic and Banking Scenario 2014-15:

Global economy is expected to grow at 3.5 per cent in 2015 (weaker by 0.3 percentage point from earlier projections) as per the World Economic Outlook (WEO) April 2015 update, with unequal spread and higher growth projections for the advanced economies relative to 2014.

RBI's projection of growth of 5.5% for domestic economy for 2014-15, is widely divergent from the CSO forecast of around 7% based on new GDP data.

Slowly reaffirming growth pattern, reigned in inflation, benign global commodity prices riding on low crude oil prices, commitment to keep fiscal deficit in check, more or less stabilised rupee and current account deficit; have presented India as one amongst the most attractive Investment destinations to the investors across the globe.

However economy is back on growing track is yet to be confirmed by some very important indicators. Indian banking industry recorded the slowest growth of 11.4% in deposits in last 51 years, in comparison to 14.1% in 2014. Bank Credit of Scheduled Commercial Bank's also posted slow growth with year end figure of ₹65646.80 billion (Y-O-Y rise is 9.5%). Reserve Bank of India came out with rate cut twice in the year 2014-15 with 50 basis point in order to encourage Banks to lend more to boost investment in the economy.

1.2 Outlook for 2015-16

Better growth prospects in the emerging markets are projected to drive the global growth to 3.8 percent in 2016. (WEO, April 2015)

Assuming no major changes in the economic structure and fiscal road map, normal monsoon and no major external or policy shocks, the inflation will be contained at around 5%. Domestic demand will guide the growth to 8.1 to 8.5% as per the Economic Survey.

2. PERFORMANCE OF BUSINESS: 2014-15

2.1 Business

Total Business of your Bank stood at ₹223329 crore as on 31.03.2015 as compared to ₹207172 crore last year (growth of 7.80%).

2.2 Deposits

Total deposit stood at ₹122119 crore as compared to ₹116803 last year (growth of 4.55%). CASA deposit stood at ₹45297 crore against last year figure of ₹41921 crore (growth of 8.05%). Total CASA percentage stood at 37.09 as against last year CASA % of 35.89, denoting low cost deposit growth.

2.3 Credit Deployment

Gross advances of the Bank increased from ₹90369 crore as on 31.3.2014 to ₹101210 crore as on 31.3.2015 (growth of 12.00%) as a result of Bank's customer centric approach.

Establishing Central Processing Cells at all the 34 zones was a major initiative during the year. The centralized processing is expected to improve quality of appraisal and reduce undue delays in credit delivery mechanism.

संविभाग समिष्ट की अदला-बदली द्वारा संविभाग से आय में वृद्धि के प्रयास जारी हैं.

2.3.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों का वित्तपोषण करते समय बैंक ने विकेंद्रित ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तार सुनिश्चित हो सके. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माण, प्राथमिकता क्षेत्र साथ ही आधारभूत परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखे जो आर्थिक वृद्धि में सहायक हुए. राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा.

दिनांक 31.03.2015 को प्रमुख सेक्टरों में ऋण अभिनियोजन निम्नानुसार रहा-

क्र. स.	विनियोजित ऋण	31.03.2015 को बकाया रु करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2014 को बकाया रु करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	38632.36	38.17	33777.09	37.38
	इसमें से				
i	अवसरचलात्मक	13656.17	13.49	13004.99	14.39
ii	रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1461.41	1.44	1578.92	1.75
iii	पेट्रोलियम	3569.25	3.53	2270.61	2.51
iv	लोहा व स्टील	2979.69	2.94	2689.22	2.98
v	इंजीनियरिंग	3164.07	3.13	2945.14	3.26
vi	निर्माण	428.95	0.42	387.52	0.43
vii	अन्य उद्योग	13372.82	13.21	10900.69	12.06
2	कृषि	12079.59	11.94	10276.07	11.37
3	एमएसएमई	20653.03	20.41	19076.37	21.11
4	आवास	9868.33	9.75	8854.16	9.80
5	शिक्षा	702.79	0.69	637.29	0.71
6	निर्यात	1301.40	0.00	1863.15	2.06
7	वाणिज्यिक भू संपदा	5750.35	5.68	4793.96	5.30
8	एनबीएफसी व व्यापार	18386.76	18.17	15111.28	16.72

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

लगभग वास्तविक समय आधार पर दबावग्रस्त खातों की कड़ी निगरानी हेतु दैनिक आधार पर सीबीएस प्रणाली से शीघ्र चेतावनी संकेत संकलित किए जाते हैं. पूर्व सावधानी के लिए ग्राहकों को प्रणाली निर्मित एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं. बैंक में समन्वित वेब आधारित रिपोर्टिंग आरंभ की गई है, जिससे ऋण संविभाग की प्रभावी निगरानी हेतु शाखाओं/अंचलों/प्रधान कार्यालय के बीच त्वरित संप्रेषण संभव हुआ है.

उधार खातों की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी आवधिक रूप से आस्ति कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण, ऋण एवं स्टॉक लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है. पात्र मामलों में पुनर्भुगतान शर्तों का समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता है.

2.4 आस्ति निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अनर्जक आस्तियों में नकद वसूली ₹ 620.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 706.41 करोड़) रही. इसमें से लेजर शेष में वसूली ₹ 430.84 करोड़ (₹ 646.46 करोड़) रही जिसमें आस्ति विक्रय से ₹ 32.99 करोड़ (₹ 242.16 करोड़) की वसूली, बड़ेखाते में डाले गए खातों में ₹ 113.69 करोड़ (₹ 303.32 करोड़) की और न लगाए गए ब्याज के मामलों में ₹ 75.88 करोड़ (₹ 38.22 करोड़) की वसूली हुई है. यह ₹ 395.23 करोड़ (₹ 101.39 करोड़) की अनर्जक आस्तियों का कोटि-उन्नयन करने के अलावा है.

चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ पत्रों, नोटिसों, वसूली कैम्पों, लोकअदालतों, सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई और डीआरटी के माध्यम

Efforts are continued to improve portfolio yield by reshuffling the portfolio mix.

2.3.1 Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavored to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

Credit deployment as on 31.03.2015 in major sectors is as under:

Sr. No.	Credit Deployed	Outstanding as on 31.03.2015 ₹ In Cr.	Percentage to total credit outstanding	Outstanding as on 31.03.2014 ₹ In Cr.	Percentage to total credit outstanding
1	Industry	38632.36	38.17	33777.09	37.38
	Of which				
i.	Infrastructure	13656.17	13.49	13004.99	14.39
ii.	Chemicals, Dyes, Paints etc	1461.41	1.44	1578.92	1.75
iii.	Petroleum	3569.25	3.53	2270.61	2.51
iv.	Iron & Steel	2979.69	2.94	2689.22	2.98
v.	Engineering	3164.07	3.13	2945.14	3.26
vi.	Construction	428.95	0.42	387.52	0.43
vii.	Other Industries	13372.82	13.21	10900.69	12.06
2	Agriculture	12079.59	11.94	10276.07	11.37
3	MSME	20653.03	20.41	19076.37	21.11
4	Housing	9868.33	9.75	8854.16	9.80
5	Education	702.79	0.69	637.29	0.71
6	Exports	1301.40	0.00	1863.15	2.06
7	Commercial Real estate	5750.35	5.68	4793.96	5.30
8	NBFC & Trading	18386.76	18.17	15111.28	16.72

2.3.2 Credit Administration and Monitoring

Early warning signals are captured from the CBS system on daily basis for close monitoring of stressed accounts on near real time basis. System generated SMS alerts are sent to the customers to pre-empt delinquency. An integrated web-based reporting has been introduced in the Bank to enable instant communication between branches / Zones /Head Office for effective monitoring of credit portfolio.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review, credit audits and stock audits. Timely rescheduling of repayment terms is undertaken in deserving cases.

2.4 Asset Performance

During the Financial Year (FY) 2014-15, total cash recovery in NPAs was ₹620.41 crore (last year ₹706.41 crore). Of this, recovery in Ledger balance was ₹430.84 crore (₹ 646.46 crore) including, recovery in sale of assets of ₹ 32.99 crore (₹ 242.16), recovery in written off accounts was ₹113.69 crore (₹ 303.32 crore) and recovery in cases of unapplied interest was ₹75.88 crore (₹38.22 crore). This was besides up gradation of NPAs to the tune of ₹395.23 crore (₹101.39 crore).

This year's achievement was possible due to intensive follow up with the defaulting borrowers through letters, notices,

से गहन अनुवर्तन के कारण इस वर्ष की उपलब्धि संभव हो पाई। बैंक ने अनर्जक आस्तियों की वसूली में वृद्धि हेतु अंचल कार्यालयों में आस्ति वसूली कक्षाओं की भी स्थापना की है।

नए कोटिअवनयन (स्लिपेज) में वृद्धि होने के कारण बैंक का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 31.03.2014 के 3.16% के समक्ष 6.33% हो गया। इसी प्रकार निवल अनर्जक आस्ति अनुपात विगत वर्ष के 2.03% की तुलना में 31.03.2015 को 4.19% रहा, क्योंकि किए गए प्रावधान कोटिअवनयन (स्लिपेज) की तुलना में नाकाफी रहे।

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने ₹ 27,925 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 28,370 करोड़) का व्यापारी टर्नओवर और ₹ 546969 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 471327 करोड़) का अन्तर बैंक टर्नओवर हासिल किया और ₹ 75.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 73.48 करोड़) का लाभ अर्जित किया।

बकाया निर्यात ऋण 31.03.2014 के ₹ 1948.97 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को ₹ 1301.40 करोड़ रहे।

मुंबई स्थित खजाना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा (ए-श्रेणी शाखा) और समूचे देश में फैली 33 बी-श्रेणीय शाखाएँ बैंक के ग्राहकों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अनिवासी भारतीय ग्राहकों (एनआरआई) को त्वरित सेवा देने के उद्देश्य से बैंक की डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे में एक एनआरआई कक्ष उपलब्ध है और अपने एनआरआई ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में शाखाओं को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने इन्स्टैंट एनआरआई जानकारी प्रदान की है जो मासिक आधार पर अद्यतित की गई।

एनआरआई कक्ष

एनआरआई व्यवसाय में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने और शाखाओं को सहयोग प्रदान करने की दृष्टिकोण से सितंबर 2014 में आयोजना विभाग के अंतर्गत एक अलग एनआरआई कक्ष स्थापित किया गया है। अनिवासी जमारारिशियां 31.03.2014 के ₹ 943.81 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹ 1153.29 करोड़ हो गई (22.20% की वृद्धि)

2.6 निवेश

बैंक के निवल निवेश 31.03.2014 के ₹ 37249.58 करोड़ की तुलना में 31.03.2015 को ₹ 36714.79 करोड़ के रहे। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश और विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध निवेश 31.03.2015 को कुल निवल निवेश संविभाग का क्रमशः 85.78 प्रतिशत और 12.79 प्रतिशत हिस्सा थे। निवेश गतिविधियों से निवल ब्याज आय 31.03.2014 के ₹ 2543.03 करोड़ से बढ़कर ₹ 2751.48 करोड़ की हो गई (8.20 प्रतिशत की वृद्धि)।

2.7 उधारियां

आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी से लिए गए ₹ 3225.69 करोड़ के पुनर्वित्त सहित बैंक की कुल उधारी 31.03.2015 को ₹ 11126.72 करोड़ की रही। दि. 31-03-2014 को कुल उधारियां ₹ 8326.47 करोड़ थीं।

2.8 व्यापारी बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतान कर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹ 25175 करोड़ के कर्माश्रित पेपर के 90 निर्गमों का संचलन किया।

नई पहल

महाराष्ट्र राज्य में सभी शाखाओं के माध्यम से जीआरएएस (सरकारी आगम लेखांकन प्रणाली- करों का ई-भुगतान) के अलावा बैंक ने अपनी चयनित शाखाओं के माध्यम से ई-एसबीटीआर (इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित बैंक व खजाना रसीद) का आरंभ किया।

2.9 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है।

बैंक ने मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) का भी शुभारंभ किया।

recovery camps, Lok Adalats, actions under SARFAESI and through DRTs. Bank has also set up Asset Recovery Cells at Zonal offices, to improve recovery in NPAs.

The Gross NPA ratio of the bank is at **6.33%** as against 3.16% as of 31.03.2014 due to rise in fresh slippages. Similarly the ratio of Net NPAs stood at **4.19%** as on 31.03.2015 as against **2.03%** a year ago as provision could not keep up pace with slippages.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2014-15, the Bank has achieved merchant turnover of ₹27925 crore (previous year ₹28370 crore) and on inter bank turnover of ₹546969 crore (previous year ₹471327 crore) and earned profit of ₹75.55 crore (previous year ₹73.48 crore).

The outstanding export credit as on 31st Mar-2015 was ₹1301.40 crores as against ₹1948.97 crore as on 31st Mar-2014.

The Treasury and International Banking Branch at Mumbai (A category branch) and 33 B category branches across the country cater to the international business needs of the customers of the Bank. In order to provide prompt service to Non Resident Indian (NRI) clients, Bank has a NRI Cell at Deccan Gymkhana Branch, Pune. With a view to enable branches to provide better service to NRI clients, Bank has provided instant NRI information which is updated regularly.

NRI Cell

A separate NRI Cell has been formed under Planning Department since Sept 2014 to provide support to branches and to concentrate in increasing NRI business. NR deposits have grown by from ₹ 943.81 crore as on 31.03.2014 to ₹ 1153.29 crore as on 31.03.2015 (growth of 22.20%).

2.6 Investments

The net investments of the Bank stood at ₹ 36714.79 corers as on 31.03.2015 as compared to ₹ 37249.58 crore as on 31.03.2014. Investment under Held to Maturity (HTM) category and those under Available for Sale (AFS) category comprised 85.78% and 12.79% respectively of total net investment portfolio as on 31.03.2015. The net interest income from investment activity increased to ₹ 2751.48crore from ₹2543.03 crore as on 31.03.2014 (growth of 8.20%) .

2.7 Borrowings:

The Borrowing of the Bank as on 31.03.2015 stood at ₹ 11126.72 crore, including refinance availed from the RBI, NABARD, and SIDBI to the extent of ₹ 3225.69 Crore. The total borrowing as at 31.03.2014 was ₹ 8326.47 crore

2.8 Merchant Banking:

The Bank handled 90 issues of Commercial Paper amounting to ₹ 25175 crore for its clients as an issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

New Initiative:

In addition to GRAS (Govt. Receipts Accounting System- e-payment of taxes) through all the Branches in the state of Maharashtra, the Bank has introduced e-SBTR (electronic Secured Bank and Treasury Receipts) through select branches of the Bank.

2.9 Depository Services

Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.

The Bank has also introduced Basic Services Demat Account Facility (BSDA).

2.10 बैंकएश्योरेन्स

कारपोरेट एजेंसी समझौते के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाएं यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के क्रमशः गैर जीवन बीमा व जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हैं। बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान 99554 गैर-जीवन बीमा और 22657 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक की 160 शाखाओं को “बीमा बैंक” घोषित किया इसके अलावा 12 अंचलों को “बीमा अंचल” घोषित किया गया।

बैंक जमा खाता धारकों के लिए ₹ 1 लाख के जीवन बीमा कवर वाली एलआईसी की समूह बीमा योजना “महा सुरक्षा जमा योजना” (नई एक साल की पुनर्नवीकृत समूह बीमा योजना) प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड की पारिवारिक फ्लोटर समूह मेडिकलेम पॉलिसी “महास्वास्थ्य योजना” उपलब्ध कराता है।

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान जीवन बीमा से ₹ 7.02 करोड़ और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 4.13 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

2.11 म्युचुअल फंड गतिविधि

बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पादों के विक्रय के लिए 25 एएमसी (आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ) के साथ गठबंधन किया है।

2.12 सरकारी कारोबार

शाखाओं द्वारा वर्ष 2014-2015 के दौरान, कुल 630005 प्रत्यक्ष कर चालान और 173388 अप्रत्यक्ष कर के चालान वसूले गए। हमारी शाखाएं महाराष्ट्र राज्य के जीआरएएस सहित अन्य राज्य सरकारों के करों का भी संग्रहण करती हैं और वर्ष के दौरान कुल 1085368 चालान संग्रहित किए गए। केंद्र सरकार से कर वसूली व्यवसाय से ₹ 2.91 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ और राज्य कर संग्रहण व्यवसाय से ₹ 0.74 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।

बैंक ने केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 1,14,320 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2014-15 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹ 13.65 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा महाराष्ट्र में वैट संग्रहण की अनूठी सुविधाएं महा ई-सेवा के माध्यम से सभी शाखाओं के काउंटरों पर प्रदान की गई है। नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए करों के ई-भुगतान की सुविधा, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष करों/वैट भुगतान (महाराष्ट्र सरकार के लिए) हेतु भी उपलब्ध है।

कर भुगतान सुविधा, सीमा-शुल्क के ई-भुगतान के लिए आरंभ की गई है और सरकारी राजस्व लेखांकन प्रणाली (जीआरएएस) में समन्वय के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सरकार के करों का संग्रहण ऑनलाईन तथा काउंटर पर भी किया जा रहा है। बैंक ने राज्य सरकार के वाणिज्यिक करों के संग्रहण हेतु कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों को भी समाविष्ट किया है। बैंक उत्तर प्रदेश में सभी शाखाओं में वैट संग्रहण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

2.13 गैर-ब्याजी आय

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में अब्याजी आय ₹ 894.19 करोड़ थी जो दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष में ₹ 1005.98 करोड़ की हो गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में अब्याजी आय (निवेशों की बिक्री में हुए लाभ को छोड़कर) ₹ 8.95 करोड़ से बढ़ी।

2.14 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय दिनांक वित्तीय वर्ष 2013-14 के ₹ 12850.85 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 13671.42 करोड़ की हो गई। (6.39% की वृद्धि)

2.10 Bancassurance

All the branches of the Bank are authorized to sell life and non-life insurance products of Life Insurance Corporation of India and United India Insurance Co. Ltd. under corporate agency arrangements, respectively. The Bank has sold 99554 Non-life Insurance Policies and 22657 Life Insurance policies during the year 2014-15. The LIC accredited 160 branches of the Bank as Bima Bank, besides 12 Zones which were declared as BIMA Zone.

The Bank offers group insurance scheme of LIC namely 'Maha Suraksha Deposit Scheme (New One Year Renewable Group Assurance Plan)' with a life insurance cover of ₹1 lakh for deposit account holders. The Bank offers Maha Swasthya Yojana, a Family Floater Group Mediclaim Policy of United India Insurance Co. Ltd. for its customers.

The Bank earned a commission of ₹ 7.02 crore from life insurance and ₹ 4.13 crore for non-life insurance business during the year 2014-15.

2.11 Mutual Fund Activity

The Bank has a tie-up with 25 AMC's (Asset Management Companies) for selling Mutual Fund products.

2.12 Government Business

During the year 2014-15, 630005 challans of Direct Taxes and 173388 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Our Branches are also collecting other state Govt. taxes including GRAS of Maharashtra State and the total number of Challans collected during the Year is 1085368. Total commission to the tune of ₹ 2.91 Cr was received on Tax collection business from Central Government and Commission received from states Tax collection business is ₹ 0.74 crore.

The Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 1,14,320 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2014-15 is ₹ 13.65 Cr.

A unique facility of direct and Indirect taxes and VAT collection of Maharashtra is provided by the Bank, at the branch counter in all branches through Maha e-seva services. E-payment of Taxes facility available for net banking customers is also available for direct / Indirect Taxes / VAT payments (for Govt. of Maharashtra).

The tax payment facility has been introduced for e-payment of custom duty and the Maharashtra State taxes are collected through integration in Govt. Revenue Accounting System (GRAS) both online and across the counters. The Bank has added Karnataka, Madhya Pradesh and Delhi states for collection of state Government commercial taxes. Bank is offering its services in VAT Collection in U.P in all branches.

2.13 Non Interest Income

The non-Interest Income stood at ₹1005.98 crore for the year ended 31.03.2015 as against ₹ 894.19 crore for the year ended 31.03.2014. Non interest income (Other than profit from sale of Investments) increased by ₹ 8.95 crore in the Financial Year 2014-15.

2.14 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank grew from ₹ 12850.85 crore in FY 2013-14 to ₹ 13671.42 crore in FY 2014-15 (growth of 6.39%).

विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14	अंतर (%)
ब्याज / अग्रिम पर डिस्काउंट / बिल	9820.78	9187.15	6.90
निवेश पर आय	2751.48	2543.03	8.20
अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज व अन्य ब्याज	93.18	226.48	-58.86
कुल ब्याज आय	12665.44	11956.66	5.93
गैर-ब्याजी आय	1005.98	894.19	12.50
कुल आय	13671.42	12850.85	6.39
जमा राशियों पर ब्याज	8084.74	7697.04	5.04
उधारी पर ब्याज	79.92	107.93	-25.95
अन्य ब्याज व्यय	625.75	642.76	-2.65
स्टाफ खर्च	1633.21	1595.76	2.35
अन्य परिचालन खर्च	892.71	800.99	11.45
कुल गैर-ब्याज खर्च	2525.92	2396.75	5.39
कुल परिचालन व्यय	11316.33	10844.48	4.35
परिचालनगत लाभ	2355.09	2006.37	17.38
प्रावधान व आकस्मिकताएं	1904.40	1620.40	17.53
निवल लाभ	450.69	385.97	16.77

2.15 वित्तीय अनुपात :

विवरण	2014-15	2013-14
प्रति शेयर आय (₹)	4.50	4.56
आय से लागत का अनुपात (%)	51.75	54.43
आस्तियों पर आय (%)	0.33	0.30
इक्विटी पर आय (%)	6.68	5.93
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	65.61	66.69
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	23.97	20.42
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.18	2.68
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	118.79	111.74
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	15.74	14.39
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.21	9.24
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.73	0.69
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	2.82	2.71
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.71	1.55
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.19	1.23
लाभांश (प्रतिशत)	8.00	10.00
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	6975.77	6184.11
सीआरएआर (%) बेसल III	11.94	10.79
जिसमें से टियर I सीआरएआर (%) (बेसल III)	8.76	7.44

2.16 भारत सरकार से पूंजी

क) भारत सरकार से पूंजी बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयरों के परिवर्तन के बराबर राशि के इक्विटी शेयर बैंक ने अधिमानी आबंटन के आधार पर 13,33,63,574 इक्विटी शेयर ₹ 588 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) भारत सरकार को जारी किए.

ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से उगाही गई पूंजी बैंक ने अधिमानी आबंटन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 400 करोड़

The detailed income/ expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2014-15	2013-14	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	9820.78	9187.15	6.90
Income on investments	2751.48	2543.03	8.20
Interest on interbank lending and other Interest	93.18	226.48	-58.86
Total interest income	12665.44	11956.66	5.93
Non-interest income	1005.98	894.19	12.50
Total Income	13671.42	12850.85	6.39
Interest on deposits	8084.74	7697.04	5.04
Interest on borrowings	79.92	107.93	-25.95
Other interest expenditure	625.75	642.76	-2.65
Staff expenses	1633.21	1595.76	2.35
Other operating expenses	892.71	800.99	11.45
Total Non interest expenses	2525.92	2396.75	5.39
Total Operating Expenses	11316.33	10844.48	4.35
Operating Profit	2355.09	2006.37	17.38
Provisions and Contingencies	1904.40	1620.40	17.53
Net Profit	450.69	385.97	16.77

2.15 Financial Ratios

Particulars	2014-15	2013-14
EPS (₹)	4.50	4.56
Cost to Income Ratio (percent)	51.75	54.43
Return on assets (percent)	0.33	0.30
Return on equity (per cent)	6.68	5.93
Book value per share (₹)	65.61	66.69
Profit per Branch (₹ in lakh)	23.97	20.42
Profit per employee (₹ in lakh)	3.18	2.68
Business per Branch (₹ in crore)	118.79	111.74
Business per employee (₹ in crore)	15.74	14.39
Interest income as per cent to Average Working Funds	9.21	9.24
Non Interest income as per cent to Average Working Funds	0.73	0.69
Net Interest Margin (per cent)	2.82	2.71
Operating Profit as per cent to Average Working Funds	1.71	1.55
Staff expenses as a percent to Average Working Funds	1.19	1.23
Dividend (per cent)	8.00	10.00
Net worth (₹ Crore)	6975.77	6184.11
CRAR (%) (Basel III)	11.94	10.79
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel III)	8.76	7.44

2.16 Capital from Government of India

a) Capital from Government of India:-

The Bank issued 13, 33, 63,574 equity shares amounting to ₹.588.00 crore (including share premium) to GOI on preferential allotment basis, being conversion of equal amount of Perpetual Non Cumulative Preference Shares.

b) Capital raised from LIC of India:-

The Bank issued 9, 07, 23,520 equity shares, amounting to ₹.400.00 crore (including share premium) to LIC of



के (शेयर प्रीमियम सहित) 9,07,23,520 इक्विटी शेयर को आबंटित किए. वर्ष के दौरान उक्तानुसार उगाही गई पूंजी के कारण भारत सरकार का शेयर धारण इक्विटी शेयरों में 79.80 प्रतिशत हो गया.

2.17 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2014 के ₹ 6184.11 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹6975.77 करोड़ हो गई.

2.18 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर की तुलना में 31.03.2015 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.94 प्रतिशत रहा. सामान्य इक्विटी टायर-1 अनुपात 7.48% रहा.

2.19 लाभांश

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रति शेयर 0.80 (8 प्रतिशत) के लाभांश की सिफारिश की.

3.1 शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 26 नई शाखाएं खोली. दिनांक 31.03.2015 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1880 शाखाएं थीं जो 30 राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, स्व-सहायता समूह इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं.

दिनांक 31.03.2015 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2014 को	31.03.2015 को
1	ग्रामीण	648	657
2	अर्ध-शहरी	424	433
3	शहरी	368	364
4	महानगरीय	450	426
	कुल	1890	1880 [#]

[#] 01.06.2014 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 36 शाखाओं यथा सेवा/रिटेल आस्ति/वसूली शाखा को बैंक ऑफिस के रूप में बदला गया है, वहीं वर्ष के दौरान 26 नई शाखाएं खोली गई हैं.

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 719 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 38 सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की भर्ती की जब कि सेवानिवृत्ति, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, पदत्याग, सेवा से हटाने व मृत्यु के कारण 1003 कर्मचारी सेवा में नहीं रहे।

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है. विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

अ.क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	3775	26.60%
2.	विकलांग कर्मचारी	189	1.33%
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2676	18.86%
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	1092	7.70%
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	1931	13.61%
6.	सामान्य कर्मचारी	8490	59.83%
	बैंक में कार्यरत कुल कर्मचारी	14189	

2.17 Network

The Bank's Net worth increased from ₹6184.11 crore as on 31.03.2014 to ₹6975.77 crore as on 31.03.2015.

2.18 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 11.94% as on 31.03.2015, against the minimum of 9% prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio stood at 7.48%.

2.19 Dividend

The Board has recommended ₹0.80 per share (8%) for financial year 2014-15.

3.1 Branch Expansion:

During the year, the Bank opened 26 new branches. As on 31.03.2015, the total branch network comprised of 1880 branches spread over 30 states and 4 union territories. The branch network includes specialized branches in the area of foreign exchange, Government business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Small Scale Industry and Hi-tech agriculture, Pension Payment, Self Help Groups etc.

Area wise classification of branches as on 31.03.2015 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2014	As on 31.03.2015
1	Rural	648	657
2	Semi-Urban	424	433
3	Urban	368	364
4	Metro	450	426
	Total	1890	1880 #

[#] 36 Branches like Service /Retail Asset/Recovery Br's are converted as a "Back Office" as per RBI Guidelines on 01.06.2014 while 26 new branches have been opened during the year.

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate and need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

During the year the Bank recruited 719 Probationary Officers and 38 I.T. Officers, while 1003 employees ceased to be in service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. The number of employees belonging to different categories is as under:

Sr. No.	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3775	26.60%
2.	Physically challenged	189	1.33%
3.	SC	2676	18.86%
4.	ST	1092	7.70%
5.	OBC	1931	13.61%
6.	General	8490	59.83%
	TOTAL	14189	

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

जहां तक तकनीकी कार्यान्वयन और संबंधित कोटि उन्नयन का संबंध है, वर्ष 2014-15 बैंक के लिए उल्लेखनीय साबित हुआ। वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नानुसार कई प्रमुख तकनीकी पहलें सफलतापूर्वक कार्यान्वित कीं :

1. नई पीढ़ी हेतु मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन - हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए दिनांक 28.01.2015 से बैंक ने नई पीढ़ी के स्मार्ट मोबाइल फोन पर आसानी से चलने योग्य उपयोगकर्ताओं के लिए आसान व सरल एप्लीकेशन आरंभ की। दो महीनों की छोटीसी अवधि में इस सुविधा के अंतर्गत 22800 से अधिक ग्राहकों को पंजीकृत किया जा चुका है।
2. बैंक ने हाल ही में अपने रिटेल एवं कॉर्पोरेट - दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए टू-फैक्टर अधिप्रमाणन सहित “महासिक्योर” आरंभ किया है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षा संबंधी स्थितियों में लगातार हो रहे परिवर्तनों के अनुसार तकनीक उन्नयन और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में सुरक्षा उपायों में वृद्धि की जा सके। निधियों के अंतरण हेतु महासिक्योर एप्लीकेशन के अंतर्गत एकवारीय (वन टाइम) पासवर्ड की सुविधा प्रदान की गई है। इस उत्पाद को लागू करने के बाद से कोई फिशिंग हमला रिपोर्ट नहीं किया गया है।
3. दिनांक 08.05.2014 से हमारे डाटा सेंटर ने **बैंक का अपना ईएफटी स्विच का लाईव** किया गया और इससे पूर्व एफएसएस द्वारा प्रदान की जा रही स्विचिंग सेवाओं को रद्द कर दिया गया।
4. 220 एटीएम स्थलों पर एक नई ई-निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई। यह एक पूर्व सक्रिय प्रणाली है जो केन्द्रीकृत रूप से नियंत्रित/निगरानी के अधीन है और जो इन स्थलों पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है।
5. शाखाओं में तैनात कर्मचारियों द्वारा सीबीएस में लॉग इन करने हेतु लॉग इन आईडी व पासवर्ड के साथ-साथ कर्मचारी की पहचान सुनिश्चित करने की दोहरी प्रणाली के अंतर्गत सीबीएस में बायो मेट्रिक अधिप्रमाणन प्रणाली लागू की गई है।
6. ई-लाउंज सुविधा - ‘क्लिक 2 बैंकिंग’ - बैंक की 3 उत्कर्ष शाखाओं में आरंभिक रूप से यह सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें एटीएम, नकदी जमा मशीन, चेक जमा मशीन, स्वयं अद्यतन होने वाला पासबुक प्रिंटर, इंटरनेट बैंकिंग क्लिआस्क इत्यादि उपकरण लगाए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड के लिए बैंक ने वीजा के साथ और रुपे डेबिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ गठबंधन किया है। बैंक ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए सभी खातों को गैर-विशेषीकृत रुपे एटीएम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दिनांक 31.03.2015 को बैंक का कुल कार्ड आधार 53.78 लाख हो गया।

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए बैंक को इसके डाटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर एवं सीबीएस परियोजना कार्यालय सहित सूचना प्रौद्योगिकी खंड को आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 2012-13, 2013-14 के लिए और अब वर्ष 2014-15 के लिए भी आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन मिलना जारी रहे।

3.4 अपने ग्राहकों को जानिए / धन शोधन निवारण प्रणाली

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों/ धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों/ आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं।

बैंक की निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीतियां हैं। इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है। पूर्ण केवायसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है। इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3.3 Technology Initiatives

The year 2014-2015 has been a significant one for the Bank as far as technology implementation and up-scaling is concerned. During the year, Bank had taken up and successfully implemented several major technology initiatives as under:

1. New Gen Mobile Banking Application – A simple & user-friendly application supporting a wide variety of smart / new-generation mobile phones, was launched for our Bank's Customers from 28/01/2015. More than 22800 customers were registered for this facility within a span of 2 months.
2. 'Mahasecure' a Two Factor Authentication (2FA) Solution for Retail Users and active Corporate Users has been implemented as a part of the effort to respond to the ever evolving information security trends and the responsibility to enhance security features in the Internet Banking facility. One Time Password (OTP) for Fund Transfer is also implemented under Mahasecure Application. No phishing attacks have been reported after the implementation of this product.
3. Bank's Own EFT Switch was implemented Live at our Data Centre with effect from 08/05/2014 and the Switching Services provided earlier by FSS have been discontinued.
4. A new e-Surveillance system has been implemented at 220 ATM Locations. This is a proactive system, which is centrally monitored / controlled and obviates the need to have security guards at these locations.
5. Biometric Authentication System for CBS Branch Staff, is implemented as a second factor authentication in addition to Login-ID and Password.
6. "Click 2 Banking" – e-lounge facility – A pilot run is being done at three Utkarsha Branches with Gadgets viz. ATM, Cash Deposit Machine, Cheque Deposit Machine, Self Update Passbook Printer, Internet Banking Kiosk etc.

Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. Bank completed the issuance of Non-personalized "Rupay ATM Card" to all accounts being opened under PMJDY. As on 31/03/2015, the total card base of the Bank stood at 53.78 Lakhs.

In order to strengthen the ISMS framework further, Bank had gone for ISO 27001:2005 Certification for its IT division including Data Center, Disaster Recovery Center and CBS Project Office. Bank has ensured continuation of the ISO 27001:2005 certification for the years 2012-13, 2013-14 and now 2014-15 as well.

3.4 KYC/AML

Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Banks implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Banks web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Banks training establishments to sensitize the employees.

3.5 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में जोखिम प्रबंधन संरचना तैयार की है, जो उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रति स्वयं अपना बेंचमार्क है। यह संरचना बैंक के लिए प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने, उनके मापन, निगरानी और जोखिम को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में सहायक है।

बैंक की समग्र ऋण प्रदान करने की क्षमता के अनुरूप बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां व नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं। बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी करती है। बैंक ने विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की निगरानी हेतु विभिन्न उप समितियों यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको) का गठन किया है। इन समितियों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक करते हैं तथा कार्यपालक निदेशकगण और महाप्रबंधकगण इन समितियों के सदस्य होते हैं।

3.6 निरीक्षण और लेखा परीक्षा:

परिचालनगत जोखिम के अभिनिर्धारण/पहचान करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रणाली एवं विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं।

शाखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा :

सेठ समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा कर रहा है। जिलानी समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए वर्ष के दौरान व्यवसाय के आकार के अनुसार शीर्ष 218 शाखाओं सहित लेखा परीक्षा हेतु नियत 1074 शाखाओं को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कुछ रणनीतिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जैसे कि ऑफ साइट निगरानी प्रणाली प्रारंभ करना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण/संवेदनशील क्षेत्रों की रिपोर्टें दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर सीबीएस प्रणाली से निकाली जाती है ताकि उन पर यथासमय परिशोधन/कार्रवाई की जा सके।

आकस्मिक/औचक निरीक्षण:

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए 18 शाखाओं में आकस्मिक/औचक निरीक्षण किया गया। सभी 18 रिपोर्टें बंद की गईं।

संगामी लेखा परीक्षा:

वर्ष 2014-15 की अनुमोदित लेखा परीक्षा योजना के अनुसार बैंक की 444 शाखाएं 2 विभागों को संगामी लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है। बैंक के कुल कारोबार का 75.78 प्रतिशत हिस्सा संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत आता है।

आय व व्यय लेखा परीक्षा:

01.10.2013 से 30.09.2014 की अवधि के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार ₹ 25.00 करोड़ से अधिक के कुल व्यवसाय और ₹ 5.00 करोड़ से अधिक के अग्रिम वाली 312 शाखाओं में आय व व्यय लेखा परीक्षा आयोजित की गई।

अंचल कार्यालयों की व्यय लेखा परीक्षा:

अंचल कार्यालयों के व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से छ:माही व्यय लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की गई है। प्रत्येक मार्च और सितंबर में व्यय लेखा परीक्षा की जाती है। दिनांक 30.09.2014 को 34 अंचलों की व्यय लेखा परीक्षा की गई।

प्रबंधन लेखा परीक्षा :

व्यवसाय की लाभप्रदता और वृद्धि व पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए 22 अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के 13 विभागों की प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई।

3.5 Risk Management

The Bank has its Risk Management Framework in accordance with the RBI Guidelines and it benchmarks itself against the industry best practices. This enables it to identify, measure, monitor and manage risk efficiently.

It has put in place Risk Management Policies and Strategies and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. The Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level. Bank has also constituted sub-committees known as Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) to monitor the specific risk areas.. These Committees are headed by Chairman and Managing Director. Executive Directors and General Managers are the members of the Committees.

3.6 Inspection and Audit :

The Inspection and Audit system and various measures of internal control are adopted by the Bank to ensure identification /assessment and mitigations of operational risks.

Internal Audit of branches

As per Seth Committee guidelines the Bank is conducting Risk Based Internal Audit of branches. RBIA of 1074 Branches which were due for Audit during the year including Top 218 Branches in terms of Business, were conducted in compliance with the Jilani Committee recommendations.

During the year the Bank has implemented some strategic decisions so as to strengthen the internal control system such as, Commencement of Off-site monitoring system in which reports on some important/ sensitive areas are extracted from the CBS system on daily/weekly/monthly basis so that necessary timely action / rectification can be taken.

Surprise/Snap Inspection:-

Surprise/Snap Inspection of 18 branches were undertaken during the year , focusing mainly on high risk areas in pursuance of Ghosh Committee Recommendations. All the 18 reports are closed.

Concurrent Audit:-

As per approved Audit Plan for 2014-2015, 444 branches and two departments of the Bank are covered under Concurrent Audit. Bank's 75.78% total business is covered under concurrent Audit.

Income and Expenditure Audit (I.and E. Audit)

I.and E. audit was carried out at 312 branches as per approved plan for the period 01.10.2013 to 30.09.2014 having total business above ₹ 25.00 crore and advances above Rs.5.00 crore.

Expenses Audit of Zonal Office : -

In order to have control over expenditure at Zonal offices a system has been put in place through half yearly Expenses Audit . The Audit is conducted once in half year i.e March and September. The expenses audit of 34 Zones were conducted as of 30.09.14.

Management audit:

For assessing the effectiveness of Zonal Offices and HO Departments in terms of supervision, control, profitability and growth in business, Management Audit of 22 Zonal offices and 13 Departments at Head Office is carried out during the year 2014-15 .

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का निरीक्षण:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बैंक वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अधीन रहा. इसके अलावा वर्ष के दौरान भा.रि. बैंक द्वारा बैंक की 5 शाखाओं का निरीक्षण किया गया.

धन शोधन निवारण:

धन शोधन निवारण अलर्ट निर्मित करने के लिए भारतीय बैंक संघ ने 49 मापदंडों को कार्यान्वित करने की सूचना बैंकों को दी है. बैंक ने अब तक भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार 49 मापदंडों में से 43 मापदंडों का कार्यान्वयन कर दिया है. शेष बचे 6 मापदंड अन्य पार्टी उत्पाद से संबंधित हैं.

3.7 सतर्कता

बैंक में निवारक सतर्कता को मजबूत बनाने के उपाय स्वरूप वर्ष के दौरान चुनिंदा शाखाओं का उनके जोखिम वर्गीकरण के आधार पर सतर्कता निरीक्षण किया गया और तदनुसार वर्ष के दौरान 138 शाखाओं का निरीक्षण हुआ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा निर्धारित कार्यविधियों और प्रणालियों का पालन किया जा रहा है. अंचल कार्यालयों को सुनिश्चित करना है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर किया जाता है.

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक जोखिम निगरानी कक्ष जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जुलाई 2014 से स्थापित है. ऐसा करने से जालसाजी के मामलों की प्रभावी जांच और भारतीय रिज़र्व बैंक सहित उचित विनियामक तथा कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों को त्वरित रिपोर्टिंग करना सुगम हुआ है.

3.8 अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अनुपालन नीति बनाई है. अनुपालन विभाग मुख्य अनुपालन अधिकारी की प्रमुखता में अनुपालन कार्यकलापों की निगरानी करता है. यह समय-समय पर लागू होने वाले सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. सांविधिक विनियामक अनुपालन से संबंधित मामलों का समुचित रूप से निपटारा किया जाता है. विभिन्न विनियामक विवरणों की प्रस्तुति की भी निगरानी की जाती है.

3.9 विपणन और प्रचार

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों हेतु एक प्रीमियम बचत जमा योजना “**पर्पल प्रिविलेज**” आरंभ की है, जिसके अंतर्गत अपने बचत खातों में ₹ 3.00 लाख का तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) रखने वाले ग्राहकों को विशेषीकृत सेवाएँ प्रदान की जाएंगी.

इस उत्पाद के अंतर्गत खाताधारक को प्रदान किए जाने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

- समर्पित संबंध प्रबंधक का सहयोग
- विशेष रूप से तैयार किए गए पर्पल लाउंज
- हमारे बैंक और अन्य किसी भी बैंक के एटीएम पर निशुल्क असीमित डेबिट कार्ड संव्यवहार
- एटीएम सह डेबिट कार्ड पर (प्रतिदिन) उच्च संव्यवहार सीमा
- इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से निशुल्क एनईएफटी/आरटीजीएस इत्यादि

इस उत्पाद में अन्य विशेषताएँ भी शामिल हैं -

नाम सहित एटीएम-सह-डेबिट कार्ड और चेक बुक, रिटेल ऋणों पर प्रोसेसिंग शुल्क में 50% छूट, प्रतिवर्ष 200 निशुल्क नाम सहित चेक पत्र, निशुल्क (वार्षिक रखरखाव प्रभार में 100% छूट) गोल्ड क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड प्वाइंट और प्रथम वर्ष के लिए निशुल्क डी-मैट खाता सुविधा.

3.10 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. नागरिक अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया गया है. नोटों और सिक्कों को बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का नागरिक अधिकार पत्र भी बैंक ने स्वीकार किया है.

RBI Inspection under Section 35 of the Banking regulation Act:-

The Bank was also subject to RBI inspection under Sec.35 of the Banking Regulation Act during the year. Besides that 5 branches were also inspected by RBI during the year.

AML:

IBA has advised the Banks to implement 49 parameters so far for generation of AML alerts. Bank has implemented 43 parameters out of 49 parameters as per IBA guidelines and the remaining 6 parameters are related to 3rd party products .

3.7 Vigilance:

As a measure of strengthening preventive vigilance in the bank, the vigilance inspection of the select branches was undertaken during the year based on their risk categorisation and accordingly 138 branches have been inspected during the year to ensure that the system and procedures laid down by the bank are followed by the branches. Zonal offices have to ensure the removal of any deficiencies observed during such inspection.

In compliance to regulatory guidelines, a Fraud Monitoring Cell has been set up under administrative control of Risk Management Department since July-14. This will facilitate effective investigation in fraud cases and prompt as well as accurate reporting of fraud cases to proper regulatory and law enforcement authorities including Reserve Bank of India.

3.8 Compliance:

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance Department headed by Chief Compliance Officer monitors the compliance functions. It ensures the implementation of the statutory / regulatory guidelines coming into force from time to time. The issues relating to regulatory / statutory compliances are addressed appropriately. Submission of various regulatory returns is also monitored.

3.9 Marketing and Publicity:

Bank of Maharashtra Introduced a Premium Savings Bank Deposit Scheme “**Purple Privileges**” for High Net worth Individuals(HNIs) covering specialized services to the customers having quarterly average balance (QAB) of ₹ 3 Lakh in their Savings Bank account.

The slew of benefits offered to the account holder under the product include

- Assistance of Dedicated Relationship Manager
- Specially designed Purple lounges
- Free unlimited No. of Debit card transactions at ATMs of our Bank and any other banks.
- Higher Transaction Limit on ATM-cum-Debit card(per day)
- Free NEFT/RTGS through Internet Banking etc.

Features of the product also include:

Personalized ATM-cum-Debit Card and Cheque Books, 50% concession in processing fees of retail Loans, 200 free Personalized Cheque leaves p.a., Free (100% concession on annual maintenance charge) Gold Credit Card, Reward Points and Free Demat account facility for the first year.

3.10 Citizen's Charter:

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website. The Bank has also adopted a citizen's charter of RBI on exchange of notes and coins.

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को कुल बकाया अग्रिम ₹ 39095 करोड़ के थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 41.76 प्रतिशत रहे। (गत वर्ष पर 12.26% और ₹ 4269 करोड़ की वृद्धि)

4.2 कृषि

वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 6799.90 करोड़ के ऋण वितरित किए। कृषि क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिम दिनांक 31.03.2015 को ₹ 15521.30 करोड़ के रहे (18.56 प्रतिशत की वृद्धि)। बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया और ₹1300 करोड़ का वितरण किया। बैंक ने खेत मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर विनिर्माताओं, सूक्ष्म सिंचाई कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन किए।

कृषकों को कठिनाई मुक्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करते हुए कृषि अग्रिम में वृद्धि हेतु सभी शाखाओं के लिए बैंक ने जागरूकता/सुग्राही कार्यक्रम चलाए।

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है। बैंक ने किसानों को कुल 492683 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। 31 मार्च 2015 को एमकेसीसी हिताधिकारियों को ऋण प्रवाह बढ़कर ₹ 5597.89 करोड़ के स्तर को पहुँच जायोग। (29.80% की वृद्धि)

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है। ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए गए। बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

हमारे बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साइट पर प्रदर्शित किया है। बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेब साइट पर प्रदर्शित किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक की उधारी 31.03.2014 को ₹15098 करोड़ की थी, जो 31 मार्च 2015 को बढ़कर ₹16796 करोड़ की हो गई। (11.24 प्रतिशत की वृद्धि)।

इस वर्ग में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने ट्रक/ट्रैक्टर/वाहन/पैसेंजर कार विनिर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला संवर्ग के सूक्ष्म उद्यमियों की हैण्ड होल्डिंग और उन्हें ऋण देना सुगम बनाने के लिए बैंक ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसएमई प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी अंचल कार्यालयों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं।

बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं के वित्तपोषण के लिए 5 नए उत्पादों का शुभारंभ किया है।

1. महा एमएसएमई परियोजना ऋण योजना
2. महा एमएसएमई मशीनरी/उपकरण योजना

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of 31st March, 2015, aggregates to ₹ 39,095 Crore constituting 41.76% per cent of the Adjusted Net Bank Credit. (growth of ₹ 4,269 Crore, 12.26% over last year).

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹ 6799.90 Crore for agriculture and allied activities during the year 2014-15. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of ₹ 15,521.30 Crore as on 31.03.2015 (growth of 18.56 per cent). Bank focused on growth of investment credit under Agriculture during the year 2014-15 and disbursed ₹ 1,300 Crore. Bank also entered into strategic tie-up arrangements with Tractor Manufacturers, Micro Irrigation Companies for promoting farm mechanization and micro irrigation activities during the year.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 4,92,683 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has reached to the level of 5,597.89 Crore as on 31.03.2015 (growth of 29.80 %).

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website.

Our Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and the same is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises which was at the level of ₹15,098 Crore as at 31.03.2014, increased to ₹16,796 Crore as at 31.03.2015 (growth of 11.24 per cent).

For promoting finance under this category, Bank has entered into strategic tie up arrangements with Truck / Vehicle / Tractor / Passenger car manufacturers. Bank has also entered into an MoU with Bharatiya Yuva Shakti Trust for Credit facilitation and hand holding of the Micro entrepreneurs specially under Women and SC/ST categories.

Centralized Processing Cell have been set up at all Zonal Offices for speedy disposal of MSME proposals.

Bank has launched 5 new products for financing to MSME borrowers,

1. Maha MSME Project Loan Scheme
2. Maha MSME Machinery/Equipment Scheme

3. महा एमएसएमई नकद साख योजना
4. महा एमएसई सहायक प्रतिभूति मुक्त मीयादी ऋण योजना
5. महाएमएसई जमानत मुक्त नकद ऋण योजना

चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम एन्टरप्राइजेस (सीआईएमएसएमई) द्वारा बड़े बैंकों की रनर अप श्रेणी में बैंक को 'सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक अवार्ड 2014' दिया गया है।

4.3.1 सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत शामिल उद्यम

भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायक प्रतिभूति और/या अन्य पार्टी की गारंटी के बिना बैंक अधिकतम रु.100.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक ₹ 10.00 लाख से अधिक के ऋणों हेतु 50% वार्षिक गारंटी फीस और ₹10.00 लाख से कम के ऋणों के लिए पूरी गारंटी फीस का वहन कर रहा है। मार्च 2015 तक बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 17058 उधारकर्ताओं को ₹1805.13 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवरेज 36.11 प्रतिशत से बढ़ा।

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यवसायियों और पेंशनरों को उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन, प्लॉट, घर संपत्ति खरीदने, उसकी मरम्मत, नवीनीकरण हेतु, शिक्षा हेतु और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है। बैंक का रिटेल ऋण संविभाग 11817.49 करोड़ रुपए का है।

5.2 महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना

भारत में स्वर्ण आभूषण पीढ़ियों से बचत के साधन के रूप में विद्यमान है। एक सर्वाधिक तरल और मूल्यवान संपत्ति होने के कारण कारोबार, कृषि, शादी, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जैसी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने हेतु जमानत के रूप में एक विश्वसनीय और स्वीकार्ययोग्य संपत्ति का कार्य करती है। लोग अपने स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर बहुत अधिक ब्याज की दर पर धन उधार लेते हैं। आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की व्यावसायिक संभावनाओं का लाभ उठाने और हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 26.09.2014 से प्रभावी नया रिटेल ऋण उत्पाद "रिटेल उद्देश्यों से महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" के नाम से नया फुटकर ऋण उत्पाद आरंभ किया। हमारे ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक ने 01.11.2010 को "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" नामक नया फुटकर ऋण उत्पाद आरंभ किया। दिनांक 31.03.2015 को हमारे बैंक का कुल स्वर्ण ऋण संविभाग रु.92.81 करोड़ का है।

5.3 जन सामान्य हेतु आवास ऋण

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने आवास ऋण योजना लागू की है। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान बैंक का आवास ऋण संविभाग 31.03.2015 को ₹ 9868.84 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जो बैंक रिटेल संविभाग का 83.51 प्रतिशत है। बैंक की आवास ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई और 'नए आवास/फ्लैट की खरीद/निर्माण, वर्तमान फ्लैट/घर की मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार, प्लॉट खरीदने एवं उस पर घर बनाने जैसी संशोधित योजनाएं लागू की गईं। बैंक ने हाल ही में एक साथ घर और कार खरीदने के लिए 'महा कॉम्बो ऋण योजना' आरंभ की है।

5.3.1. ₹15.00 लाख तक के आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज सरकारी अनुदान।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने स्थान को ध्यान में न रखते हुए आवास के निर्माण हेतु, जहां निर्माण की लागत ₹ 25.00 लाख तक है, के लिए ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋण के उधारकर्ताओं को 1

3. Maha MSME Cash Credit Scheme
4. Maha MSE Collateral Free Term Loan Scheme
5. Maha MSE Collateral Free Cash Credit Scheme

Bank has been awarded best MSME Bank Award 2014 for large Bank- Runner up category, by the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME).

4.3.1 Coverage under CGTMSE Scheme

Under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India credit facilities up to ₹100.00 lakh are covered, wherein no collateral security and third party guarantee are insisted by the Bank. For the accounts covered under this scheme, Bank is bearing 50% annual guarantee fee for loans above 10.00 lakh and entire annual guarantee fee for loans below 10.00 lakh. The Bank has sanctioned loans of ₹1805.13 Crore to 17,058 borrowers under this scheme up to March 2015. During the current FY, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has increased by 36.11%.

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK

5.1. Credit Flow to Retail Sector

The Bank is providing retail loans to salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase, repair, renovation of housing properties, plots, consumer durables, two/four wheeler vehicles other personal needs, education etc. The retail loan portfolio of the bank is ₹11817.49 Crore.

5.2. Mahabank Gold Loan Scheme

Gold ornaments are the traditional and inherited form of savings among the people in India. Being one of the most liquid and precious asset, it serves as a dependable and acceptable form of security to raise loans for meeting immediate financial needs for business, agricultural, consumption purposes such as marriage, medical, educational expenses etc. People borrow money by pledging Gold Ornaments at very high rate of interest. To tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to meet the credit requirement of our customers, Bank has launched a new retail loan product "Mahabank Gold Loan Scheme for Retail Purposes" w. e. f. 26.09.2014. With a view to meet the credit requirement of our customers, Bank has launched a new retail loan product "Mahabank Gold Loan Scheme" w. e. f. 01.11.2010. The total portfolio of Gold Loan of our Bank as on 31.03.2015 is ₹92.81 Crore.

5.3. Housing loan to public

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing sector in rural and urban parts of India is a thrust area. The housing loan portfolio of Bank is ₹9868.84 Crore as on 31.03.2015, which constitutes 83.51% of total retail portfolio of the Bank. The housing loan schemes of the Bank were revisited and revised schemes were launched like "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon". The Bank has recently launched "Maha Combo Loan Scheme" for purchase of house and a car taken together..

5.3.1 One per cent Interest Subvention on Housing Loan up to ₹15.00 Lakh.

As per GOI guidelines, Bank has provided 1% interest subvention to borrowers, who availed housing loans up to ₹15.00 lakh for construction purpose of house where

प्रतिशत की सरकारी ब्याज अनुदान की सहायता दी. वर्ष 2014-15 के दौरान योजना के अंतर्गत 7743 उधारकर्ताओं को रु.12.37 करोड़ तक इसका लाभ मिला.

5.3.2 महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना

बैंक के नियमित आवास ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए बैंक ने दिनांक 12.09.2014 से "महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना" का आरंभ किया. टॉप-अप ऋण योजना के अधीन आवास की मरम्मत, नवीनीकरण एवं साज-सज्जा जैसे मरम्मत/नवीनीकरण के अलावा अन्य प्रयोजनों जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों का विवाह, वैधकीय चिकित्सा, वाहन अथवा अन्य उच्च-तकनीक उपकरणों इत्यादि की खरीद हेतु ऋण देय होगा. हमने प्रधान कार्यालय में एक कॉल सेंटर की स्थापना की है जो पिछले 2 वर्षों के दौरान अच्छे आवास ऋण उधारकर्ताओं को स्वयं फोन करेगा. योजना के अंतर्गत ₹ 25.00 लाख तक के ऋण मंजूर किए जा सकते हैं।

5.4 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, बैंक भारतीय बैंकिंग संस्थान के दिशानिर्देशानुसार, आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. मार्च 2015 को बैंक के शैक्षणिक ऋण ₹ 702.82 करोड़ थे, जो 29,516 छात्रों में वितरित किए गए। बैंक में वेब एक्सेस के जरिये शैक्षणिक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है. बैंक ने "आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना" के साथ एक नया पहलू "पूर्व अनुमोदित शिक्षा ऋण" आरंभ किया है जो कि विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के बहुविध मंजूरी पत्रों की मांग को पूरा करेगा. बैंक के पास व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए "आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना" उपलब्ध है जहां अल्पावधि के कार्य अनुसूख कुशलता विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु ऋणों के मंजूरी की जा सकती है. योजना के अधीन ₹ 1.50 लाख तक का ऋण मंजूर किया जा सकता है.

5.5 ऋणों का केंद्रीकृत प्रक्रियाकरण

बैंक ने अपने सभी 34 अंचलों में रिटेल/वाणिज्यिक अग्रिमों हेतु केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्षों की स्थापना की है जो कि ऋण की कठिनाई-मुक्त एवं प्रोसेसिंग समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगा जिससे ऋण आवेदन पर उचित निर्णय लेने में समय कम लगेगा.

5.6 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों द्वारा आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए ऋण देने के कार्य को हमेशा महत्व दिया है. महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं. बैंक ने सभी छह अग्रणी जिलों और गोरगांव, मुंबई में स्वसहायता समूह विशेषज्ञ शाखाओं का आरंभ किया है.

31.03.2015 को बैंक द्वारा 123643 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से मार्च 2015 को यथास्थिति 103028 स्वसहायता समूहों ने बैंक से ₹ 161.10 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

5.7 अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सहायता

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है. 31 मार्च, 2015 को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 1642.67 करोड़ के थे, जो कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का 18.11 प्रतिशत हैं.

5.8 कमजोर वर्गों को अग्रिम

बैंक लघु/सीमांत किसानों, बंटाईदार, भूमिहीन श्रमिक, अजा/अजजा लाभार्थियों, स्व-सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है. 31/03/2015 को हमारे बैंक का कमजोर वर्ग को अग्रिम का कुल संविभाग 9068 करोड़ रहा जो कि समायोजित निवल बैंक ऋण का 9.69% है.

5.9 अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है. अल्पसंख्यकों की सघन जनसंख्या वाले जिलों में शाखाओं का अभिनिर्धारण किया गया है तथा इन शाखाओं को अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तपोषण के लिए विशेष लक्ष्य आबंटित किए गए हैं. मार्च 2015 को अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया

construction cost is up to ₹25.00 lakh irrespective of location. During the year 2014-15, 7743 borrowers will be benefited under the scheme to the extent of ₹ 12.37 Crore.

5.3.2 Mahabank Top-Up Loan Scheme

In order to extend additional credit support to our regular housing loan borrowers, Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme" w. e. f. 12.09.2014. Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, Marriage of Children, Medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets etc. We have established a call centre at H. O. to make outbound calls to good housing loan borrowers for last two years. Loans upto ₹25 lacs can be considered under the scheme.

5.4 Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that all deserving students get opportunity to pursue higher education, the Bank implemented a Model Educational Loan Scheme as per IBA guidelines. As of March 2015, the Bank had lent ₹702.82 Crore to 29,516 students. The Bank has provided the facility of submission of application for education loan through web-access (on line) also. Bank has also introduced a new feature called "Pre Approved Education Loan", to its "Model Education Loan Scheme" to address the requirement of multiple sanction letters required by students applying for study at foreign universities. Bank also has "Model Education Loan Scheme for Vocational Courses" where loans can be sanctioned for completion of short duration job oriented skill development programmes. A loan up to 1.50 lakh can be sanctioned under the scheme.

5.5 Centralized Processing of loans

Bank has established Centralized Processing Cells for retail / commercial advances at all its 34 Zones for hassle free and due diligence of loans with aim to improve turn around time.

5.6 Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activity. The SHGs have proved to be effective instruments for empowerment of women Bank has specialized SHG branches in all six lead districts and at Goregaon, Mumbai.

As on 31.03.2015, there were 123643 SHGs formed by the Bank, out of which 103028 SHGs have been linked with the bank credit with outstanding of ₹.161.10 Crore as on 31st March 2015.

5.7 Assistance to SC/ST beneficiaries:

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as on 31.03.2015 to SC/ST beneficiaries stood at ₹1642.67 Crore, constituting 18.11 per cent of advances to weaker sections.

5.8 Weaker Sector Advances:

Bank is providing credit facilities to small / marginal farmers, share cropper, landless labor, SC /ST Beneficiaries, Self Help Groups, Joint Liability Groups, The total portfolio of weaker Sector advance of our Bank as on 31.03.2015 stood at ₹ 9068 Crore constituting 9.69% of ANBC.

5.9 Advances to Minority Community

A special cell has been set up at Head Office to review and ensure smooth flow of Credit to minority community. The branches were identified in minority concentrated districts and special targets were allotted to these branches for lending to minority communities. As of March 2015, advances to Minority

अग्रिम ₹ 3264.25 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 2265.19 करोड़ था (₹ 999.05 करोड़ की वृद्धि तथा 44.10% बढ़ोतरी)

5.10 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस लाइट स्वावलंबन)

जुलाई 2013 में एनपीएस लाइट स्वावलंबन को सक्रिय (लाइव) किया गया और योजना के अंतर्गत अंशदान संग्रहण हेतु एनएसडीएल के साथ 1806 शाखाएं एनएलसीसी (एनपीएस लाइट कलेक्शन सेंटर) के रूप में पंजीकृत हैं। 31.03.2015 तक योजना के अंतर्गत 16293 खाते खोले गए। एनपीएस सामान्य योजना के अधीन 6355 खाते मौजूद हैं।

5.11 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.11.1 एटीएम

31.03.2015 को देशभर में बैंक के 1849 एटीएम स्थापित हैं। 182 लॉबी एटीएम को योग्य स्थानों में प्रतिस्थापित करने के बाद 1775 एटीएम सेवाओं पर लगातार निगरानी जारी है तथा ये एटीएम 31.03.2015 को कार्यशील हैं। बैंक बीसा, रुपये एवं ईएमवी कार्ड जारी कर रहा है।

मार्च, 2015 का लेनदेन 53.08 लाख रहा (हमारे एटीएम पर 25.33 लाख एवं अन्य एटीएम पर 27.75 लाख)। मार्च, 2015 माह के लिए प्रति एटीएम औसत प्रतिदिन लेनदेन 96 था तथा आशा है कि आगामी तिमाही में यह उद्योग स्तरीय औसत तक पहुंच जाएगा। बैंक ने पुणे के दो मॉल में बैंक की सेवाओं और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले एटीएम की स्थापना की है। पुणे विमानतल में बैंक का एटीएम लगाने का काम प्रक्रियाधीन है।

5.11.2 इंटरनेट/एसएमएस/फोन बैंकिंग

पिछले वर्ष की तुलना में बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में 23% प्रतिशत, फोन बैंकिंग में 29% प्रतिशत तथा एसएमएस बैंकिंग में 35% प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।

आईबीएन उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्योर के माध्यम से लगातार अनुवर्तन एवं नेट सुरक्षा में वृद्धि के फलस्वरूप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ऑनलाइन लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है।

5.11.3 मोबाइल बैंकिंग

बैंक ने 28.01.2015 को एक नवीन संशोधित बैंकिंग एप्लीकेशन यथा महा-मोबाइल का शुभारंभ किया है तथा इस तकनीकी आधारित सेवा के लिए 22803 उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया है।

5.12 वरिष्ठ नागरिक

बैंक की कफ परेड, मुंबई और बाजीराव रोड, पुणे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेषीकृत शाखाएं हैं जो उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बैंक अपनी सावधि जमाराशियों पर 50 आधार अंक अतिरिक्त ब्याज प्रदान करता है। वर्तमान में बैंक वरिष्ठ नागरिकों के 33 लाख बचत खातों का रख रखाव कर रहा है।

5.13 संबंध प्रबंधक संकल्पना और उसका अनुपालन

बैंक ने उच्च निवल मालियत वाले (एचएनआई) ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के साथ ही व्यवसाय वृद्धि प्राप्त करने के लिए संबंध प्रबंधकों की संकल्पना का कार्यान्वयन किया है। इन एचएनआई ग्राहकों की सभी ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शाखाओं में विशेष रूप से कुल 391 संबंध प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है।

6. निगमित सामाजिक दायित्व

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ कृमि खाद, खारी मिट्टी का पुनर्विकास, मिट्टी की जांच इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं। बैंक ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) भिगवण में मार्डफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है। वर्ष 2014-15 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 11257 मिट्टी तथा जल नमूनों का परीक्षण किया गया और तदनुसार परामर्श दिया गया। पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं।

community are at ₹ 3264.25 crore as against ₹ 2265.19 Crore of previous year (increase of ₹ 999.05 crore and growth of 44.10%).

5.10 National Pension System (NPS Lite Swavalamban)

NPS Lite Swavalamban was made live in July 2013 and total 1806 branches are registered as NLCC (NPS Lite Collection Centre) with NSDL for collecting contribution under the scheme. 16293 accounts were opened under the scheme up to 31.03.2015. There are 6355 accounts under NPS general scheme.

5.11 ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

5.11.1 ATMs

Bank has 1849 ATMs installed across the country as at 31/03/2015. With relocation of 182 Lobby ATMs to viable sites, continuous monitoring our ATM services are ensured and 1775 ATMs are in service as at 31/03/2015. Bank is issuing VISA, RUPAY and EMV cards.

Transaction volume for Mar 2015 has been 53.08 lacs (On us 25.33 lacs and Off us 27.75 lacs). Average transactions per ATM per Day were 96 for the month of March 2015 and are expected to reach the industry level average in the ensuing quarter. Bank has installed two ATMs with display of Bank's Services and products in two Malls of Pune. Bank is in the process of installing ATM at Pune Airport.

5.11.2 INTERNET /SMS/Phone Banking

Bank could achieve an increase of 23% in Internet Banking, 29% in Phone Banking and 35% in SMS banking over the previous year.

With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IBN users, substantial rise in users/online transactions is expected.

5.11.3 MOBILE BANKING

Bank launched Maha-mobile, a New revised Mobile banking Application on 28/01/2015 and registered 22803 Users for this technology based service.

5.12 Senior Citizen

Bank has specialized branches for Senior Citizens exclusively for catering their banking needs at Cuffe Parade, Mumbai and at Bajirao Road, Pune. Bank is giving 50 basis points additional interest on their term deposits. At present bank is catering to 33 lacs saving accounts of Senior Citizens.

5.13 Concept Relationship Managers and Compliance thereof

Bank has implemented concept of Relationship Managers to drive business growth with better customer service to High Networth Individuals (HNI) customers. Total 391 Relationship Managers are exclusively posted at branches to attend all customer needs of these HNI customers.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Rural Development Centers at Hadapsar- Pune and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers viz. Vermi compost, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil testing lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan. The Soil Testing Laboratory has analyzed 11,257 Soil and Water samples in the year 2014-15 and accordingly counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Sholapur and Satara are taking benefit of the lab.

बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है। मारडेफ कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है। मारडेफ ट्रस्ट ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी), भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 2915 किसान लाभान्वित हुए।

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमसेटी) की स्थापना की है। संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं। संस्थान ने अब तक 16,600 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें से 60% युवक रोजगार-रत हुए हैं।

बैंक और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन स्व-सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें बैंक ऋण से संबद्ध करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है।

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छह अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना व ठाणे में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का शुभारंभ किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता की। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- जरूरतमंद मरीजों को कृत्रिम अंग लगाना
- शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल हेतु डीजल जनरेटर सेट
- मानसिक रूप से विकलांग एवं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों, कैंसर के मरीजों, वृद्धाश्रम और जरूरतमंद व्यक्तियों के सुविधार्थ भवन/कक्षाएं/किंडरगार्डन वस्तुओं का निर्माण।
- जरूरतमंदों के लिए झोपड़पट्टी में कैंसर जांच शिविरों का आयोजन

इसके अलावा सामाजिक कल्याण के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल सुविधाएं इत्यादि के लिए बैंक ने हमेशा योगदान दिया है। बैंक उभरते हुए खिलाड़ियों को उनकी शुरुआत से खेल गतिविधियों के प्रायोजन और वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता कर रहा है ताकि वे देश के लिए गौरव अर्जित कर सकें और सामाजिक प्रतिबद्धता निभा सकें।

बैंक के विभिन्न उत्पादों का प्रचार करने और साथ ही निगमित सामाजिक दायित्वों के साथ बैंक ब्रांड जोड़ने की दृष्टि से बैंक ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया यथा लीला पूनावाला फाउंडेशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली 10 बालिकाओं हेतु प्रायोजन, महाराष्ट्र के सेना मुख्यालय को प्रायोजन, गुजरात और गोवा दुरंत कप 2014 का प्रायोजन, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक साहित्य अभियान 2014 का प्रायोजन, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर को कृत्रिम अंगों हेतु दान, मिड डे फूड कार्यक्रम में उपयोग हेतु इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन को मिनी ट्रक खरीदने के लिए दान, विपश्यना केन्द्र, पुष्कर को उनकी विभिन्न गतिविधियों जैसे की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, रिसायक्लिंग प्रोजेक्ट्स, सोलर हॉट वॉटर प्रोजेक्ट्स, पीने के पानी की परियोजना हेतु दान दिया गया। बैंक ने समाज के गरीब वर्ग से आनेवाले बच्चों के कल्याणार्थ सामुदायिक सहायता और प्रायोजन कार्यक्रम के लिए दान दिया।

पुणे में निम्नलिखित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियां की गईं :

- क) बनेश्वर मंदिर के लिए वाटर कुलर।
- ख) जेजुरी किले में पानी की टंकी निर्माण के लिए प्रायोजन।
- ग) जीवन वर्धनी स्कूल, सासवड के मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए गणतंत्र दिवस पर वर्दी का प्रायोजन।

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in Agriculture. Trust has implemented 88 training programmes for farmers at RDC Bhigwan and Hadapsar and has benefited 2,915 farmers from April 2014 to March, 2015.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far imparted training to 16,600 educated unemployed youths. The settlement rate is 60 per cent.

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

The Bank has opened Financial Literacy Centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna and Thane for creating awareness about banking schemes.

Bank has helped various NGOs during the year extending financial support to acquire necessary inputs for carrying their activities. These include the following:

- Fixing of artificial limbs to the needy patients.
- Diesel Generator set for the school meant for physically challenged children
- Building / classroom / Kindergarten equipments for the needy, mentally retarded and cerebral palsy children, cancer patients and Old age home.
- Conducting cancer detection camps in slums for the needy.

Moreover Bank has always stood for the cause of society by contributing at large for improving medical facilities, vocational training, basic amenities etc. Bank is also helping emerging sports persons at budding stage by sponsorships and providing financial assistance to bring the glory to the Nation and contributing to social cause.

With a view to publicize Bank's various products and also brand image coupled with corporate social responsibilities, Bank has sponsored various programs like "Sponsorship to Lila Poonawala Foundation for scholarship to 10 Economically poor Girls having excellent track record", "Sponsorship to Army H.Q at Maharashtra, Guajrat and Goa for Durand Cup 2014", Sponsorship to Rashtriya Madhyamic Sahitya Abhiyan for Teacher Training Program 2014", "Donation to Bhagwan Mahaveer V klang Sahayata Samiti, Jaipur for artificial limbs", "Donation to ISKCON Food Relief Foundation for purchase of Mini Truck which is useful in Mid Day Meal Program", "Donation to Vipassana Kendra Pushkar for its various projects viz. Rain Water Harvesting and Recycling projects, Solar Hot Water projects, Drinking Water Facilities Project" etc. Bank has also donated to Community Aid and Sponsorship Program (CASP) for welfare of children from poor sections of society.

Following CSR activities were undertaken in Pune.

- a) Water Cooler to Baneshwar temple.
- b) Sponsorship for water tank construction at Jejuri Fort.
- c) Sponsorship for uniform of mentally challenged students at Jeevan Wardhani school, Saswad on Republic day.

बैंक द्वारा समर्थित निम्नलिखित 12 लड़कियों ने इंजीनियरिंग कोर्स में डिप्लोमा के लिए प्रतिष्ठित ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति प्राप्त की।

क्रमांक	बालिकाओं के नाम	उम्र
1	ऐश्वर्य नंदकुमार बोडके	उम्र 16 वर्ष
2	ऐश्वर्य सुनील मांजरेकर	उम्र 17 वर्ष
3	अर्चना संजय धेबर	उम्र 17 वर्ष
4	धनश्री लक्ष्मण लाड	उम्र 16 वर्ष
5	हरशु दत्तात्रय पवार	उम्र 17 वर्ष
6	कोमल राजेन्द्र गोराड	उम्र 17 वर्ष
7	पूजा लक्ष्मण वारेकर	उम्र 16 वर्ष
8	प्राज्क्ता राजेश नायडू	उम्र 17 वर्ष
9	प्रतिमा लक्ष्मण थोरात	उम्र 17 वर्ष
10	रूपाली नंदू रसाल	उम्र 17 वर्ष
11	तेजल रखमाजी सोमोशी	उम्र 17 वर्ष
12	विशाखा वसंत ढोले	उम्र 17 वर्ष

7 अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे व पालघर में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधीश के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है और राज्य की वार्षिक ऋण योजना बनाता है। वर्ष 2014-15 के लिए योजना ₹ 1,57,292 करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था। राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 10,000 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में लगातार प्राकृतिक विपदाएं आती रही जिसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि और संबंधित गतिविधियों पर हुआ। इस प्रकार के आपदाकाल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति राहत उपायों विशेष बैठकों के आयोजन और जहां आवश्यक हुआ वहां सदस्यों का मार्गदर्शन करने में आगे रही है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। राज्य में कुल 93.97 लाख खाते खोले गए और खाता खोलने के उद्देश्य से महाराष्ट्र संतुष्ट राज्य घोषित किया गया। किंतु खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है।

7.3 वित्तीय समावेशन योजना/प्रधानमंत्री जन-धन योजना

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः 15 अगस्त 2014 और 28 अगस्त 2014 को घोषित और आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना में बैंक ने सक्रिय रूप से सहभाग लिया।

बैंक ने बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु आबंटित 3051 ग्रामीण उप सेवा क्षेत्र और 755 शहरी वार्डों का सर्वेक्षण किया। सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बैंक के स्वयं के बीसीए मॉडल और कार्पोरेट बैंक प्रतिनिधियों के

Following 12 girls received Scholarship supported by Bank and sponsored by reputed Trust for Diploma in Engineering course.

SR NO	Name of the girls
1	Aishwarya Nandkumar Bodke, Age 16 years.
2	Aishwarya Sunil Manjrekar, Age 17 years.
3	Archana Sanjay Dhaybar, Age 17 years.
4	Dhanashree Laxman Lad, Age 16 years.
5	Harshu Dattatray Pawar, Age 17 years.
6	Komal Rajendra Gorad, Age 17 years.
7	Pooja Laxman Warekar, Age 16 years.
8	Prajakta Rajesh Naidu, Age 17 years.
9	Pratima Laxman Thorat, Age 17 years.
10	Rupali Nandu Rasal, Age 17 years.
11	Tejal Rakhmaji Somoshi, Age 17 years.
12	Vishakha Vasant Dhole, Age 17 years.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra and prepares State Annual Credit Plan. The plan for the year 2014-15 was for ₹1,57,292/- crore which is highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra. SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, priority sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various member banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC coordinates a network of more than 10,000 bank branches in the state.

In the FY 2014-15, the State suffered continual onslaught of natural calamities, the brunt of which is mostly borne by Agriculture and related activities. SLBC has always been very proactive in such calamities by issuing necessary guidelines in respect of relief measures, organizing special meetings and guiding the members whenever necessary.

As SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. A total of 93.97 lakh accounts were opened in the State and the State was declared as saturated for the purpose of opening of accounts. The process of opening of accounts continues.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY:

The Bank actively participated in the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) announced and launched by the Prime Minister of India on 15.08.2014 and 28.08.2014 respectively.

Survey of all allotted 3051 rural Sub Service Areas (SSAs) and 755 urban wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has engaged

माध्यम से 2974 बैंक मित्र तैनात किए। बैंक मित्रों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है और निर्धारित मासिक वेतन और परिवर्तनशील कमीशन के माध्यम से न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना अभियान अवधि के दौरान बैंक ने कुल 17.71 लाख खाते खोले और सभी खाताधारकों को रु-पे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए। सभी अभिनिर्धारित गैर-समावेशी परिवारों के भी खाते खोले गए। अभियान अवधि के दौरान खोले गए इन खातों में कुल ₹ 206.14 करोड़ की रकम बैंक ने संग्रहित की। बैंक ने ई-केवाईसी का उपयोग करके आधार क्रमांक के आधार पर खाता खोलने की प्रणाली का कार्यान्वयन किया। बैंक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ऑन-अस और ऑफ-अस) तथा रु-पे कार्ड पिन आधारित व्यवहारों पर बैंक लाइव है। खाताधारकों के लिए बैंक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) और डीबीटीएल (एलपीजी गैस सबसिडी) का भी प्रोसेसिंग कर रहा है। बैंकिंग उद्योग में बैंक के एपीएस व्यवहार सबसे अधिक है।

बैंक वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार माइक्रो बीमा उत्पाद और पेंशन योजना का कार्यान्वयन करने की प्रक्रियाधीन है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) की शिकायतों के निपटान हेतु टोल फ्री क्रमांक 18001022636 सहित बैंक का एक पूर्ण समाधानी कॉल सेंटर है।

स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता की सामग्री तैयार कर शाखाओं और बैंक मित्रों को उपलब्ध की गई है ताकि वित्तीय साक्षरता कैंपों के दौरान इन्हे खाताधारकों में वितरित किया जा सके। उद्योग, व्यापार व सेवा फेडरेशन, नई दिल्ली ने बैंक को प्रधानमंत्री जन-धन योजना में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। दिनांक 31.03.2015 को बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 391 हैं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं।

सभी 391 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं। इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 13 नई शाखाएं खोली हैं।

इस वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमा राशियों में चालू खाता बचत खाता जमा राशियों का हिस्सा 58.07% रहा। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का परिचालनगत लाभ ₹95.25 करोड़ का रहा (24.83 प्रतिशत की वृद्धि)।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आबंटित 898 उप सेवा क्षेत्र और 80 वार्डों का सर्वेक्षण बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु किया गया। बैंक ने सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में 898 बीसीए तैनात किए। प्रधानमंत्री जन-धन योजना अभियान अवधि के दौरान कुल 3.06 लाख खाते खोले गए और सभी खाता धारकों को रु-पे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए।

वर्ष 2014-15 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशियों में 18.64 प्रतिशत और कुल अग्रियों में 21.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

8.2 दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100% अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता

2,974 Bank Mitrs through corporate BCs and under own BCA model in all the allotted SSAs. The Bank Mitrs are being paid monthly remuneration regularly and minimum remuneration is ensured by paying fixed monthly pay and variable commission.

Total 17.71 lakh Savings Bank accounts have been opened by the Bank during the PMJDY campaign period and RuPay ATM Debit cards have been issued to all the accountholders. Savings accounts of all the identified uncovered households have been opened. The Bank has mobilized ₹206.14 Crore in these accounts opened during the campaign period. The Bank also implemented Aadhaar based account opening using e-KYC. The Bank is live on Aadhaar Enabled Payment System (On-us and Off-us) and RuPay card PIN Based transactions. The Bank has been processing the DBT (Direct Benefit Transfer) and DBTL (LPG Gas Subsidy) for the accountholders. Bank is having highest number of AEPS transactions in banking industry.

The Bank is in the process of implementation of micro insurance products and pension scheme as per the directions of the Ministry of Finance.

The Bank has a full-fledged call centre with toll free number 18001022636 for redressal of PMJDY grievances.

The Financial Literacy Material has been prepared in vernacular languages and supplied to all Branches / Bank Mitrs for supplying the same to accountholders during FLC campaign. Bank has been awarded for excellent performance in PMJDY by Federation of Industry Trade and Services, New Delhi.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra state. Total no of branches as on 31.3.2015 stood at 391 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra State.

All 391 branches and controlling offices are now under CBS. MGB opened 13 new branches during this year.

The percentage of CASA to total deposit is 58.07 %. Operating profit of MGB is ₹95.25 Crore (growth of 24.83 %).

Under Pradhan Mantri Jandhan Yojana surveys of all allotted 898 SSAs and 80 wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has engaged 898 BCAs in all allotted SSAs. Total 3.06 lakh accounts have been opened during the PMJDY campaign period and "RuPay ATM debit cards" have been issued to all the account holders.

During this year 2014-15, MGB has grown by 18.64 % in total deposits and 21.60 % in advances.

8.2 The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.

Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting and Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- Management of investments and house properties as attorney
- Guardianship of minor's property

- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं। कंपनी लगभग 1100 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है। वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 25 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1086 हो गई है।

कंपनी द्वारा वर्तमान में 82 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 170 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 6 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मेटको का निवल लाभ ₹ 27.67 लाख है।

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं :

मुंबई स्थित देश की प्रतिष्ठित हिन्दी-सेवी संस्था, “आशीर्वाद” द्वारा बैंक में राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु दिनांक 31.10.2014 को आयोजित समारोह में निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए :

- बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुशील मुहनोत को ‘राजभाषा रत्न’ पुरस्कार
- बैंक के महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा) श्री नरेन्द्र काबरा को ‘राजभाषा गौरव’ पुरस्कार
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वर्ष 2013-14 के दौरान बेहतर हिन्दी कार्यान्वयन के लिए विशेष पुरस्कार

23 सितंबर 2014 को प्रधान कार्यालय, पुणे में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत वर्ष 2013-14 की बैंक की आंतरिक राजभाषा ट्राफी योजना के विजेता अंचल कार्यालयों, शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय के विभागों के पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 12 और 13 दिसंबर, 2014 को जयपुर में सभी राजभाषा अधिकारियों हेतु राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया।

महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) की 30वीं बैठक दिनांक 03 मार्च, 2015 को बैंक के प्रधान कार्यालय पुणे में आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्य स्तरीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के विजेता बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, पुणे द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रकाशन - स्कूली बच्चों को वित्तीय साक्षर बनाने हेतु कार्टून पुस्तिका ‘बचत की कहानी’ और बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन ‘क्षितिज’ जारी किए गए।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य सेतु निर्माण की भावना से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुदेशों के अनुसार राजभाषा प्रयोग आपसी संवाद सार्थक दिशा के तहत बैंक ने विभिन्न अंचलों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के अनेक कार्यक्रमों का प्रायोजन किया। इनमें साहित्य सम्मेलनों, नाटक, सुगम-संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रायोजन शामिल है।

राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा हिन्दी के दैनंदिन प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से बैंक के इंटरनेट के यूएलसी लॉग-इन पृष्ठ पर द्विभाषी ‘आज का शब्द’ नियमित रूप से दिया जाना आरंभ किया गया। राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा नवोन्मेषी प्रयास के अंतर्गत जुलाई 2014 माह से नियमित मासिक राजभाषा ई-पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

संसदीय राजभाषा समिति की अलेख व साक्ष्य समिति ने दिनांक 08 जनवरी, 2015 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर के सदस्य के रूप में हमारे नागपुर अंचल कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया।

- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1100 Public and Private Trusts. During the year, additional 25 Wills were added making total 1086 Will in its custody for execution.

At present, the Company manages properties both movable and immovable of 82 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 170 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 6 cases.

The net profit of METCO for F.Y. 2014-2015 is ₹.27.67 lakh.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2014-15, the Bank has made various remarkable achievements in the field of Official Language implementation.

Mumbai based Prestigious Institution in the field of Hindi, ‘Aashirvad’ awarded following trophies in a function held on 31.10.2014 to the Bank:

- ‘Rajbhasha Ratna’ Award to Bank's Chairman and Managing Director Shri S. Muhnot.
- ‘Rajbhasha Gourav’ Award to Bank's General Manager (HRM and Rajbhasha) Shri Narendra Kabra.
- Special Award to Bank of Maharashtra for Better Hindi Implementation during the year 2013-14.

On 23rd September, 2014 Hindi day function was held in Head Office, Pune, where Bank's Internal Rajbhasha Trophy Scheme winner Zonal Offices, Branches and Head Office Depts for the year 2013-14 were awarded.

An all India Seminar was organized in Jaipur on 12th and 13th December, 2014 for all Official Language Officers of the Bank.

On 3rd March, 2015, 30th meeting of Maharashtra State Level Banker's Committee (Rajbhasha) was held at Head Office, Lokmangal, Pune; wherein shields were presented to the winner member banks and financial institutions of state level Rajbhasha Shield competition.

Rajbhasha V bhag, Head Office, Pune published two unique publications during the year. One is a cartoon book ‘Bachat ki Kahani’ meant for school children under financial literacy program and the second one ‘Kshitiz’ is a compilation of poems written by bank's own officers and employees.

As per instructions issued by DFS, Ministry of Finance, Govt. of India under Rajbhasha Prayog Aapsi Samvad Sathak Disha as bridge-building exercise between Hindi and other Regional Language, our bank sponsored numerous Hindi and Regional language programs in various Zones. Sponsored programs include literary Meets, Dramas, Folk music and Cultural programs.

To promote Use of Hindi in day-to-day work Rajbhasha Vibhag, Head Office, Pune started ‘Aaj Ka Shabd’ in bilingual form on ULC log-in page of bank's intranet daily. As a new initiative Monthly Rajbhasha E-Patrika is being regularly published since July, 2014.

During its visit on 08th January, 2015 to Nagpur TOLIC, Drafting and Evidence Committee of Parliamentary Committee on Official Language reviewed Official Language Implementation work of Bank's Nagpur Zonal Office, as member of TOLIC, Nagpur.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, सोलापुर व लातूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजन करता है। इस वर्ष समिति के बेहतर संयोजन के लिए बैंक की पुणे नगराकास को 'ख' क्षेत्र में **प्रथम क्रमांक की इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड** से सम्मानित किया गया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम) द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संयोजन में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे, को श्रेष्ठ संयोजन के लिए 'ख' क्षेत्र हेतु **प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा संयोजित उक्त चारों नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने वर्ष के दौरान हिन्दी से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संपन्न कीं और निर्धारित समय पर बैठकों का आयोजन किया।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) हैदराबाद द्वारा दिनांक 19.05.2014 को बैंक के **हैदराबाद अंचल को द्वितीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जलगांव द्वारा **जलगांव अंचल** को वर्ष 2013-14 के लिए **द्वितीय पुरस्कार व ट्रॉफी** से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2014-15 के दौरान उप निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा हमारे **दिल्ली, नागपुर, मुंबई शहर, भोपाल एवं जळगांव** अंचल कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में इंदौर अंचल की सुन्दरेल शाखा के उप प्रबंधक श्री दीपक भालचंद्र कर्पे को वर्ष 2014 में भाषिक समूह 'ख' में **द्वितीय पुरस्कार** प्रदान किया गया।

10. 2014-15 हेतु अवार्ड

बैंक ने चालू वर्ष 2014-15 के लिए निम्नलिखित अवार्ड प्राप्त किए

क. वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में बीएफएसआई अवार्ड

1. सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड
2. सर्वाधिक पसंदीदा सेवाओं वाला बैंक
3. सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वाला बैंक
4. सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उन्मुखता वाला बैंक
5. कॉर्पोरेट कम्प्यूटेशन अवार्ड

ख. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डॉ. श्री रघुराम राजन से दिनांक 15.10.2014 को "मध्यम आकार के बैंकों के बीच आईटी जोखिम के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ बैंक" का अवार्ड

ग. सीआईएमएसएमएस (भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम चेंबर) द्वारा सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक अवार्ड - लार्ज बैंक - रनर अप

11. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गईं और उनको सतत आधार पर लागू किया गया। यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और वर्ष के लिए लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।

Bank of Maharashtra is the convener of 04 Town Official Language Implementation Committees namely Mumbai, Pune, Solapur and Latur. This year Town Official Language Implementation Committee (Bank) Pune was conferred **1st prize of prestigious Indira Gandhi Shield** for better coordination of the committee. Also, Mumbai Regional Implementation Office (West), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GOI awarded 1st prize for 'B' Region to TOLIC (Bank) Pune.

All four Town Official Language Implementation Committees convened by the bank conducted various activities throughout the year and organized meetings as per schedule.

Town official Language Implementation Committee, Hyderabad awarded **2nd prize** to Bank's Zonal Office, Hyderabad on 19.05.2014 for better use of Official Language.

Town official Language Implementation Committee, Jalgaon awarded **2nd prize and trophy** for the year 2013-14 to **Zonal Office, Jalgaon** for better use of Official Language.

During the year 2014-15, Deputy Director (O.L.), Regional Implementation Office, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs inspected the progressive use of Hindi at our **Delhi, Nagpur, Mumbai City, Bhopal and Jalgaon** Zonal Offices.

Shri Deepak Bhalchandra Karpe, Dy. Manager posted at our Sundrel branch (Indore) has been awarded **1nd prize** in **RBI's Inter-bank Hindi Essay competition** for the year 2014 in under Linguistic Group 'B'.

10. Awards for 2014-15

Bank received following awards for current year 2014-15.

A) BFSI Award by World HRD Congress

1. Best Bank Award.
2. Bank with Most Admired Services.
3. Bank with Best Customer Services.
4. Bank with Best Technology orientation.
5. Corporate Communication Awards.

B) "Best Bank for Managing IT risk among mid size Banks" award from Dr. Raghuram Rajan, Governor, Reserve Bank of India on 15th October, 2014.

C) Best MSME bank Award – Large bank – Runner –up by CIMSMS (Chamber of Indian Micro, Small and Medium enterprises).

11. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2015:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.

- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.


12. निदेशक मंडल में परिवर्तन

- वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
- डॉ. सुनील यू. देशपांडे दिनांक 16.03.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे.
- डॉ. एस. राजगोपाल दिनांक 10.06.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे.
- श्री जी. श्रीकुमार की दिनांक 10.06.2014 से भारिबैं के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई.
- श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद्र सेठी का दिनांक 27.06.2014 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचन हुआ.
- श्री आर सी अग्रवाल दिनांक 05.08.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे.
- निदेशक मंडल निर्गामी निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग की सराहना करता है.

13. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और बैंक के सर्वांगीण विकास में "महाबैंक परिवार" के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबद्धता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से



(एस मुहनोट)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे

दिनांक: 14 मई, 2015

- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

12. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

- During the year 2014-15, the following changes took place in the Board of Directors:
- Dr. Sunil U. Deshpande, ceased to be Director wef.16.03.2014.
- Dr.S.Rajagopal ceased to be Director wef.10.06.2014.
- Shri.G. Sreekumar was appointed as RBI nominee Director wef.10.06.2014.
- Shri.Premchandra Amolakchand Sethi was elected as Shareholder Director wef.27.06.2014
- Shri. R C Agrawal, ceased to be a Director wef.05.08.2014
- The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the outgoing Directors.

13. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors



(S. Muhnot)

Place : Pune

Date : 14th May, 2015

Chairman and Managing Director

वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2014-15

1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है। बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। हमारे ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल

- 2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है।
- 2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरीयों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

31 मार्च 2015 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

- 2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended from time to time.
- 2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2015 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2015 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2015	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री सुशील मुह्नोट Shri Sushil Muhnot	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य NIL	10	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 09.11.2013 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 09.11.2013 by the Central Government
2	श्री आर. आत्मराम Shri R.Athmaram	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	13	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Executive Director w.e.f. 07.08.2013 by the Central Government.

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2015 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2015	बैंक की उप- समितियों की सदस्यता No. of member ship in Sub Commit- tees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात् बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियां (बैंक में/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of ap- pointment in the Bank / other Companies)
3	श्री आर. के. गुप्ता Shri. R.K.Gupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	13	01	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2013 by the Central Government. He is also the Chairman of the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
4	श्री अतीश सिंह Shri Ateesh Singh	निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारत सरकार द्वारा नामित Director (Non Executive) Government Nominee	शून्य NIL	07	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 20.07.2012 को निदेशक के रूप में नामित किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 20.07.2012 by the Central Government
5	श्री जी. श्रीकुमार Shri.G. Sreekumar	निदेशक (गैर-कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित Director (Non Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	06	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2014 से निदेशक के रूप में नामित किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government
6	श्री रामदेव एल. सायदीवाल Shri Ramadev L Saydiwal	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non Executive) Representing Workmen employees	शून्य NIL	03	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2013 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2013 by the Central Government
7	श्री संजीव जैन Shri. Sanjeev Jain	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	06	02	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.08.2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 19.08.2013 by the Central Government
8	श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी Shri.Premchandra Amolak- chand Sethi	निदेशक (गैर- कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Shareholders	200	09	02	शून्य NIL	दिनांक 27.06.2014 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए. वे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रो-जी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। Elected as Shareholder Di- rector w.e.f.27.06.2014. He is Director on the Board of Aarti Industries Ltd. & Pro-G Agro Pvt.Ltd.

2.3 वर्ष (2014-15) के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान

डॉ. एस. राजगोपाल, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 से अगले आदेशों तक बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया था, दिनांक 10 जून, 2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (च) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा डॉ. सुनील यू. देशपांडे को अधिसूचना की तारीख 19 दिसंबर 2011 से तीन वर्षों की अवधि अथवा बैंक का अधिकारी न रहने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अधिकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था, उनके निदेशकत्व को आस्थगित रखा गया था, वे दिनांक 16.03.2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री जी. श्रीकुमार को दिनांक 10 जून, 2014 से अगले आदेशों तक डॉ. एस. राजगोपाल के स्थान पर बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत दिनांक 05 अगस्त, 2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त श्री आर. सी. अग्रवाल, नियुक्ति अवधि की समाप्ति पर दिनांक 05 अगस्त, 2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी दिनांक 27 जून, 2014 से तीन वर्षों की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए।

2.4 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

2.4.1 श्री जी. श्रीकुमार

नाम	श्री जी. श्रीकुमार
पता	भारतीय रिजर्व बैंक, चतुर्थ तल, भायखला कार्यालय भवन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400 008.
जन्म दिनांक	20.07.1961
आयु	53 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एमए, सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आपको दिनांक 10 जून, 2014 से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अगले आदेशों तक बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अनुभव	वे भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार एवं बैंक खाते विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक में 1986 से कार्यरत हैं। वे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की केन्द्रीय परिषद के सदस्य भी हैं।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year (2014-15):

Dr.S.Rajagopal, appointed by the Central Government as Director on 13th March 2014 under section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 until further orders ceased to be Director on 10th June 2014.

Dr. Sunil U. Deshpande, renominated by the Central Government as Officer Employee Director on 19th December 2011 under section 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until he ceases to be an officer of the Bank or until further orders, whose directorship had been kept under abeyance, ceased to be Director w.e.f.16.03.2014.

Shri.G. Sreekumar was appointed by the Central Government as Director on 10th June 2014 under section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 until further orders in place of Dr. S.Rajagopal.

Shri. R C Agrawal, who was appointed as Director for a period of three years on 05th August, 2011 under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 05th August, 2014 on the expiry of his term of appointment.

Shri.Premchandra Amolakchand Sethi, was elected as Shareholder Director on 27th June, 2014 under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for the period of three years from 27th June 2014.

2.4 Profile of Directors appointed during the financial year 2014-15

2.4.1 Shri G Sreekumar

Name	Shri. G. Sreekumar
Address	Reserve Bank of India, 4 th Floor, Byculia office Building, opposite Mumbai Central Station, Byculia, Mumbai-400 008
Date of Birth	20.07.1961
Age	53 years
Qualification	MA, CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as the Director of the Bank as RBI Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post until further orders.
Experience	He is working as Chief General Manager, RBI, Department of Government & Bank Accounts. He is working in RBI since 1986. He is also member of Central Council, Institute of Cost Accountants of India.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.2 श्री पी ए सेठी

नाम	श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी
पता	12-ए, वाइसराय पार्क टॉवर डी, ठाकुर विलेज, कांदिवली (पूर्व) मुंबई 400101
जन्म दिनांक	19.10.1944
आयु	70 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम, सीएआईआईबी, लागत एवं प्रबंधन लेखांकन में पी.जी. डिप्लोमा
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (झ) के अंतर्गत आपको दिनांक 27 जून, 2014 से तीन वर्षों की अवधि हेतु बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है।
अनुभव	बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 वर्षों की सराहनीय सेवा का सुदीर्घ अनुभव, जिसमें अंतरदेशीय और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के क्षेत्र में महाप्रबंधक का दायित्व निर्वह शामिल है। मार्च, 2003 से अक्टूबर, 2004 तक आपने विजया बैंक में कार्यपालक निदेशक पद पर कार्य किया। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की विभिन्न ओवरसीज सहायक कंपनियों में नामित निदेशक के रूप में कार्य किया। आप नवंबर 2009 से मार्च 2014 तक आईसीआईसीआई बैंक की ग्राहक सेवा परिषद में बाह्य सदस्य भी रहे। आप भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में स्वतंत्र निदेशक भी रहे।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	सितंबर, 2008 से वे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अथवा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं और प्रो-जी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक हैं।

नोट : पिछली वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेतु नामित उम्मीदार श्रीमती सुनीता शर्मा ने एक विवाद उठाया है तथा मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। माननीय उच्च न्यायालय ने, याचिकाकर्ता को बिना किसी राहत के, रिट याचिका का निपटान किया है। श्रीमती सुनीता शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दाखिल की है जिसे स्वीकार किया गया है।

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 10 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

13.05.14	26.06.14	11.07.14	02.08.14	11.09.14
17.10.14	07.11.14	20.12.14	13.02.15	19.03.15

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2014 से 31.03.2015	10	10
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	10	09

2.4.2 Shri P A Sethi

Name	Shri.Premchandra Amolakchand Sethi
Address	12-A, Viceroy Park Tower D, Thakur Village, Kandivali(East), Mumbai- 400 101
Date of Birth	19.10.1944
Age	70 years
Qualification	B.Com, CAIIB, P G Diploma in Costing and Management Accounting.
Nature of appointment as Director	Elected as the Shareholder Director of the Bank w.e.f. 27.06.2014 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of 3 years.
Experience	He has 40 Years of Meritorious career in Bank of Baroda, including responsibilities in domestic and international areas of operations, as General Manager before elevating as Executive Director of Vijaya Bank from March 2003 to October 2004. He has worked as Nominee Director at various overseas subsidiaries of Bank of Baroda. He was also external member on Customer Service Council of ICICI Bank from November 2009 to March 2014. He was also on Small Industries Development Bank of India (SIDBI) as independent Director.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	He is on the Board of AARTI Industries Ltd. as Independent Director from September 2008. He is a shareholder director in Pro-G Agro Pvt Ltd.

Note: Mrs Sunita Sharma ,a candidate nominated for the election of one Shareholder Director in the last Annual General Meeting had raised a dispute and preferred writ petition in Bombay High Court. The Hon'ble High Court disposed off this writ petition without any relief to the petitioner. Mrs Sunita Sharma has filed a special leave petition in Supreme Court , which has been admitted.

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2014-15, 10 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

13.05.14	26.06.14	11.07.14	02.08.14	11.09.14
17.10.14	07.11.14	20.12.14	13.02.15	19.03.15

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 31.03.2015	10	10
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	10	09

श्री आर. के गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	10	10
श्री अतीश सिंह	01.04.2014 से 31.03.2015	10	03
डॉ. एस. राजगोपाल	01.04.2014 से 10.06.2014	01	01
श्री जी. श्रीकुमार	10.06.2014 से 31.03.2015	09	06
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2014 से 04.08.2014	04	04
श्री आर. एल. सायदीवाल	01.04.2014 से 31.03.2015	10	10
श्री संजीव जैन	01.04.2014 से 31.03.2015	10	10
श्री पी.ए. सेठी	27.06.2014 से 31.03.2015	08	07

2.6 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात् सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार, दिनांक 26 जून, 2014 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

01	श्री सुशील मुहनोट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
02	श्री आर. आत्माराम	कार्यपालक निदेशक
03	श्री आर. के गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
04	श्री आर.सी. अग्रवाल	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक और निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
05	श्री आर. एल. सायदीवाल	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
06	श्री संजीव जैन	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की छह सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना
- ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- परिसर/क्वार्टर्स व अन्य वस्तुओं को अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना तथा
- निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

Shri.R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	10	10
Shri Ateesh Singh	01.04.2014 to 31.03.2015	10	03
Dr.S.Rajagopal	01.04.2014 to 10.06.2014	01	01
Shri.G. Sreekumar	10.06.2014 to 31.03.2015	09	06
Shri R C Agrawal	01.04.2014 to 04.08.2014	04	04
Shri.R.L. Saydiwal	01.04.2014 to 31.03.2015	10	10
Shri. Sanjeev Jain	01.04.2014 to 31.03.2015	10	10
Shri.P.A.Sethi	27.06.2014 to 31.03.2015	08	07

2.6 Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the code.

3.0 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Thursday, the 26th June 2014 at Appasaheb Joag Hall Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 where following Directors were present.

1	Shri S. Muhnot	Chairman & Managing Director
2	Shri R. Athmaram	Executive Director
3	Shri R. K. Gupta	Executive Director
4	Shri R. C. Agrawal	Director appointed by Govt. of India and Chairman of Audit Committee of the Board
5	Shri Ramdev L. Saydiwal	Workmen Employee Director
6	Shri. Sanjeev Jain	Director appointed by Govt. of India

4.0 Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with six members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- Sanction of credit and investment proposals,
- Sanction of loan compromise / write off proposals,
- Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and other procurements
- Any other matter referred by the Board.

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 16 बैठकें हुईं:

28.04.14	26.06.14	02.08.14	26.08.14	11.09.14	25.09.14	17.10.14	07.11.14
22.11.14	10.12.14	19.12.14	22.01.15	13.02.15	28.02.15	18.03.15	30.03.15

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2014 से 1.03.2015	16	16
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 1.03.2015	16	15
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 1.03.2015	16	16
डॉ. एस. राजगोपाल	01.04.2014 से 10.06.2014	01	01
श्री जी. श्रीकुमार	10.06.2014 से 31.03.2015	15	11
श्री आर.सी. अग्रवाल	18.05.2014 से 26.06.2014	01	01
श्री आर.एल. सायदीवाल	01.04.2014 से 17.05.2014 02.08.2014 से 01.02.2015	11	11
श्री संजीव जैन	01.04.2014 से 31.07.2014	02	02
श्री पी.ए. सेठी	02.08.2014 से 01.02.2015	10	10

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii	श्री आर. के गुप्ता	सदस्य
iv	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य

बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की लंबे समय से रिक्तियों के कारण इस समिति में 3 गैर- कार्यपालक निदेशकों को नामित किया जाना शेष है.

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है. समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है.

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता, पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है.

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है.

घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है.

The Committee met 16 times during the period under review on the following dates:

28.04.14	26.06.14	02.08.14	26.08.14	11.09.14	25.09.14	17.10.14	07.11.14
22.11.14	10.12.14	19.12.14	22.01.15	13.02.15	28.02.15	18.03.15	30.03.15

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 1.03.2015	16	16
Shri R. Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	16	15
Shri R. K. Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	16	16
Dr.S.Rajagopal	01.04.2014 to 10.06.2014	01	01
Shri G. Sreekumar	10.06.2014 to 31.03.2015	15	11
Shri R.C. Agrawal	18.05.2014 to 26.06.2014	01	01
Shri R.L. Saydiwal	01.04.2014 to 17.05.2014 02.08.2014 to 01.02.2015	11	11
Shri Sanjeev Jain	01.04.2014 to 31.07.2014	02	02
Shri P.A.Sethi	02.08.2014 to 01.02.2015	10	10

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

i	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii	Shri R.Athmaram	Member
iii	Shri R.K.Gupta	Member
iv	Shri G. Sreekumar	Member

Due to the persisting vacancies of directors on the Board of the Bank, three non-executive directors are yet to be nominated on this committee.

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

- ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.
- As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.
- ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

ड.) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य पर निगरानी रखता है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण का अनुपालन करता है.

च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है. यह समिति लॉग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है.

छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति लिस्टिंग समझौता के खंड 49 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है.

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें हुई. बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

12.05.14	09.06.14	11.07.14	01.08.14	10.09.14	17.10.14
07.11.14	19.12.14	13.02.15	28.02.15	18.03.15	27.03.15

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर.सी.अग्रवाल	01.04.2014 से 04.08.2014	04	04
श्री संजीव जैन	01.04.2014 से 26.06.2014 02.08.2014 से 31.03.2015	10	09
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	12	11
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	12	12
श्री अतीश सिंह	01.04.2014 से 31.03.2015	12	04
डॉ. एस. राजगोपाल	01.04.2014 से 10.06.2014	02	02
श्री जी. श्रीकुमार	10.06.2014 से 31.03.2015	10	07

श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं.

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री संजीव जैन	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री अतीश सिंह	सदस्य
v.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य

बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की लंबे समय से रिक्तियों के कारण इस समिति में एक गैर- कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाना शेष है.

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. इस समिति में पांच निदेशक सदस्य हैं. समिति ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपनों को शामिल करते हुए, समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां व रणनीतियां तैयार करती है.

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुई.

26.06.14	01.08.14	26.11.14	18.03.15
----------	----------	----------	----------

- ACB monitors the work done under concurrent audit, and compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.
- ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- ACB to take care of other issues entrusted to it under Clause 49 of the Listing Agreement.

During the year, the ACB met 12 times and the dates of the meetings are as under:

12.05.14	09.06.14	11.07.14	01.08.14	10.09.14	17.10.14
07.11.14	19.12.14	13.02.15	28.02.15	18.03.15	27.03.15

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R. C. Agrawal	01.04.2014 to 04.08.2014	04	04
Shri Sanjeev Jain	01.04.2014 to 26.06.2014 02.08.2014 to 31.03.2015	10	09
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	12	11
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	12	12
Shri Ateesh Singh	01.04.2014 to 31.03.2015	12	04
Dr.S.Rajagopal	01.04.2014 to 10.06.2014	02	02
Shri G. Sreekumar	10.06.2014 to 31.03.2015	10	07

Mrs. M.P.Devadhar, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

i.	Shri Sanjeev Jain	Chairman
ii.	Shri R.Athmaram	Member
iii.	Shri R.K.Gupta	Member
iv.	Shri Ateesh Singh	Member
v.	Shri G. Sreekumar	Member

Due to the persisting vacancies of directors on the Board of the Bank, one non-executive director is yet to be nominated on this committee.

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with Five Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 04 times during the year as under.

26.06.14	01.08.14	26.11.14	18.03.15
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2014 से 31.03.2015	04	04
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	04	04
श्री आर. सी. अग्रवाल	01.04.2014 से 04.08.2014	02	02
श्री संजीव जैन	01.04.2014 से 24.03.2015	04	04
श्री पी.ए. सेठी	02.08.2014 से 31.03.2015	02	02

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | | |
|------|---------------------|---------|
| i. | श्री सुशील मुहनोत | अध्यक्ष |
| ii. | श्री आर. आत्माराम | सदस्य |
| iii. | श्री आर. के. गुप्ता | सदस्य |
| iv. | श्री संजीव जैन | सदस्य |
| v. | श्री पी.ए. सेठी | सदस्य |

4.4 निवेशकों और शेयरधारकों की शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति

कार्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी के दिशानिर्देशों और लिस्टिंग समझौते की धारा 49 के अनुसार शेयरों के अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश इत्यादि प्राप्त न होने से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु समिति का गठन किया गया है। जैसा उक्त खंड में अपेक्षित है, गैर-कार्यपालक निदेशक श्री आर.सी. अग्रवाल अपना कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 04.08.2014 तक इस समिति के अध्यक्ष थे। तदुपरान्त गैर कार्यपालक निदेशक श्री संजीव जैन समिति के अध्यक्ष रहे।

दिनांक 13.02.2015 को शेयर अंतरण समिति का अलग से गठन होने तक समिति ने शेयर अंतरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार किया। वर्ष के दौरान समिति ने माह में तीन बार परिचालन के द्वारा संकल्प अपनाते हुए शेयर अंतरण, शेयरों का ट्रांसमिशन और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुमोदन किया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 5 बैठकें हुईं।

13.05.14	02.08.14	17.10.14	19.12.14	18.03.15
----------	----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2014 से 04.08.2014	02	02
श्री संजीव जैन	01.04.2014 से 18.03.2015	05	05
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 18.03.2015	05	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 18.03.2015	05	05
श्री आर.एल. सायदीवाल	01.04.2014 से 31.03.2015	05	05

लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 के उप खंड क्र. VIII (E) (4) के अनुसार इस समिति को दिनांक 13.02.2015 से “हितधारकों की संबंध समिति” के रूप में नामित किया गया।

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 31.03.2015	04	04
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	04	04
Shri R.C.Agrawal	01.04.2014 to 04.08.2014	02	02
Shri Sanjeev Jain	01.04.2014 to 24.03.2015	04	04
Shri P.A.Sethi	02.08.2014 to 31.03.2015	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

- | | | |
|------|--------------------|----------|
| i. | Shri Sushil Muhnot | Chairman |
| ii. | Shri R.Athmaram | Member |
| iii. | Shri R.K.Gupta | Member |
| iv. | Shri Sanjeev Jain | Member |
| v. | Shri P A Sethi | Member |

4.4 Investors' and Shareholders' Grievances Committee and Share Transfer Committee:

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as well as Clause 49 of the Listing Agreement, the Committee was constituted to look into the redressal of investors' and Shareholders' grievances regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc. Shri.R.C.Agrawal, Non Executive Director was the Chairman of the Committee as required in the said clause till 04.08.2014 when his tenure got over. Thereafter, Shri. Sanjeev Jain, a Non Executive Director was the Chairman of the Committee.

The Committee also considered various matters pertaining to share transfers, till a separate Share Transfer Committee was formed on 13.02.2015. During the year, the Committee approved share transfers, transmission of shares and issuance of duplicate share certificates by adopting resolutions by circulation thrice in a month.

The Committee met 5 times during the year as under:

13.05.14	02.08.14	17.10.14	19.12.14	18.03.15
----------	----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.C.Agrawal	01.04.2014 to 04.08.2014	02	02
Shri Sanjeev Jain	01.04.2014 to 18.03.2015	05	05
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 18.03.2015	05	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 18.03.2015	05	05
Shri R.L.Saydiwal	01.04.2014 to 31.03.2015	05	05

This Committee was designated as “Stakeholders Relationship Committee” as per the sub clause no VIII (E)(4) of revised Clause 49 of the Listing Agreement w.e.f 13.02.2015.

4.4.1 हितधारकों की संबंध समिति

बैंक के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 के उप खंड क्र. VIII (E) (4) के अनुसार निदेशक मंडल की दिनांक 13.02.2015 को आयोजित बैठक में “हितधारकों की संबंध समिति” का गठन किया गया. 31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री संजीव जैन	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री आर.एल. सायदीवाल	सदस्य
v	श्री पी.ए. सेठी	सदस्य

दिनांक 18.03.2015 को समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे.

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

01.04.2014 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	293
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	293
31.03.2015 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

शेयरों को भौतिक रूप से डी-मैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था.

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है.

4.4.2 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 13.02.2015 को “शेयर अंतरण समिति” का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने इत्यादि का अनुमोदन करती है जबकि यह कार्य पहले “निवेशकों एवं शेयरधारकों की शिकायत समिति तथा शेयर अंतरण समिति” द्वारा देखा जाता था.

समिति के गठन के पश्चात निम्नलिखित तारीखों को बैठकों का आयोजन किया गया.

24.02.2015	03.03.2015	12.03.2015	24.03.2015
------------	------------	------------	------------

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस. मुहनोट	13.02.2015 से 31.03.2015	04	04
श्री आर. आत्माराम	13.02.2015 से 31.03.2015	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	13.02.2015 से 31.03.2015	04	04

4.5 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है. समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है.

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

26.06.14	11.09.14	19.12.14	18.03.15
----------	----------	----------	----------

4.4.1 Stakeholders Relationship Committee

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board in its meeting held on 13.02.2015 as per the sub clause no VIII (E)(4) of revised Clause 49 of the Listing Agreement to oversee the grievanaces redressal of security holders of the Bank and composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

i.	Shri. Sanjeev Jain	Chairman
ii.	Shri R.Athmaram	Member
iii.	Shri R.K.Gupta	Member
iv.	Shri R.L.Saydiwal	Member
v.	Shri P.A.Sethi	Member

This Committee held its meeting on 18.03.2015, where all the members were present.

The position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2014	0
Number of complaints received during the year	293
Number of complaints resolved during the year	293
Number of complaints pending as on 31.03.2015	0

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to Demat form.

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.4.2 Share Transfer Committee

On 13.02.2015, Board has formed “Share Transfer Committee” to approve transfer, transmission and name deletion etc. in respect of shares and these functions were hitherto looked after by “Investors’ and Shareholders’ Grievances Committee and Share Transfer Committee”:

The Committee met on following dates after its formation

24.02.2015	03.03.2015	12.03.2015	24.03.2015
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri S.Muhnot	13.02.2015 to 31.03.2015	4	4
Shri R.Athmaram	13.02.2015 to 31.03.2015	4	4
Shri R.K.Gupta	13.02.2015 to 31.03.2015	4	4

4.5 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above.

The Committee met 4 times during the year as under:

26.06.14	11.09.14	19.12.14	18.03.15
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस. मुहनोत	01.04.2014 से 31.03.2015	04	04
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	04	03
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	04	04
श्री अतीश सिंह	01.04.2014 से 31.03.2015	04	01
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2014 से 01.08.2014	01	01
श्री संजीव जैन	02.08.2014 से 31.03.2015	03	03

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री सुशील मुहनोत अध्यक्ष
- श्री आर. आत्माराम सदस्य
- श्री आर. के. गुप्ता सदस्य
- श्री अतीश सिंह सदस्य
- श्री संजीव जैन सदस्य

4.6 निदेशक पदोन्नति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

17.10.14	30.03.15
----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2014 से 31.03.2015	02	02
श्री आर.आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	02	02
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	02	02
श्री अतीश सिंह	01.04.2014 से 31.03.2015	02	01
डॉ. एस. राजगोपालन	01.04.2014 से 10.06.2014	00	00
श्री जी. श्रीकुमार	10.06.2014 से 31.03.2015	02	02

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री सुशील मुहनोत अध्यक्ष
- श्री आर. आत्माराम सदस्य
- श्री आर. के. गुप्ता सदस्य
- श्री अतीश सिंह सदस्य
- श्री जी. श्रीकुमार सदस्य

4.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है।

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 31.03.2015	04	04
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	04	03
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	04	04
Shri Ateesh Singh	01.04.2014 to 31.03.2015	04	01
Shri R.C.Agrawal	01.04.2014 to 01.08.2014	01	01
Shri Sanjeev Jain	02.08.2014 to 31.03.2015	03	03

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

- Shri Sushil Muhnot Chairman
- Shri R.Athmaram Member
- Shri R.K.Gupta Member
- Shri Ateesh Singh Member
- Shri Sanjeev Jain Member

4.6 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 2 times during the year as under:

17.10.14	30.03.15
----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 31.03.2015	02	02
Shri R Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	02	02
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	02	02
Shri Ateesh Singh	01.04.2014 to 31.03.2015	02	01
Dr.S.Rajagopal	01.04.2014 to 10.06.2014	00	00
Shri G. Sreekumar	10.06.2014 to 31.03.2015	02	02

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under.

- Shri Sushil Muhnot Chairman
- Shri R.Athmaram Member
- Shri R.K.Gupta Member
- Shri Ateesh Singh Member
- Shri G. Sreekumar Member

4.7 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

11.07.14	19.12.14	18.03.15
----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2014 से 31.03.2015	03	03
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	03	02
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	03	03
श्री आर.एल.सायदीवाल	01.04.2014 से 31.03.2015	03	03

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री आर.एल. सायदीवाल	सदस्य

4.8 पारिश्रमिक समिति

समिति का गठन पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने तथा उन्हें देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को अनुमोदित करने के लिए किया गया था। समिति में चार सदस्य हैं यथा श्री अतीश सिंह, श्री जी. श्रीकुमार, श्री संजीव जैन तथा श्री पी.ए. सेठी। समिति की बैठक दिनांक 17.10.2014 को हुई तथा इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे। समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि पर निर्णय लेने हेतु दिए गए मानदंडों पर बैंक के मात्रात्मक व गुणात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया। पूर्णकालिक निदेशकों को वर्ष 2013-14 के लिए ऐसी कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई थी।

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री अतीश सिंह	अध्यक्ष
ii.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
iii.	श्री संजीव जैन	सदस्य
iv.	श्री पी.ए. सेठी	सदस्य

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं श्री अतीश सिंह, श्री आर.सी. अग्रवाल और श्री संजीव जैन तथा दिनांक 26.06.2014 को आयोजित एक शेररधारक के निर्वाचन हेतु नामित सदस्य को उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान करने के लिए दिनांक 13.06.2014 को समिति की बैठक संपन्न हुई। सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

4.10 प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 3 बैठकें हुईं :

25.06.2014	10.09.2014	18.03.2015
------------	------------	------------

The Committee met 3 times during the year as under:

11.07.14	19.12.14	18.03.15
----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 31.03.2015	03	03
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	03	02
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	03	03
Shri R.L.Saydiwal	01.04.2014 to 31.03.2015	03	03

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

i.	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii.	Shri R Athmaram	Member
iii.	Shri R K Gupta	Member
iv.	Shri R L Saydiwal	Member

4.8 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for determining the performance-linked incentive payable to them. The Committee comprised of four members, namely Shri Ateesh Singh, Shri.G. Sreekumar, Shri. Sanjeev Jain and Shri P A Sethi. The Committee met on 17.10.2014 and all the members attended the meeting. The Committee evaluated the qualitative and quantitative performance of the Bank on the given parameters, to decide on the performance linked incentive, admissible to the Whole Time Directors of the Bank for the year 2013-14. The Whole Time Directors were not paid such incentive for the year 2013-14.

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

i.	Shri Ateesh Singh	Chairman
ii.	Shri.G. Sreekumar	Member
iii.	Shri Sanjeev Jain	Member
iv.	Shri.P.A.Sethi	Member

4.9 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected directors. The Committee then comprised of three non-executive directors, i.e. Shri Ateesh Singh, Shri R C Agrawal and Shri. Sanjeev Jain and the meeting of the Committee was held on 13.06.2014, to accord fit and proper status to the candidates nominated for the election of one shareholder director, scheduled on 26.06.2014. All the members attended the meeting.

4.10 Technology Committee

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The Committee met 3 times during the year as under:

25.06.14	10.09.14	18.03.15
----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	03	03
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	03	03
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2014 से 01.08.2014	01	01
श्री संजीव जैन	02.08.2014 से 31.03.2015	02	02
श्री पी.ए. सेठी	02.08.2014 से 31.03.2015	02	02

31 मार्च 2015 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री संजीव जैन	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री पी. ए. सेठी	सदस्य
v.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य

4.11 ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया. समिति को ₹ 250.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं. प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
- महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

वर्ष के दौरान समिति की 29 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	16.04.14	09	08.08.14	17	21.11.14	25	18.02.15
02	23.04.14	10	03.09.14	18	05.12.14	26	02.03.15
03	20.05.14	11	13.09.14	19	17.12.14	27	12.03.15
04	18.06.14	12	17.09.14	20	26.12.14	28	24.03.15
05	23.06.14	13	24.09.14	21	31.12.14	29	30.03.15
06	03.07.14	14	08.10.14	22	13.01.15		
07	09.07.14	15	22.10.14	23	28.01.15		
08	30.07.14	16	01.11.14	24	06.02.15		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोट	01.04.2014 से 31.03.2015	29	29
श्री आर. आत्माराम	01.04.2014 से 31.03.2015	29	27
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2014 से 31.03.2015	29	22

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	03	03
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	03	03
Shri R.C.Agrawal	01.04.2014 to 01.08.2014	01	01
Shri Sanjeev Jain	02.08.2014 to 31.03.2015	02	02
Shri P.A.Sethi	02.08.2014 to 31.03.2015	02	02

The composition of the Committee as on March 31, 2015 is as under:

i.	Shri. Sanjeev Jain	Chairman
ii.	Shri. R.Athmaram	Member
iii.	Shri.R.K.Gupta	Member
iv.	Shri.P.A.Sethi	Member

4.11 Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to ₹ 250.00 crore and loan compromise/write off proposals. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- Chairman & Managing Director
- Executive Director/s
- General Manager, Credit
- General Manager, Credit Priority
- General Manager, Recovery and Legal Services.
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Integrated Risk Management

The Committee met 29 times during the year on the dates given below.

Sr. No.	Date	Sr. No.	Date	Sr. No.	Date	Sr. No.	Date
01	16.04.14	09	08.08.14	17	21.11.14	25	18.02.15
02	23.04.14	10	03.09.14	18	05.12.14	26	02.03.15
03	20.05.14	11	13.09.14	19	17.12.14	27	12.03.15
04	18.06.14	12	17.09.14	20	26.12.14	28	24.03.15
05	23.06.14	13	24.09.14	21	31.12.14	29	30.03.15
06	03.07.14	14	08.10.14	22	13.01.15		
07	09.07.14	15	22.10.14	23	28.01.15		
08	30.07.14	16	01.11.14	24	06.02.15		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2014 to 31.03.2015	29	29
Shri R.Athmaram	01.04.2014 to 31.03.2015	29	27
Shri R.K.Gupta	01.04.2014 to 31.03.2015	29	22

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
- महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

4.12 वर्ष के दौरान वसूली निगरानी समिति (2), कोटिअवनयन व दबावग्रस्त खातों की निगरानी समिति (11) और परिसर रणनीति व व्यय नियंत्रण समिति (1) की बैठकें भी आयोजित हुईं। ऐसी कंपनियां जहां बैंक की ईक्विटी है, उनमें निदेशक के निर्वाचन में उम्मीदवारों को सहयोग करनेवाली समिति की बैठक इस वर्ष नहीं हुई। (कोष्ठक के आंकड़े वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या दर्शाते हैं)

4.13 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशकों (तीन पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है -

क्र	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	19,94,400.00
2	श्री आर. आत्माराम	कार्यपालक निदेशक	16,56,778.50
3	श्री आर.के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	16,56,778.50

वर्ष के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुड़ी कोई भी प्रोत्साहन की राशि नहीं दी गई।

वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है)।

क्र	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
1	श्री आर.सी. अग्रवाल	100000
2	श्री आर.एल. सायदीवाल	200000
3	श्री संजीव जैन	245000
4	श्री पी. ए. सेठी	215000
	कुल	760000

The meetings were also attended by the following executives.

- General Manager, Credit
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Integrated Risk Management
- General Manager, Credit Priority – As per requirement
- General Manager, Recovery- As per requirement

4.12 The meetings of Committee for Monitoring Recovery (2), Committee for Monitoring Slippages and Stressed Accounts (11) and Premises Strategy and Expenditure Control Committee (1) were also held during the year. The Committee for supporting candidates in election for Director in Companies where the Bank has Equity did not meet in this year.

(Figures in bracket denote number of meetings held during the year)

4.13 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director and two Executive Directors (3 whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India. The details of salaries paid to Chairman & Managing Director and Executive Directors are as under:

Sr No	Name	Designation	Amount ₹
1	Shri Sushil Muhnot	Chairman & Managing Director	19,94,400.00
2	Shri R.Athmaram	Executive Director	16,56,778.50
3	Shri R.K.Gupta	Executive Director	16,56,778.50

No performance linked incentive was paid to the Whole Time Directors during the year.

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2014-15 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹.)
01	Shri R.C. Agrawal	100000
02	Shri.R.L. Saydiwal	200000
03	Shri. Sanjeev Jain	245000
04	Shri P A Sethi	215000
	Total	760000

6. सर्वसाधारण बैठकें :

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार Nature	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose
9वीं वार्षिक साधारण आम सभा Ninth Annual General Meeting	25 जून 2012 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 25 th June 2012	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005	वर्ष 2011-2012 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2011-12.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	18 मार्च, 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 18 th March 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन और एफपीओ / अधिकार / क्यूआईपी निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by Special Resolution and approval for issue of equity share capital in the form of FPO/Rights/QIP issue.
10वीं वार्षिक साधारण आम सभा Tenth Annual General Meeting	14 जून 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 14 th June 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	वर्ष 2012-13 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना तथा लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2012-13.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	09 दिसंबर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 09 th December 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by Special Resolution.
11वीं वार्षिक साधारण आम सभा Eleventh Annual General Meeting	26 जून 2014 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 26 th June 2014	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) वर्ष 2013-14 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना तथा वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश की पुष्टि Adoption of audited Annual accounts for the year 2013-14, confirmation of Interim Dividend for the year 2013-14. ii) भारत सरकार द्वारा धारित पीएनसीपीएस के परिवर्तन द्वारा भारत सरकार को अधिमान आधार पर ईक्विटी शेयर जारी करने का अनुमोदन, भारतीय जीवन बीमा निगम को विशेष संकल्प द्वारा ईक्विटी शेयर का अधिमान आबंटन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by conversion of PNCPs held by Govt of India, preferential issue of equity shares to LIC of India by Special Resolution iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन Election of one shareholder director

6.2 दिनांक 26.06.2014 को संपन्न 11वीं साधारण वार्षिक साधारण आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए.

क. बेमीयादी गैरसंचयी अधिमानी शेयर पूंजी के ईक्विटी शेयर में परिवर्तन पर भारत सरकार को ₹ 588 करोड़ के ईक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन करना.

ख. भारतीय जीवन बीमा निगम/निगम की योजनाओं को ₹ 400 करोड़ तक के ईक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन करना.

6.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण आम सभा में भाग लेने के लिए भेजा.

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

6.2 In the Eleventh Annual General Meeting held on 26.06.2014, following Special Resolutions were passed

- Preferential allotment of equity shares to Govt of India on conversion of PNCPs worth ₹ 588 Crore
- Preferential allotment of equity shares to LIC of India/its schemes upto ₹ 400 crore.

6.3 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the General Meetings of the Bank.

7. प्रकटीकरण

- 7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष टकराव हुआ हो।
- 7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/ डीआईएल/सीजी/1/2004/12/10 और बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/ सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2006/13 तथा 16 दिसंबर 2010 के परि/सीएफडी/ डीआईएल/10/ 2010 द्वारा संशोधित तथा सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 17.04.2014 क्रमांक परिपत्र/सीएफडी/ नीति कक्ष/2/2014 और दिनांक 15.09.2014 का परिपत्र क्रमांक परिपत्र/सीएफडी/नीति कक्ष/7/2014 से सूचित व लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 में किए गए उपबंध के अनुसार बैंक ने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है, जिस सीमा तक ये उन कानूनों और संबंधित विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करते हों और जिनके अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है।
- 7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया और विनियामक प्राधिकारियों जैसे कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी कानून दिशानिर्देश या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मुद्दे के उल्लंघन के लिए बैंक के विरुद्ध कोई पाबंदी या दंड नहीं लगाया। तथापि तुलनपत्र की दिनांक के बाद अर्थात् दिनांक 31.03.2015 के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) और धन शोधन निवारण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत ₹ 1.50 करोड़ का दंड लगाया है।
- 7.4 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रपत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अंग है।

7.5 लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का अनुपालन

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक खंड 49 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए।

क) निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया-

- सीईओ/सीएफओ प्रमाणन - लिस्टिंग समझौते के खंड 49 (V) के अनुसार बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक - मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सीएफओ (महाप्रबंधक-वित्तीय प्रबंधन व लेखा) ने निदेशक मंडल को प्रमाणित किया है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ी नहीं गई है अथवा कोई भ्रामक विवरण नहीं दिया गया है। सभी विवरण मिलकर बैंक के कार्यकलापों का सही और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानून और विनियमावली का अनुपालन सिद्ध करते हैं। प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं।
- लेखांकन पद्धति पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां
तुलनपत्र की अनुसूची 18 की मद 11 में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2015 को समाप्त तिमाही में ऋणों और अग्रिमों को पहचान कर जालसाजी के रूप में वर्गीकृत किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के परिपत्र क्र. डी बी आर/ बीपी. बीसी 83/21.04.048/2014-15 के अनुसार उक्त ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान किए गए हैं।
- व्हिसल ब्लोअर नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का अंग बनाया गया।

7. Disclosures:

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

7.2 During the year under review, the Bank has complied with all mandatory requirements, to the extent applicable, as provided in the Clause 49 of the Listing Agreement, as advised by SEBI vide its circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2004/12/10 dated 29th October 2004 and later amended vide its circulars SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2006 / 13 dated 13th January, 2006 and Cir/CFD/DIL/10/2010 dated 16th December 2010, and as provided in the revised clause 49 of the Listing Agreement, as advised by SEBI vide its circular No. CIR/ CFD / POLICY CELL/2/2014 dated April 17,2014 and CIR/ CFD / POLICY CELL/7/2014 dated September 15,2014, to the extent they do not violate the statutes under which the Bank is constituted and guidelines or directives issued by the relevant regulatory authorities.

7.3 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market. However, after the date of Balance Sheet, i.e. 31.03.2015, the Reserve Bank of India has imposed penalty of ₹. 1.50 crore on the Bank under section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949 for violation of Reserve Bank of India Instructions on Know Your Customer (KYC) / Anty Money Laundering (AML).

7.4 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

7.5 Compliance with Clause 49 of the Listing Agreement

The Bank has complied with all the mandatory requirements of revised Clause 49 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

a) Following mandatory requirement are complied with:

- CEO/CFO Certification-as per clause 49 (V) of the listing agreement, the Chairman & Managing Director- Chief Executive Officer & CFO (General Manager-FM&A) of the Bank have certified to the Board that the financial statements do not contain an materially untrue statement or omit any material fact or contains statement that might be misleading and that the statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable Laws and Regulations. The certificate forms part of the Annual Report.
- Audit observations on accounting treatment
As stated in Note 11, in Schedule 18 to the Balance Sheet, where, in respect of loans and advances detected and classified as fraud during the quarter ended 31.03.2015, provision was made in terms of cir of RBI DBR.No BP.BC.83/21.04.048/2014-15, dated April 1, 2015.
- Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board.

iv कार्यपालक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के भुगतान के अनुमोदन के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया. अंतिम बैठक दिनांक 17.10.2014 को संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे.

v निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण:

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आय सी एस आई) द्वारा मुंबई में आयोजित निदेशकों की राउंड टेबल बैठक में दिनांक 19 अगस्त, 2014 को श्री रामदेव सायदीवाल ने सहभाग लिया. सीएफएआरएल मुंबई द्वारा दिनांक 17 नवंबर, 2014 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में श्री संजीव जैन और श्री पी ए सेठी का नामांकन किया गया

लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग है:

ख) निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया - शेयरधारकों के अधिकार - दिनांक 30.09.2014 को समाप्त छमाही हेतु बैंक के कार्यनिष्पादन संबंधी घोषणा और बैंक के निदेशक मंडल पर श्री जी श्रीकुमार और श्री पी ए सेठी की नियुक्ति/निर्वाचन की सूचना दिनांक 07.11.2014 के पत्र क्र. एएक्स1/आईएस/2014-15 के द्वारा वैयक्तिक शेयरधारक को भेजी गई.

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए. परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ-साथ ही उपलब्ध किया जाता है.

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया.

को समाप्त अवधि	दैनिक का नाम			प्रकाशन का दिनांक
	मराठी	अंग्रेजी	हिन्दी	
जून 2014	सकाळ	बिजनेस स्टैंडर्ड	नवभारत टाइम्स	03.08.2014
सितंबर 2014	लोकसत्ता	दि इंडियन एक्सप्रेस	नवभारत टाइम्स	09.11.2014/ 08.11.2014
दिसंबर 2014	लोकसत्ता	दि फिनांशियल एक्सप्रेस	नवभारत टाइम्स	14.02.2015
मार्च 2015	सकाळ	दि फिनांशियल एक्सप्रेस	नवभारत	15.5.2015

9. शेयरधारकों का ब्यौरा:

9.1 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्योरे:

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में बैंक के शेयर 12.04.2004 से सूचीबद्ध किये गये हैं. स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं -

बीएसई	532525
एनएसई	महाबैंक - ईक्यू (MAHABANK - EQ)

उक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

iv Remuneration Committee is formed for approving the payment of performance linked incentive to the Executive Directors. Last meeting was held on 17.10.2014 and all the members were present.

v Training of Board members:

Shri. Ramadev Saydiwal attended the Directors round table meet conducted by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) at Mumbai on 19th August, 2014. Shri Sanjeev Jain and Shri P A Sethi, were nominated to the 'Program for Non Executive Directors of PSBs' conducted by CAFRAL, Mumbai on 17th November, 2014.

The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance of clause 49, of the Listing Agreement, forms part of the Annual Report.

b) Following non-mandatory requirements are complied with:

Shareholder rights – Information on the declaration of performance of the Bank for half year ended 30.09.2014, along with the information regarding Shri G.Sreekumar and Shri P. A.Sethi, the Directors appointed/ elected during the half year was communicated to the individual Shareholders vide letter no. AX1/IS/2014-15 dated 07.11.2014.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily as below. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the daily			Date of publication
	Marathi	English	Hindi	
June 2014	Sakal	The Business Standard	Navbharat Times	03.08.2014
September 2014	Loksatta	The Indian Express	Navbharat Times	09.11.2014/ 08.11.2014
December 2014	Loksatta	The Financial Express	Navbharat Times	14.02.2015
March 2015	Sakal	The Financial Express	Navbharat	15.05.2015

9. Shareholder Information:

9.1 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) since 12.04.2004. The scrip codes are as under:

BSE	532525
NSE	MAHABANK - EQ

The annual listing fee for the year 2015-16 has been paid to the Stock Exchanges.

9.2 बारहवीं वार्षिक साधारण आम सभा के विवरण:

लेखा व लाभांश पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 14.05.2015
बारहवीं वार्षिक साधारण आम सभा का स्थान, दिनांक और समय	सोमवार दिनांक 29 जून 2015 को प्रातः 10.30 बजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अप्पासाहेब जोग हॉल, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	04.06.2015
बहियों के बंद होने का दिनांक	23 जून 2015 से 29 जून 2015
लाभांश भुगतान का दिनांक	8 जुलाई 2015

9.3 वित्तीय कैलेंडर (अंतिम)

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अंतिम समय
30 जून, 2015	14 अगस्त 2015 से पूर्व
30 सितंबर, 2015	14 नवंबर 2015 से पूर्व
31 दिसंबर, 2015	14 फरवरी 2016 से पूर्व
31 मार्च, 2016 (वार्षिक)	18 मई 2016 से पूर्व

9.4 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस लि., मुंबई, रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं। शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 21/22 भूतल, काशिराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड (घडीयाल गोदी) मस्जिद (पू) मुंबई - 400009 टेलीफोन 022-2372 6253-56 फैक्स: 022-2372-6252 ई-मेल: uday_mcs@yahoo in	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 फोन : (020) 2551 1360 फैक्स: (020) 2553 3246 ईमेल-investor_services@mahabank.co.in

बैंक ने एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड को एमसीएस लिमिटेड के स्थान पर रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं इस परिवर्तन की प्रभावी तारीख के संबंध में उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

बैंक द्वारा जारी बॉण्डों के ट्रस्टियों का विवरण निम्नानुसार है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉ लनी (राइट) कोथरुड, पुणे 411038, (महाराष्ट्र), भारत
फोन क्र.	020-25280081
फैक्स क्र.	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

9.2 Particulars of the Twelfth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	14 th May 2015
Date, Time and Venue of Twelfth AGM.	At 10.30 a.m. on Monday, the 29 th June 2015, at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005,
Posting of Annual Report	4 th June 2015
Dates of Book Closure	23 rd June 2015 to 29 th June 2015
Date of payment of dividend	8 th July 2015

9.3 Financial Calendar (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2015	Before 14 th August 2015
30th September 2015	Before 14 th November 2015
31st December 2015	Before 14 th February 2016
31st March 2016 (Annual)	Before 18 th May 2016

9.4 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai - 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56 Fax: (022) 2372 6252 e-mail: uday_mcs@yahoo.in	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020) 25511360 Fax (020) 25533246 e-mail: investor_services@mahabank.co.in

The Bank has decided to appoint MCS Share Transfer Agent Ltd. as RTAs in place of MCS Ltd. for which the formalities are being completed. The effective date of this change will be notified in due course.

The details of the Trustee for the bonds issued by the Bank are as under.

Name of the debenture trustee	GDA Trusteeship Limited
Address	GDA House, S. No 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune 411038, Maharashtra, India
Phone Number	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

9.5 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनइसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि का भुगतान करने की अनोखी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है तथापि शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली हमारे बैंक की शाखा में होना चाहिए।

एनइसीएस अधिदेश फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। जिसे शेयरधारकों द्वारा भरकर भौतिक रूप में शेयरों का धारण करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाए। डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से उनके बैंक खाता विवरण अपडेट करने हेतु संपर्क करें।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को अपने सीबीएस खातों का विवरण लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु सूचित करें।

9.6 अदत्त लाभांश

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए लाभांश वारंट और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश का नकदीकरण न किया हो, वे लाभांश वारंटों के पुनर्वैधिकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 को प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान या बिना दावे के खाते में पड़ी है, को “निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि” में अंतरित किया जाएगा। यह निधि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) के अधीन गठित की गई है। इसके बाद बैंक और “निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि” में लाभांश के भुगतान का कोई भी दावा लंबित नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 से अदत्त/दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया गया तथा इसका ब्योरा बैंक के वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए दावा न किया गया/अदत्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से 90 दिनों के भीतर कथित निधि को अंतरित किया जाएगा।

9.7 शेयरों का डी-मैटीकरण

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों - नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आर्बिट्रि आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दी गई है।

31 मार्च 2015 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में डीमैट:	48801	27.41	7099177	0.67
1. एनएसडीएल	92319	51.85	192178686	18.07
2. सीडीएसएल ★★	36922	20.74	863905058	81.26
उप जोड़	129241	72.59	1056083744	99.33
कुल	178042	100.00	1063182921	100.00

(★ भारत सरकार द्वारा धारित 84,83,73,774 शेयरों सहित)

9.5 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the Annual Report, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend

9.6 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and interim Dividend for FY 2013-14 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to “Investor Education and Protection Fund” (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to IEPF.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06 and 2006-07 have been transferred to “Investor Education and Protection Fund”. the details are displayed on the Bank's web-site. The dividend for the year 2007-08 remaining unclaimed/unpaid will be transferred to the said fund within 90 days of the date of the ensuing Annual General Meeting.

9.7 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2014-15 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2015 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	48801	27.41	7099177	0.67
Demat:				
NSDL	92319	51.85	192178686	18.07
CDSL*	36922	20.74	863905058	81.26
Sub-total	129241	72.59	1056083744	99.33
Total	178042	100.00	1063182921	100.00

(*Including 848373774 shares held by the Government of India)

9.8 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:-

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा शेयरों की मात्रा संख्या में)

9.8 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

महीना Month	बीएसई BSE			एनएसई NSE			सेंसेक्स SENSEX	
	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low
अप्रैल April, 14	40.25	37.15	1678450	40.35	37.00	5837612	22939	22198
मई May	54.50	36.50	5481005	54.50	36.50	21732346	25376	22277
जून June	55.15	45.10	5671394	55.10	45.00	18574267	25725	24270
जुलाई July	53.85	46.50	3415631	53.90	46.50	16910034	26300	24892
अगस्त August	47.65	41.15	1235598	47.70	41.05	4840528	26674	25233
सितंबर September	48.75	40.00	2193807	48.70	39.30	5865929	27355	26220
अक्तूबर October	43.90	39.50	1038743	43.50	39.50	3425102	27894	25911
नवंबर November	48.00	42.05	1749969	48.40	42.05	7930081	28822	27740
दिसंबर December	45.40	39.20	1224075	45.50	39.25	4576640	28810	26469
जनवरी January, 15	45.60	41.05	1288406	46.00	41.00	4905761	29844	26776
फरवरी February	42.40	39.05	863279	43.00	39.05	3432424	29560	28044
मार्च March	41.70	36.00	639942	42.00	34.15	7154950	30025	27868

9.9 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.03.2014	31.03.2015
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	4.56	4.50
लाभांश (%)	10%	8%
बही मूल्य (₹)	66.69	65.61
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर)	21.73	18.87
* शेयरधारकों के अनुमोदन के अधधीन		

9.9 Per Share Data:

Particulars	31.3.2014	31.3.2015
Face Value (₹.)	10/-	10/-
EPS (₹.)	4.56	4.50
Dividend (%)	10%	8%
Book Value (₹.)	66.69	65.61
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	21.73	18.87
*Subject to approval of Share Holders		

9.10. शेयरधारिता का वितरण

31.03.2015 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का%	शेयरों की संख्या	कुल का%
500 तक	163264	91.70	21840396	2.05
501-1000	8350	4.69	6839521	0.64
1001-2000	3666	2.06	5545226	0.52
2001-3000	962	0.54	2461313	0.23
3001-4000	468	0.26	1682579	0.16
4001-5000	377	0.21	1777955	0.17
5001-10000	504	0.28	3695928	0.35
10000* से ऊपर	451	0.26	1019340003	95.88
कुल	178042	100.00	1063182921	100.00
(* भारत सरकार द्वारा धारित 84,83,73,774 शेयरों का समावेश है)				

9.10 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.03.2015 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	163264	91.70	21840396	2.05
501 -1000	8350	4.69	6839521	0.64
1001-2000	3666	2.06	5545226	0.52
2001-3000	962	0.54	2461313	0.23
3001-4000	468	0.26	1682579	0.16
4001-5000	377	0.21	1777955	0.17
5001-10000	504	0.28	3695928	0.35
Above 10000*	451	0.26	1019340003	95.88
Total	178042	100.00	1063182921	100.00
[* Includes 84,83,73,774 shares held by the Government of India]				

9.11 शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2015 तथा 31.03.2014 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

श्रेणी	31.03.2015 को		31.3.2014 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	84,83,73,774	79.80	71,50,10,200	85.21
म्युच्युअल फंड/यूटीआई	47,812	0.01	9,61,271	0.11
बैंक/वित्तीय संस्थान /	4,18,506	0.04	1,11,95,858	1.33
बीमा कंपनियां	15,08,41,774	14.19	4,71,37,591	5.62
विदेशी संस्थागत निवेशक	48,40,254	0.45	40,14,024	0.48
घरेलू कंपनियां	48,66,915	0.45	68,43,222	0.82
न्यास (ट्रस्ट)	1,12,000	0.01	1,27,100	0.02
भारतीय निवासी व्यक्ति	5,17,91,277	4.87	5,23,22,411	6.23
अनिवासी भारतीय	18,90,509	0.18	14,84,050	0.18
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	106,31,82,921	100.00	83,90,95,827	100.00

9.12 भारत सरकार / भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमाम्य आबंटन आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन

बैंक के शेयरधारकों की दिनांक 26 जून 2014 को हुई वार्षिक आम सभा में विशेष प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए :-

1. ₹ 10/- प्रत्येक के 13,33,63,574 इक्विटी शेयर नकदी ₹ 34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 587,99,99,877.66 के लिए भारत सरकार को उसके द्वारा जुलाई 2014 में धारित 5880 बेमियादी गैर संचयी अधिमाम्य शेयर जिनका अंकित मूल्य ₹ 10,00,000 प्रति शेयर था, को परिवर्तित कर जारी एवं आबंटित किए गए।
2. ₹ 10/- के 9,07,23,520 के इक्विटी शेयर ₹ 34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम पर जिनका कुल मूल्य ₹ 400 करोड़ था, भारतीय जीवन बीमा निगम / भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को जारी और आबंटित किए गए।

9.13 शेयरधारकों से पत्राचार में हरित पहल

“हरित पहल” के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95 /2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने अद्यतित ई-मेल आईडी की हमें जानकारी दें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 26 जून 2014 को संपन्न हुई 11 वीं वार्षिक आम सभा की सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज बैंक ने 58072 शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे गए।

9.11 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.3.2015 and 31.03.2014 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2015		As on 31.03.2014	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	84,83,73,774	79.80	71,50,10,200	85.21
Mutual Fund/ UTI	47,812	0.01	9,61,271	0.11
Banks/Financial Institutions	4,18,506	0.04	1,11,95,858	1.33
Insurance Companies	15,08,41,774	14.19	4,71,37,591	5.62
Foreign Institutional Investors	48,40,254	0.45	40,14,024	0.48
Domestic Companies	48,66,915	0.45	68,43,222	0.82
Trusts	1,12,000	0.01	1,27,100	0.02
Resident Individuals	5,17,91,277	4.87	5,23,22,411	6.23
Non Resident Individuals	18,90,509	0.18	14,84,050	0.18
Overseas Bodies Corporate	100	0.00	100	0.00
Total	106,31,82,921	100.00	83,90,95,827	100.00

9.12 Allotment of equity shares to Government of India/LIC on preferential allotment basis

As approved by Special Resolution in the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 26th June 2014,

- 13,33,63,574 equity shares of ₹.10/- each for cash at a premium of ₹. 34.09 per share aggregating ₹. 587,99,99,877.66 were issued and allotted to the Government of India, on preferential allotment basis by conversion of 5,880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPs) having face value of ₹ 10,00,000 each, held by Govt of India, in July 2014.
- 9,07,23,520 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 34.09 per share aggregating ₹ 400 Crore were issued and allotted to LIC and/or various schemes of LIC of India.

9.13 Green Initiatives in communication to the shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of “Green Initiative”. Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/update their email ids to enable the Bank to send the notices/communications/documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of the Bank, held on 26th June 2014 were sent to 58072 shareholder by electronic mode.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। आचार संहिता बैंक की वेब साइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का पालन किया है।


Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2015.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

For Bank of Maharashtra




स्थान : पुणे

(एस मुहनोट)

Place : Pune

(S. Muhnot)

दिनांक : 14 मई, 2015

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Date : 14th May, 2015

Chairman and Managing Director

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी
द्वारा प्रमाणपत्र/घोषणा

सेवा में,
निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
पुणे

प्रिय महोदय,

विषय : वर्ष 2014-15 हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र समेकित

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता समझौतों के खंड 41 और 49 के अनुसरण में हम प्रमाणित करते हैं कि :

- क. हमने वर्ष 2014-15 हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण (समेकित) की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.
 - ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.
- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए / प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.
- घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है:
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.
 - हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

ए. वाई. शेडशाळे
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा और
मुख्य वित्तीय अधिकारी)

एस. मुह्नोट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 14 मई, 2015

स्थान : पुणे

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing
Director CEO/CFO CERTIFICATION

Board of Directors,
Bank of Maharashtra
Pune

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2014-15 - Consolidated

Pursuant to clause 41 and 49 of the Listing Agreements with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2014-15 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having significant role in the Bank's internal control systems over financial reporting.

A.Y.Shedshale
General Manager
(FM& A & CFO)

S.Muhnot
Chairman & Managing Director

Date: 14th May 2015

Place: Pune

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हुए लिस्टिंग समझौते के खंड 49 की शर्तों के अनुसार यथा लागू सीमा तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन और उसके कार्यान्वयन तथा कार्यविधि तक हमारी जांच सीमित थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंध तंत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त लिस्टिंग समझौते में निर्धारित कारपोरेट गवर्नंस के मानदंडों का बैंक ने अनुपालन किया है।

हमारा कथन है कि 31 मार्च 2015 को बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत बैंक द्वारा रखे गये अभिलेख के आधार पर एक महीने से ज्यादा लंबित नहीं थी।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यकलापों के आचरण की कार्यक्षमता या प्रभावी होने का भावी आश्वासन है।

कृते जी. बसु एंड कंपनी

एफआरएन 301174ई
सनदी लेखाकार

सीए एस. लाहिरी
भागीदार
सदस्यता क्र. 51717

कृते पारेख एंड कंपनी

एफआरएन 001475सी
सनदी लेखाकार

सीए थालेन्द्र शर्मा
भागीदार
सदस्यता क्र. 079236

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी

एफआरएन 318121ई
सनदी लेखाकार

सीए के.के. सिंह
भागीदार
सदस्यता क्र. 052539

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी

एफआरएन 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार

सीए जे.वी. धोंगडे
भागीदार
सदस्यता क्र. 37290

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.03.2015 as stipulated vide Clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges, to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance was pending for a period exceeding one month as at 31st March 2015 against the Bank as per the records maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For G.Basu & Co

FRN 301174E
Chartered Accountants

CA S.Lahiri
Partner
Membership No.51717

For Parakh & Co

FRN 001475C
Chartered Accountants

CA Thalendra Sharma
Partner
Membership No. 079236

For Singh Ray Mishra & Co

FRN 318121E
Chartered Accountants

CA K K Singh
Partner
Membership No 052539

For A.R.Sulakhe & Co

FRN 110540W
Chartered Accountants

CA J V Dhongde
Partner
Membership No. 37290

स्थान : पुणे

दिनांक: 14 मई, 2015

Place: Pune

Dated: 14th May 2015

वित्तीय विवरण

Financial Statements

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2014 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1063,18,29	1427,09,58
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7004,15,17	5941,04,59
जमा राशियां Deposits	3	122118,94,25	116803,08,91
उधारियां Borrowings	4	11126,72,45	8326,47,35
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	4705,79,11	3822,34,77
जोड़ TOTAL		146018,79,27	136320,05,20
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	6652,74,93	5991,38,72
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	100,36,49	110,90,99
निवेश Investments	8	36714,79,14	37249,58,39
अग्रिम Advances	9	98599,09,98	88920,39,90
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1432,17,30	1446,00,78
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2519,61,43	2601,76,42
जोड़ TOTAL		146018,79,27	136320,05,20
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	31005,86,84	25119,84,41
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		3334,74,51	3067,31,11
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर के गुप्ता
 कार्यपालक निदेशक
R.K. GUPTA
 EXECUTIVE DIRECTOR

आर आत्माराम
 कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
 EXECUTIVE DIRECTOR

एस मुह्नोत
 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

पी ए सेठी
 निदेशक
P A SETHI
 DIRECTOR

संजीव जैन
 निदेशक
SANJEEV JAIN
 DIRECTOR

आर एल सायदीवाल
 निदेशक
R L SAYADIWAL
 DIRECTOR

जी श्रीकुमार
 निदेशक
G SREEKUMAR
 DIRECTOR

वी रमेश प्रभु
 सहायक महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
V RAMESH PRABHU
 Asst. Gen. Manager, FM&A

एस एम मथे
 उप महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
S M METHE
 Dy. Gen. Manager, FM&A

ए वाई शेडशाळे
 महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
A Y SHEDSHALE
 General Manager, FM&A

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 14 मई, 2015

Date : 14th May, 2015

अनुमत्य अनुपस्थिति के कारण श्री अतीश सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए।

"Shri Ateesh Singh did not sign since, he was granted leave of absence."

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	12665,44,35	11956,65,68
अन्य आय Other Income	14	1005,98,08	894,18,99
जोड़ TOTAL		13671,42,43	12850,84,67
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	8790,40,47	8447,72,52
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2525,93,04	2396,74,88
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1904,39,74	1620,40,46
जोड़ TOTAL		13220,73,25	12464,87,86
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		450,69,18	385,96,81
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		30,14,20	—
जोड़े : राजस्व आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Revenue Reserve		—	—
जोड़ TOTAL		480,83,38	385,96,81
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		112,67,30	96,49,21
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		35,39,06	12,86,42
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		30,14,20	—
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		50,00,00	75,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		14,06,25	11,38,62
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		—	52,92,00
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		85,05,46	—
लाभांश पर कर Tax on Dividend		17,00,59	8,99,38
अंतरिम लाभांश और अंतरिम लाभांश पर कर Interim Dividend & Tax on Interim Dividend		—	98,17,00
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		136,50,52	30,14,18
जोड़ TOTAL		480,83,38	385,96,81
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		4.50	4.56

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते जी. बसु एंड कंपनी
एफआरएन: 301174ई
सनदी लेखाकार
For G Basu & Co.
FRN: 301174E
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
एफआरएन: 318121ई
सनदी लेखाकार
For Singh Ray Mishra & Co.
FRN: 318121E
Chartered Accountants

कृते पारेख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए आर सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

सीएस लाहिरी
CA S Lahiri
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :51717
Membership No:51717

सीके के सिंह
CA K K Singh
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :052939
Membership No:052939

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :079236
Membership No:079236

सीए जे वी धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :37290
Membership No:37290

स्थान : पुणे
दिनांक : 14 मई, 2015

Place : Pune
Date : 14th May, 2015

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
₹10/- के इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	3000,00,00	3000,00,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed		
₹10/- के 106,31,82,921 (गत वर्ष 83,90,95,827) इक्विटी शेयर 106,31,82,921 Equity Shares (Previous year 83,90,95,827) of ₹10/- each		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	839,09,58	661,47,59
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	224,08,71	177,61,99
	1063,18,29	839,09,58
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital		
क. केन्द्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government		
₹10/- के 84,83,73,774 (गत वर्ष 71,50,10,200) इक्विटी शेयर 84,83,73,774 (Previous year 71,50,10,200) Equity shares of ₹10/- each	848,37,38	715,01,02
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others		
₹10/- के 21,48,09,147 (गत वर्ष 12,40,85,627) इक्विटी शेयर 21,48,09,147 (Previous year 12,40,85,627) Equity Shares of ₹10/- each	214,80,91	124,08,56
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	—	—
	1063,18,29	839,09,58
	1063,18,29	839,09,58
बेमियादी गैरसंचयी अधिमन्य शेयर Perpetual Non Cumulative Preference Shares		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित रु.10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमन्य शेयर 5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- each held by Central Government		
	—	588,00,00
	—	588,00,00
जोड़ TOTAL	1063,18,29	1427,09,58

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1114,64,87	1018,15,66
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	112,67,30	96,49,21
	1227,32,17	1114,64,87
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	152,66,96	139,80,54
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	35,39,06	12,86,42
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	—
	188,06,02	152,66,96
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1884,52,04	1262,14,03
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	763,91,29	622,38,01
	2648,43,33	1884,52,04
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES		
क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1347,98,82	1201,55,83
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	30,14,20	146,42,99
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	—
	1378,13,02	1347,98,82

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	318,00,00		243,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	50,00,00		75,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	368,00,00	—	318,00,00
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1065,57,63		1120,25,71	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		—	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	49,43,85	1016,13,78	54,68,08	1065,57,63
घ) निवेश आरक्षित खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	27,50,09		16,11,47	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	14,06,25		11,38,62	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	41,56,34	—	27,50,09
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	136,50,52	136,50,52	30,14,18	30,14,18
जोड़ TOTAL		7004,15,17		5941,04,59

अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
क I. मांग जमा राशियां A. DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	476,71,75		159,28,23	
ii) अन्यो से From others	10929,91,99	11406,63,74	10515,88,49	10675,16,72
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		33890,16,73		31246,01,46
III. मीयादी जमा राशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	1443,29,92		460,33,19	
ii) अन्यो से From others	75378,83,86	76822,13,78	74421,57,54	74881,90,73
जोड़ TOTAL (I, II व III)		122118,94,25		116803,08,91
ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches in India		122118,94,25		116803,08,91
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches outside India		—		—
जोड़ TOTAL		122118,94,25		116803,08,91

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	2490 ,00 ,00		2664,00,00	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	300 ,00 ,00		—	

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	3225 ,69 ,36	2441,13,28
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings		
क) नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1295 ,00 ,00	295,00,00
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250 ,00 ,00	1250,00,00
ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	1555 ,00 ,00	1555,00,00
घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	1000 ,00 ,00	11115 ,69 ,36
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	11 ,03 ,09	121,34,07
जोड़ TOTAL (I व II)	11126 ,72 ,45	8326,47,35
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	2490 ,00 ,00	2244,00,00

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. देय बिल Bills Payable	435,65,07	431,13,16
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	92,57,44	133,68,80
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	482,77,90	441,39,44
IV. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):		
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	691,78,36	574,03,54
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित)* Other liabilities (including provisions)*	3003,00,34	2242,09,83
जोड़ TOTAL	4705,79,11	2816,13,37
		3822,34,77

*नोट : अन्य देयताओं में ₹.53,04,49 की निवल आस्थगित कर देयताएं शामिल हैं (गत वर्ष निवल आस्थगित कर देयताएं ₹.85,96,53)

* Note : Others liabilities include Net Deferred Tax Liability of Rs. 53,04,49 (Previous Year Net DTL Rs.85,96,53)

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)	815,29,60	608,45,34
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	5837,45,33	5382,93,38
ii) अन्य खातों में In Other Accounts	5837,45,33	-
जोड़ TOTAL (I व II)	6652,74,93	5382,93,38
		5991,38,72

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग अथवा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	31,04,51		33,10,95	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	15,18,56	46,23,07	15,18,56	48,29,51
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	—			
(ख) अन्य संस्थानों के पास				
(b) With Other Institutions	—	—	—	—
जोड़ TOTAL (i व ii)		46,23,07		48,29,51
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	—			
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	54,13,42		62,61,48	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(c) Money at Call & Short Notice	—	54,13,42	—	62,61,48
जोड़ TOTAL		54,13,42		62,61,48
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		100,36,49		110,90,99

अनुसूची - 8 : निवेश

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
क भारत में निवेश				
A.I Investments in India in				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)				
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	29364,08,43		30413,84,37	
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
b) Other approved securities	—		—	
(ग) शेयर्स				
c) Shares	176,61,05		179,26,98	
(घ) डिबेंचर्स और बांड				
d) Debentures and Bonds	1715,22,86		1572,11,30	
(ङ) सहायक प्रतिष्ठान और / या संयुक्त उद्यम				
e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	73,42,11		73,42,11	

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
च) अन्य				
f) Others				
i) यू.टीआई / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I / Mutual funds	98,63,01		71,56,96	
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	1195,90,91		622,79,52	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	141,12,24		32,38,15	
iv) पीटीसी PTCs	—		1,29,86	
v) आरआईडीएफ व अन्य R I D F & Others	3949,78,54	5385,44,69	4282,89,14	5010,93,63
जोड़ TOTAL		36714,79,14		37249,58,39
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India				
जोड़ TOTAL				
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		36714,79,14		37249,58,39
ख B. क) भारत में सकल निवेश				
a) Gross Investments in India	36769,01,67		37315,86,93	
घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	9,20,85		38,26,87	
घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	45,01,68	36714,79,14	28,01,67	37249,58,39
निवल निवेश Net Investment		36714,79,14		37249,58,39
ख) भारत के बाहर सकल निवेश				
b) Gross Investments outside India				
जोड़ TOTAL (क एवं ख) (a & b)		36714,79,14		37249,58,39

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
क A. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	1217,53,78		1672,07,77	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	35824,97,69		31085,67,38	
iii) मीयादी ऋण Term Loans	61556,58,51	98599,09,98	56162,64,75	88920,39,90
जोड़ TOTAL		98599,09,98		88920,39,90
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	88092,63,30		77981,82,28	
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	46,46,07		,33,45	
iii) असंरक्षित Unsecured	10460,00,61	98599,09,98	10938,24,17	88920,39,90
जोड़ TOTAL		98599,09,98		88920,39,90

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
ग. C. I. भारत में अग्रिम Advances in India				
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	34266,36,76		31722,21,06	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	9884,93,40		12688,95,59	
iii) बैंक Banks	4,22,00		216,36,71	
iv) अन्य Others	54443,57,82	98599,09,98	44312,86,54	88940,39,90
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
जोड़ TOTAL (ग. C.I एवं ग. C.II)		98599,09,98		88920,39,90

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
I परिसर Premises *				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1325,58,73		1322,03,60	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	9,80,58		3,55,13	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year				
	1335,39,31		1325,58,73	
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period				
	1335,39,31		1325,58,73	
5 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	221,00,51	1114,38,80	165,97,40	1159,61,33
II. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	991,48,30		842,34,54	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	144,98,08		174,99,49	
	1136,46,38		1017,34,03	
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	23,20,14		25,85,73	
	1113,26,24		991,48,30	
4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	795,47,74	317,78,50	705,08,85	286,39,45
जोड़ TOTAL (I व II)		1432,17,30		1446,00,78

इसमें "कार्य प्रगति पर" पूंजी रु. शून्य शामिल है (गत वर्ष रु. शून्य) *Includes Capital "Work in Progress" Rs. Nil (Previous Year Rs. Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	—	—
II. उपचित ब्याज Interest accrued	909,69,95	910,03,48
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	990,25,02	834,79,76
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	4,54,22	5,05,98
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. अन्य * Others *	615,12,24	851,87,20
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)	2519,61,43	2601,76,42

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1381,03,20	1221,82,25
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	17374,16,51	13559,63,81
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	6850,53,84	6138,60,38
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	1855,07,94	1615,16,23
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	3392,39,15	2584,61,74
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है. Other items for which Bank is contingently liable	152,66,20	—
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)	31005,86,84	25119,84,41

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	9820,77,70	9187,15,19
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2807,36,28	2591,26,34
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	55,88,51	48,23,05
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	57,07,07	150,62,78
IV. अन्य Others	36,11,81	75,84,42
जोड़ TOTAL (I, II, III व IV)	12665,44,35	11956,65,68

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	593,17,34	544,81,73
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	207,93,57	121,32,50
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	2,16,02	18,38,03
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	—	—
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	—	—
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	55,37	,58,72
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	65,55	79,52
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	75,12,05	73,48,41
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	—	21
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	2,97,30	3,20,43
VII. विविध आय Miscellaneous Income	129,04,02	169,94,96
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII)	1005,98,08	894,18,99

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	8084,73,61	7697,04,37
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	79,92,07	107,92,56
III. अन्य Others	625,74,79	642,75,59
जोड़ TOTAL (I, II व III)	8790,40,47	8447,72,52

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1633,21,46	1595,75,75
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	171,51,92	162,18,31
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	21,57,97	23,07,02
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	18,46,64	15,15,26
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य-हास (मूल्य-हास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षित को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	115,28,48	99,98,87
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	63,47	1,05,31
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	18,80,31	18,00,17
VIII. विधि प्रभार Law Charges	11,46,03	9,62,35
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	36,05,11	34,30,78
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	72,87,85	68,96,78
XI. बीमा Insurance	116,83,79	105,30,02
XII. अन्य व्यय Other expenditure	309,20,01	263,34,26
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI व XII)	2525,93,04	2396,74,88

अनूसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आसित और देयताएं (आकस्मिक दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है।
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 61 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार है।

2. विदेशी मुद्रा संयवहार:

- 2.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का हिसाब लाभ व हानि लेखे में किया गया है।
- 2.2 बकाया वायदा विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं/तिमाही आधार पर और तुलनपत्र दिनांक को फिमडा रयूटर द्वारा प्रकाशित एमआईएफओआर दरों अर्थात पीवी01 आधार पर कटौती की गई और फेडआई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए प्रकाशित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यित/बाजार को अंकित की गई. पुनर्मूल्यंकन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है और इसके प्रभाव को लाभ की दशा में 'अन्य आस्तियां' और हानि की दशा में 'अन्य देयताओं' में प्रभावित किया गया है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडआई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है।
- 2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार घटकों के गैर-रक्षित विदेशी मुद्रा ऋण विगोपन यदि कोई है पर प्रावधान और पूंजी आवश्यकताएं लागू होती हैं।

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by FIMMDA - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.
- 2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:
 - a. Held to Maturity (HTM)
 - b. Available for sale (AFS)
 - c. Held for trading (HFT)

3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :

- क. सरकारी प्रतिभूतियां
- ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- ग. शेयर्स
- घ. डिबेंचर तथा बांड
- ड. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार व्यापार हेतु धारित श्रेणी से विक्रय हेतु उपलब्ध श्रेणी में अंतरण करने के अलावा प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का मूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में मिली अनुमति के अनुसार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में किया जाता है। अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कि तरलता की जटिल स्थिति के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों को बेचने में सक्षम नहीं होने के कारण या गंभीर उतार-चढ़ाव या बाजार के दिशाहीन हो जाने की स्थिति में ही निवेशों का अंतरण व्यापार हेतु धारित श्रेणी से विक्रय हेतु उपलब्ध श्रेणी में किया जाता है।

3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ सहायक उधारी / उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। बकाया रेपो/टर्म रेपो को उधारी के रूप में दर्शाया गया है और बकाया रिवर्स रेपो को ऋणदान के रूप में दर्शाया गया है। लागत और राजस्व का लेखांकन यथाप्रसंग ब्याज व्यय/आय के रूप में किया गया है।

3.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

- i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन औसत लागत पर किया गया है। जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। निवेश की दशा में जब भी लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तो अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मामले में निवेश मूल्य में आई स्थायी कमी का अभिनिर्धारण पर उसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है।
- iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को पूंजीगत प्रारक्षिति में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभहानि खाते में प्रभारित किया गया है।

3.2 All the securities are further classified in the following six baskets:

- a. Government Securities
- b. Other approved Securities
- c. Shares
- d. Debentures and Bonds
- e. Subsidiaries and Joint Ventures
- f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Funds, etc).

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- (i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored
- (ii) In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
- (iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and proportionate statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किया गया है। केंद्र /राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन निधारित "आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और बॉन्डों का मूल्यन लाभ वक्र, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति के अनुसार किया गया है। कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन उपलब्ध नवीनतम तुलनपत्र अर्थात एकदम पिछले वर्ष की तुलनपत्र में अंकित बहीमूल्य के अनुसार किया गया है। यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो प्रति कंपनी/शेयर का मूल्य रुपए 1 माना गया है।

बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना, बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति रसीद/प्रतिभूति पुनर्निमाण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहीमूल्य (-) भारत प्रावधान) पर आगे लाया गया है।

"बिक्री हेतु उपलब्ध" छह उप-श्रेणी में से प्रत्येक के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- यदि इसका परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- यदि इसके कारण मूल्यह्रास होता है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता पक्ष में निवेश (विक्रय हेतु उपलब्ध) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में जमा किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं को छोड़कर बाजार को अंकित प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को नहीं बदला गया है।
- इस संवर्ग में निवेशों के विक्रय पर लाभ-हानि का लेखांकन लाभ-हानि खाते में किया गया है।

ग. क्रय-विक्रय हेतु धारित :

- इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन स्थिर आय मुद्रा बाजार और भारतीय डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।
- बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति रसीद/प्रतिभूति पुनर्निमाण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहीमूल्य (-) भारत प्रावधान) पर आगे लाया गया है।

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹.1/- per company / Scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- If it results in appreciation, the same is ignored.
- If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
- The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
- Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

iii. निवल समूहवार मूल्यहास यदि कोई है तो लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यहास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है। यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रि. जर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर प्रतिभूतियों के बही मूल्यों को बदला नहीं गया है।

iv. इस संवर्ग में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ-हानि लेख में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय रि. जर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है।

च. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय खर्च हुई लागत जैसे कि दलाली, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

छ ब्याज दर स्वेप :

i) मूल्यांकन :

क) हेजिंग स्वेप : आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वेप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वेप : ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वेप को बाजार को अंकित किया गया है।

ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) हेजिंग स्वेप: आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वेप : निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

(iii) स्वेप समाप्ति पर आय तथा हानि का लेखा:

क) हेजिंग स्वेप : समाप्त हुए स्वेप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वेप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वेप : स्वेप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वेप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

4. अग्रिम:

- 4.1 दर्शाए गए अग्रिमों से बट्टे डाले गये खाते, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावे, पुनर्निर्धारित मानव आस्तियों पर प्रावधान और पुनर्भाजन घटाये गये हैं।
- 4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर को प्रावधान छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधानों" में दर्शाया गया है।
- 4.4 पुनर्निर्धारित / पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।
- 4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य से कम मूल्य पर हुआ है तो कमी/हानि को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाएगा। यदि विक्रय निवल बहीमूल्य से अधिक हुआ है तो प्रावधान के आधिक्य को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा किंतु उसे अन्य वित्तीय

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of these securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision are made as per RBI guidelines.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

4. Advances:

- 4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision on restructured advances and rediscounts.
- 4.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 4.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is charged to Profit & Loss Account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed

आस्तियों के विक्रय पर हुई कमी/हानि के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बशर्ते कि अनर्जक आस्तियों के विक्रय पर अधिक प्रावधान, यदि विक्रय मूल्य निवल बहीमूल्य से अधिक है तो, को उस वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते में, जिस वर्ष में रकम प्राप्त हुई है (आरंभिक प्रतिफल/एसआर/पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) प्रभारित किया जाएगा। जब प्राप्त नकदी आस्तियों के निवल बहीमूल्य से अधिक होती है बशर्ते कि अधिक प्रावधान का प्रत्यावर्तन आस्ति के निवल बहीमूल्य से प्राप्त अधिक नकदी तक सीमित हो।

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

- 5.1 पुनर्मूल्यांकित और पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 5.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों जिनके संबंध में उच्च मूल्यहास इन परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है को छोड़कर स्थिर आस्तियों (नीचे उल्लिखित अनुच्छेद 5.3 और 5.4 में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर) पर मूल्यहास घटते हुए शेष पद्धति से नीचे उल्लिखित दरों पर लगाया गया है।

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यहास की दर (%)
1	भवन और परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10
3	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	13.91
4	ऑफिस मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	बाईसिकल	20.00

- 5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए। कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं।
- 5.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई/त्यागी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है।
- 5.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत के ऊपर पुनर्मूल्यांकित रकम से संबंधित मूल्यहास स्थिर संपत्ति के बचे हुए जीवन के आधार पर घटते हुए शेष के आधार पर लगाया गया है। जैसा कि उपरोक्त पैरा 5.2 में उल्लेख किया गया है और उसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में समायोजित किया गया है। पूरी तरह से मूल्यहासित संपत्तियों पर मूल्यन आरक्षिति का परिशोधन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित शेष बचे जीवन के आधार पर किया गया है।
- 5.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है।

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

- 6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
 - क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज।

but will be utilized to meet the deficit / loss on account of sale of other financial assets provided the excess provision on sale of NPAs, if the sale value is for a value higher than the NBV, shall be reversed to the Profit & Loss A/c in the financial year in which amounts are received when the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of SRs / PTCs) is higher than the net book value (NBV) of the asset provided reversal of excess provision shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

- 5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3 and 5.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

- 5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.
- 5.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.
- 5.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers
- 5.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

6. Revenue Recognition

- 6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
 - a Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.

- ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया.
- ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ बीमा दावे
- च डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक
- छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क
- ज व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हमीदारी कमीशन से आय
- झ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमा राशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

8. आस्तियों की हानि

सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 28 के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ हानि लेखे को प्रभारित किया गया है.

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो.

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं जिसमें निवेश का मूल्य, अशोध्य ऋण और करधान हेतु प्रावधान (आस्थगित करसहित), अग्रिमों तथा आकस्मिकताओं/ अन्य के लिए प्रावधान शामिल है, हेतु किए गए प्रावधान के बाद निवल लाभ घोषित किया गया है

11. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर और देयताओं पर परिवर्तित कर के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

- b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Loan Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

8. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on fixed assets including revalued fixed Assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28 - Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to Profit & Loss Account.

9. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, on bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, Wealth Tax and also Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

जब आय कर अपीलीय अधिकरण की दूसरी अपील पर ऐसी मांग को समर्थन प्राप्त होता है तो आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग सहित ब्याज पर प्रावधान किया गया।

12. प्रति शेयर अर्जन :

मूल और कम आय प्रति इक्विटी शेयर रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर कमाई का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है। प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संभावित कम आय का आकलन करके की गई है।

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

12. Earnings per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. पूंजी

(₹ करोड़ में)

	मर्दे	31.03.2015	31.03.14
i)	सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	7.48	6.69
ii)	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	8.76	7.44
iii)	टियर- 2 पूंजी का अनुपात (%)	3.18	3.35
iv)	कुल पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.94	10.79
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	79.80	85.21
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	224.08	177.62
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमीयादी ऋण पूंजी लिखत द्वारा)	1000.00	शून्य
viii)	उगाही गई अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन माध्यम से ₹ 588.00 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी उगाही गई। ये इक्विटी शेयर दिनांक 31.03.2014 को भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से धारित ₹ 588.00 करोड़ के बेमीयादी गैर संचयी अधिमानी शेयर पूंजी (पीएनसीपीएस) के एवज में जारी किए गए।

(₹ करोड़ में)

विवरण	आबंटन का दिनांक	जारी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी (₹)	शेयर प्रीमियम (₹)	कुल (₹)
भारतीय जीवन बीमा निगम	11.07.2014	90723520	90.72	309.28	400.00
भारत सरकार	11.07.2014	133363274	133.36	454.64	588.00

बैंक ने, बेसल III का अनुपालन करते हुए, संस्थागत बिक्री आधार पर ₹ 1000 करोड़ के अरक्षित, बेमीयादी अप्रतिवर्तनीय अतिरिक्त टियर I (एटी -I) बॉण्ड भी जारी किए।

विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

बॉण्ड	आईएसआईएन	आबंटन दिनांक	जारी बॉण्ड की संख्या	प्रति बॉण्ड	कुल
9.48% बेमीयादी बॉण्ड एटी -I, श्रंखला -I	आईएनई 457A09215	12.01.2015	10000	10.00 लाख	1000.00

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः “परिपक्वता तक धारित”, “बिक्री हेतु उपलब्ध” और “व्यापार हेतु धारित” तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2015	31.03.2014
परिपक्वता तक धारित	31494.01	32453.17
बिक्री हेतु उपलब्ध	4694.78	4688.66
व्यापार हेतु धारित	526.00	107.75
कुल निवेश	36714.79	37249.58

1. Capital:

(₹ in crore)

S. N.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (%)	7.48	6.69
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	8.76	7.44
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.18	3.35
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	11.94	10.79
v)	Percentage of the shareholding of Government of India	79.80	85.21
vi)	Amount of Equity Capital raised	224.08	177.62
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	1000.00	Nil
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	Nil	Nil

During the year, bank raised equity share capital through preferential allotment of equity shares to LIC of India and GOI, the latter being in lieu of Perpetual Non Cumulative Preferential Shares of ₹ 588.00 crore which were fully held by Government of India as on March 31,2014.

The details are hereunder:-

(₹ in crore)

Particulars	Date of Allotment	No. of Shares issued	Equity share capital	Share premium	Total
LIC of India	11.07.2014	90723520	90.72	309.28	400.00
Government of India	11.07.2014	133363274	133.36	454.64	588.00

Bank has also issued Basel III compliant Unsecured, Perpetual, Non-Convertible Additional Tier I (AT-I) Bond of ₹1000.00 crore, on private placement basis.

The details are as under;

(₹ in crore)

Bond	ISIN	Date of Allotment	No. of Bond issued	Per Bond	Total
9.48% Perpetual Bond AT-I, Series-I	INE457A09215	12.01.2015	10000	10.00 Lac	1000.00

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity (HTM)”, “Available for Sale (AFS)”, and “Held for Trading (HFT)” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(₹ in crore)

Category	31.03.2015	31.03.2014
HTM	31494.01	32453.17
AFS	4694.78	4688.66
HFT	526.00	107.75
Total Investment	36714.79	37249.58

- 2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं. सभी निवेश भारत में हैं, भारत के बाहर कोई निवेश नहीं है.

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2015	31.03.2014
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	36769.02	37315.87
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	54.23	66.29
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	36714.79	37249.58
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	66.29	67.41
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	24.94	25.98
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए / बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	37.00	22.99
(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	0	शून्य
(v) प्रतिभूति अंतरण के समय प्रयुक्त प्रावधान	0	* 4.11
(vi) अंतिम शेष	54.23	66.29

* यह वित्तीय वर्ष 2013-14 में एचएफटी संविभाग में ऐसी प्रतिभूति रखने हेतु उपलब्ध अधिकतम अवधि, अर्थात् 90 दिनों के पूर्ण होने पर एचएफटी संविभाग से एफएस संविभाग में प्रतिभूतियों के अंतरण पर मूल्यह्रास दर्शाता है.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 90 दिनों के पूर्ण होने पर एचएफटी संविभाग से एफएस संविभाग में ₹309.54 करोड़ की राशि की प्रतिभूतियां अंतरित कीं.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2014 के दिशानिर्देशों डीबीओडी.बीपी.बीसी संख्या.21.04.141/2014-15 के अनुसार एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में ₹ 777.25 करोड़ राशि की प्रतिभूतियां अंतरित कीं. ऐसे अंतरण पर खाते में किसी मूल्यह्रास का प्रावधान अपेक्षित नहीं था.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 05 अगस्त, 2014 के दिशानिर्देशों डीबीओडी.बीपी.बीसी संख्या.21.04.141/2014-15 को ध्यान में रखते हुए एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में ₹ 88.07 करोड़ राशि की प्रतिभूतियां अंतरित कीं. ऐसे अंतरण से खाते में कोई मूल्यह्रास प्रभावित नहीं हुआ.

नोट: वर्ष के दौरान बैंक ने एफएस व एचएफटी श्रेणी से किसी प्रतिभूति का एचटीएम श्रेणी में अंतरण नहीं किया.

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2015 को
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां				
1. रेपो उधारियां (एलएफएफ)	शून्य (शून्य)	2509.00 (4800.00)	242.00 (934.00)	290.00 (2170)
2. रेपो उधारियां (मीयादी)	शून्य (शून्य)	3496.00 (1094.00)	533.29 (70.00)	2200.00 (74.00)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य

- 2.1 The Total Investments of Bank, as under, are all in India and no Investments are outside India:

(₹ in Crore)

Items	31.03.2015	31.03.2014
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	36769.02	37315.87
(ii) Provisions for Depreciation	54.23	66.29
(iii) Net Value of Investments	36714.79	37249.58
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	66.29	67.41
(ii) Add: Provisions made during the year	24.94	25.98
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	37.00	22.99
(iv) Provision used for Write-off	0	Nil
(v) Provision used while shifting securities	0	* 4.11
(vi) Closing balance	54.23	66.29

* Represents depreciation on shifting of securities from HFT portfolio to AFS portfolio in FY 2013-14 on completion of 90 days, the maximum period available for holding such security in HFT portfolio.

During the FY 2014-15, the Bank has transferred securities from HFT category to AFS category amounting to ₹309.54 crore upon completion of 90 days.

During the FY 2014-15, the Bank has shifted securities from HTM category to AFS category amounting to ₹777.25 crore in terms of RBI guidelines DBOD.BP.BC.No.21.04.141/2014-15 dated July 1, 2014. No depreciation was required to be provided on account of such shifting.

During the FY 2014-15, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to ₹ 88.07 crore taking into account the RBI guidelines DBOD.BP.BC.No.21.04.141/2014-15 dated August 5, 2014; no depreciation arose on account of such transfer.

During the FY 2014-15, the Bank has not shifted from AFS and HFT categories to HTM category.

2.2 Repo Transactions (In face value terms)

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year*	As on March 31, 2015
Securities sold under repo				
i. Government Securities				
a) Repo Borrowing (LAF)	NIL (NIL)	2509.00 (4800.00)	242.00 (934.00)	290.00 (2170)
b) Repo Borrowing (Term)	NIL (NIL)	3496.00 (1094.00)	533.29 (70.00)	2200.00 (74.00)
ii. Corporate debt securities	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	900.00 (500.00)	65.97 (13.03)	शून्य (शून्य)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (50.28)	शून्य (0.14)	शून्य (शून्य)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग:

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार समिश्र

(₹ करोड़ में)

क्रं.	निर्गम- कर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रति- भूतियों का विस्तार	गैरक्रम वाली प्रति- भूतियों का विस्तार	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम	188.45 (141.61)	171.07 (117.57)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	57.95 (283.09)	17.72 (242.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (24.72)
(iii)	बैंक	1306.09 (749.00)	1280.89 (724.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय	653.29 (483.11)	593.26 (413.70)	150.50 (151.78)	0.00 (0.00)	0.00 (11.13)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम	83.53 (73.42)	83.53 (73.42)	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
(vi)	अन्य- आरआई डीएफ सहित*	5211.40 (5273.91)	5200.40 (5255.96)	9.99 लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	उप जोड़	7500.71 (7004.14)	7346.88 (6827.38)	160.40 (151.78)	0.00 (0.00)	0.00 (35.85)
(vii)	के लिए धारित प्रावधान	6.74 (25.32)				
	1 मूल्यहास	33.58 (11.45)		--	--	--
	2 एनपीआई	10.79 (16.57)				
	कुल	7449.60 (6950.80)	7346.88 (6827.38)	187.12 (151.78)	0.00 (0.00)	0.00 (35.85)

*आरआईडीएफ - ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

टिप्पणी :

- उक्त (v) में सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम होने के कारण तथा व (vi) में आरआईडीएफ होने के कारण अन्य में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है।
- कॉलम 4,5,6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबद्ध नहीं हैं।
- कुल ₹ 7449.60 करोड़ (₹ 6950.80 करोड़) के कुल निवेश में ₹. शून्य (₹ 2.94 करोड़) के सरकारी तेल बॉण्ड और ₹ 27.17 करोड़ (₹ 112.12 करोड़) के राजस्थान स्पेशल बॉण्ड और ₹ 71.73 करोड़ (₹ शून्य) के यूपी स्टेट पावर बॉण्ड्स शामिल हैं। बैंक के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

Securities purchased under reverse repo				
i. Government Securities	NIL (NIL)	900.00 (500.00)	65.97 (13.03)	NIL (NIL)
ii. Corpo- rate debt securities	NIL (NIL)	NIL (50.28)	NIL (0.14)	NIL (NIL)

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 Issuer composition of Non-SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Place- ment	Extent of 'Below Investment Grade' Secur- ities	Extent of 'Unrated' Secur- ities	Extent of 'Unlisted' Secur- ities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	188.45 (141.61)	171.07 (117.57)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	FIs	57.95 (283.09)	17.72 (242.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (24.72)
(iii)	Banks	1306.09 (749.00)	1280.89 (724.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	653.29 (483.11)	593.26 (413.70)	150.50 (151.78)	0.00 (0.00)	0.00 (11.13)
(v)	Subsidiar- ies/ Joint Ventures	83.53 (73.42)	83.53 (73.42)	N.A N.A.	N.A N.A.	N.A N.A.
(vi)	Others - including R DF*	5211.40 (5273.91)	5200.40 (5255.96)	9.99 N.A.	N.A N.A.	N.A N.A.
	SUB TOTAL	7500.71 (7004.14)	7346.88 (6827.38)	160.40 (151.78)	0.00 (0.00)	0.00 (35.85)
(vii)	Provi- sion held towards (i) Depre- ciation	6.74 (25.32)				
	(ii) NPI	33.58 (11.45)	XXX	XXX	XXX	XXX
	(iii) Re- structured Account	10.79 (16.57)				
	Total	7449.60 (6950.80)	7346.88 (6827.38)	187.12 (151.78)	0.00 (0.00)	0.00 (35.85)

*RIDF- Rural Infrastructure Development Fund

Note:

- Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures, & (vi) being "Others including RIDF are exempt from rating & Listing requirements as per RBI guidelines.
- Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.
- The total investment of ₹ 7449.60 crore (₹ 6950.80 crore) includes GOI Oil Bond NIL (₹ 2.94 crore) & Rajasthan Special Bonds of ₹ 27.17 crore (₹ 112.12 crore) and UP state Power Bonds of ₹ 71.73 crore (0.00). The same has been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

2.3.2 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

व्योरे	31.03.2015	31.03.2014
प्रारंभिक शेष	76.30	0.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	10.00	76.30
वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
अंतिम शेष	86.30	76.30
किए गए कुल प्रावधान	33.58	11.45

दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को अनर्जक निवेशों के मामले में, जिनकी पहचान दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान जालसाजी के रूप में की गई, ऐसे निवेशों के बही मूल्य का 50% प्रावधान किया गया क्योंकि दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को पहले ही किए जा चुके प्रावधान के कारण यह कम हो गया। तदनुसार, ऐसे निवेशों के ₹ 32 करोड़ के बही मूल्य की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2015 को ₹ 20 करोड़ का प्रावधान किया गया और शेष ₹ 12 करोड़ की राशि का प्रावधान वर्ष 2015-16 में किया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी 83/21.04.048/2014-15 का आधार लेते हुए किया गया।

- 2.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित' निवेश के विक्रय से हुए लाभ की ₹ 35.39 करोड़ (₹ 2.86 करोड़) की राशि, करों और सांविधिक आरक्षितियों के बाद पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी।
- 2.5 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹55.89 करोड़ (₹ 48.23 करोड़) का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।
- 2.6 वर्ष के दौरान निवल लाभ में से ₹14.06 करोड़ (₹11.39 करोड़) समायोजित किया गया जो निवल कर तथा समानुपातिक सांविधिक आरक्षित निधि, निवेश के मूल्य पर बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) के संदर्भ में मूल्यहास के प्रतिलेखन पर आरक्षित निवेश था।

3 डेरिवेटिव:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2015	31.03.2014
स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	100.00	100.00
यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वैप खाताबंदी का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	(-) 0.76	(-) 3.75

बैंक ने आईआरएस/एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/एफआरए की अनुमोदित सीमा ₹ 2000 करोड़ है। 31 मार्च 2015 के अनुसार बैंक की 4 (चार) बकाया स्वैप रहे, जिसकी सांकेतिक मूल राशि ₹ 100 करोड़ रही। नियत ब्याज प्राप्त करना तथा अस्थायी दर पर भुगतान करना स्वैप की शर्तें हैं। उक्त 4 (चार) स्वैप में से ₹ 100 करोड़ कल्पित मूलधन के सभी ओआईएस स्वैप, क्रय-विक्रय हेतु थे। बकाया क्रय-विक्रय स्वैप का बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) मूल्यांकन ₹ (-) 0.76 करोड़ रहा।

2.3.2 Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance	76.30	0.00
Additions during the year	10.00	76.30
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing balance	86.30	76.30
Total provisions held	33.58	11.45

In respect of non-performing investment as on December 31, 2014 which is detected as fraud during the quarter ended March 31, 2015, provision is made at 50% of the book value of such investment as reduced by the provision already made as on December 31, 2014. Accordingly, a provision of ₹20 crore has been made as on March 31, 2015 as against the book value of such investments of ₹32 crore and the balance amount of ₹12 crore would be made in the year 2015-16. This has been done relying on RBI Circular DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15, dt. April 1, 2015

- 2.4 As per RBI guidelines, an amount of ₹35.39 crore (₹12.86 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category has been transferred to Capital Reserve.
- 2.5 The Bank has amortized ₹55.89 crore during the year (₹48.23 Crore) for securities classified 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.
- 2.6 An amount of ₹ 14.06 crore (₹ 11.39 crore) has been appropriated from Net Profit, being Investment Reserve on account of write back of depreciation with reference to Mark to Market (MTM) value of Investment, net of tax and proportionate Statutory Reserve.

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Items	31.03.2015	31.03.2014
i) The notional principal of swap agreements	100.00	100.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-)0.76	(-)3.75

The Bank has in place policy guidelines for IRS/FRAs. The approved ceiling for IRS/ FRAs in terms of notional principal is ₹2000.00 crore as on March 31, 2015. The bank has 4 (four) outstanding swaps for notional principal ₹100.00 crore and the terms of Swaps are to receive fixed interest and pay at floating rate. Out of 4 (four), all OIS swaps for notional principal of ₹100.00 crore were for trading purpose. MTM valuation for outstanding trading swaps is ₹ (-) 0.76 crore.

3.2 विनिमय केंद्र में लेनदेन वाली दर डेरिवेटिव्स:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यौरे	2014-15	2013-14
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

- डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है.
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं.
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक शीर्ष प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं. स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.
- महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 ((एफ) (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं.

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	2295.00	0.00
	ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	15064.58	100.00
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां (1)		
	क) आस्ति (+)	12.06	---
	ख) देयताएं (-)	शून्य	(-)0.76
(iii)	ऋण विगोपन (2)	359.25	1.00
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	5.67	0.00
	ख) लेनदेन डेरिवेटिव पर	1.35	1.64

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2014-15	2013-14
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL	NIL
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March (instrument-wise)	NIL	NIL
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosure

- Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non hedge transactions is in place, which includes recognition of income, expenditure and valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal amount)		
	(a) For hedging	2295.00	0.00
	(b) For Trading	15064.58	100.00
(ii)	Marked to Market Position [1]		
	(a) Asset (+)	12.06	---
	(b) Liability (-)	Nil	(-)0.76
(iii)	Credit Exposure [2]	359.25	1.00
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	(a) On hedging derivatives	5.67	0.00
	(b) On trading derivatives	1.35	1.64

(v) वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
1) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधिकतम 5.67 न्यूनतम 4.52	अधिकतम लागू नहीं न्यूनतम लागू नहीं
2) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधिकतम 3.33 न्यूनतम 1.35	अधिकतम 1.64 न्यूनतम 1.63

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	ऋण विगोपन	31.03.2015 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	*1.00	**0.00
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	118.39	0.47
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कल	119.39	0.47

*ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

**चूंकि बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) सकारात्मक डेरिवेटिव की कोई निश्चित स्थिति नहीं है, अतः प्रावधान शून्य है।

3.5 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) :

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2015 को (शून्य) है।

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	4.19	2.03
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	2859.85	1137.55
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4633.64	2589.28
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1091.43	866.98
(घ) अंतिम शेष	6402.06	2859.85
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	1807.32	392.93
जोड़ें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी द्वारा निपटायें गये खाते	33.34	33.14
सकल प्रारंभिक शेष	1840.66	426.07
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3288.76	1786.85
(ग) वर्ष के दौरान कमी	953.63	372.26
(घ) सकल अंतिम शेष	4175.79	1840.66
घटायें- ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटायें गये खाते	49.22	33.34
निवल अन्तिम शेष	4126.57	1807.32

(v) Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
(a) On hedging	Max : 5.67 Min : 4.52	Max : NA Min : NA
(b) On trading	Max : 3.33 Min : 1.35	Max : 1.64 Min : 1.63

3.4 Standard provision on derivative exposure

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2015
1	Interest rate derivative	*1.00	**0.00
2	Foreign exchange derivative	118.39	0.47
3	Gold contract	NIL	NIL
4	Credit default swaps	NIL	NIL
	Total	119.39	0.47

*Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

**Since there is no position with positive MTM, hence provision is zero.

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no credit default swaps during the year 2014-15 or as on March 31, 2015 (NIL).

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	4.19	2.03
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	2859.85	1137.55
(b) Additions during the year	4633.64	2589.28
(c) Reductions during the year	1091.43	866.98
(d) Closing balance	6402.06	2859.85
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	1807.32	392.93
Add: ECGC/DICGC Settled amount	33.34	33.14
Gross: Opening Balance	1840.66	426.07
(b) Additions during the year	3288.76	1786.85
(c) Reductions during the year	953.63	372.26
(d) Gross closing balance	4175.79	1840.66
Less ECGC/DICGC Settled amount	49.22	33.34
Net closing Balance	4126.57	1807.32

(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)		
(क) प्रारंभिक शेष	1009.90	709.69
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1385.67	742.51
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	259.08	442.30
(घ) अंतिम शेष	2136.49	1009.90

प्रतिचक्रीय बफर का उपयोग :

दिनांक 31 मार्च, 2014 को प्रतिचक्रीय बफर के रूप में बैंक का ₹ 264.91 करोड़ का प्रावधान था, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30.03.2015 के अपने परिपत्र क्रमांक डीबीआर क्र.बीपी. बीसी.79/2.04.048/2014-15 द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को बकाया प्रावधान के 50% से अनधिक प्रावधान का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, बैंक ने ₹ 132.45 करोड़ की राशि का उपयोग किया, जो दिनांक 31 दिसंबर, 2014 को बकाया प्रावधान का 50% है।

4.2 आस्ति पुनर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	खातों की संख्या	13	23
2	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	42.44	44.95
3	कुल प्रतिफल	63.67	257.60
4	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5	शुद्ध खाताबही मूल्य की तुलना में कुल प्राप्ति	5.55	9.60

वर्ष 2014-15 के दौरान 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 39.74 करोड़ सहित, बैंक ने ₹ 42.44 करोड़ बही मूल्य की अनर्जक आस्तियां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में कमी आई।

वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ आस्तियां निवल बही मूल्य से कम दर पर बेची गईं, जिससे ₹ 8.26 करोड़ का घाटा हुआ, यह राशि वर्ष 2014-15 के दौरान लाभ-हानि खाते को प्रभावित की गई।

4.3 प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)						
विवरण	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष
	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
जमानत रसीदों में निवेश का बही मूल्य	41.28	28.69	-	-	41.28	28.69

(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	1009.90	709.69
(b) Provisions made during the year	1385.67	742.51
(c) Write-back/write off of excess provisions	259.08	442.30
(d) Closing balance	2136.49	1009.90

Utilization of Counter Cyclical Buffer :

The bank was holding provision of ₹264.91 crore as on March 31, 2014 towards counter cyclical buffer which was created in terms of RBI guidelines. RBI, vide circular no.DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dt 30.03.2015 has permitted the banks to utilize such provision not exceeding 50% of the provision outstanding as on December 31, 2014. Accordingly, the bank has utilized an amount of ₹132.45 Crore, which works out to 50% of the provision outstanding as on December 31, 2014.

4.2 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	No. of accounts	13	23
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	42.44	44.95
3	Aggregate consideration	63.67	257.60
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	5.55	9.60

During the year 2014-15, the Bank has sold non-performing assets of the book value of ₹42.44 crore including ₹39.74 crore, during the quarter ended March 31, 2015 resulting in reduction of NPAs.

Some of the assets were sold for less than the net book value resulting in a deficit of ₹8.26 crore, during the year 2014-15; such amount has been charged to Profit & Loss account during the year 2014-15.

4.3 Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues

₹ in Crore

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-financial companies as underlying		Total	
	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
Book Value of Investment in Security Receipts	41.28	28.69	-	-	41.28	28.69

4.4 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	0.00	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.6 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सं. / राशि
1	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि	
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन प्रथम हानि अन्य	
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि	शून्य
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	

* यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों से संबंधित एसपीवी ही रिपोर्ट किए जाएं.

4.4 Details of non- performing financial assets purchased

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2. (a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.5 Details of non- performing financial assets sold

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.6 Disclosure relating to Securitization:

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	No. / Amount
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Loss	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here

4.7 पुनर्संरचित खातों के विवरण
4.7 Particulars of Accounts Restructured

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)																									
क्र.सं. Sr No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →		सीडीआर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring						अन्य Others						कुल Total				
	अस्थि वर्गीकरण Asset Classification → विवरण Details ↓		मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total			
1	वित्तीय वर्ष - 1 अप्रैल के पुनर्संरचित खाते (आर्थिक अंकड़े) Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	24	2	0	0	26	204	72	15	1	292	18884	1120	407	79	20490	19112	1194	422	80	20808			
		बकाया रकम Amount outstanding	1991.97	52.38	0.00	0.00	2044.35	174.11	87.41	12.48	0.02	274.03	3484.03	227.60	11.77	0.59	3723.99	5650.12	367.39	24.25	0.61	6042.37			
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	16	0	0	0	16	165	63	35	4	267	9013	1156	1147	141	11457	9194	1219	1182	145	11740			
		बकाया रकम Amount outstanding	1069.66	0.00	0.00	0.00	1069.66	292.46	37.19	6.11	0.25	336.01	1431.37	96.70	8.22	0.35	1536.64	2793.49	133.89	14.33	0.60	2942.31			
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग का कोटिबद्धन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	2	-2	0	0	0	4	-4	0	0	0			
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	-3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	-4.49	0.00	0.00	0.00	7.94	-7.94	0.00	0.00	0.00		
4	पुनर्संरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्रवधान और/या वित्तीय वर्ष. के अंत में अतिरिक्त जोखिम जरूरी नहीं: भार अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अंशों के रूप में दिखाना जरूरी नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-5	0	0	0	-5	-8	0	0	0	-8	-7	0	0	0	-7	-20	0	0	0	-20			
		बकाया रकम Amount outstanding	-246.76	0.00	0.00	0.00	-246.76	-30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.17	-43.57	0.00	0.00	0.00	-43.57	-320.50	0.00	0.00	0.00	-320.50		
		उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-24.00	0.00	0.00	0.00	-24.00	-1.11	0.00	0.00	0.00	-1.11	-2.03	0.00	0.00	0.00	-2.03	-27.14	0.00	0.00	0.00	-27.14			

5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का कोटिअवयम Down gradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-6	3	3	0	0	0	-8	-5	13	0	0	0	-7	-4	11	0	0	-21	-6	27	0	0
	बकाया रकम Amount outstanding	-692.31	174.75	517.57	0.00	0.01	-25.25	-14.77	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-188.50	-51.79	240.30	0.00	0.01	-906.06	108.19	797.89	0.00	0.02	
	अन पर प्रावधान Provision thereon	-76.16	9.75	66.35	0.00	-0.06	-0.22	-0.09	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.86	0.29	4.57	0.00	0.00	-81.24	9.95	71.23	0.00	-0.06	
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बड़े खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-7	-6	-3	1	-15	-4	-3	-1	0	-8	-11	-9	-4	1	-23		
	बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.80	-32.25	-8.51	2.86	-64.70	-47.04	-59.86	-1.15	0.00	-108.05	-73.84	-92.11	-9.66	2.86		-172.75		
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on March 31 of the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	29	5	3	0	37	348	123	60	5	536	27881	2271	1565	220	31937	28258	2399	1628	225	32510		
	बकाया रकम Amount outstanding	2206.42	227.72	573.77	0.00	3007.91	375.62	73.48	47.78	0.26	497.14	4651.65	263.21	257.81	0.94	5173.61	7233.70	564.41	879.35	1.21	8678.66			
	अन पर प्रावधान Provision thereon	226.87	11.44	69.21	0.00	307.51	6.64	0.89	1.28	0.00	8.81	92.49	1.53	5.44	0.00	99.46	326.00	13.86	75.92	0.00	415.77			
"मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आकड़ों को छोड़ कर, जिसमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) जरूरी नहीं है. (भारतीय रिजर्व बैंक का विनंति 31.01.2013 का परिपत्र डीबीओडी, बीपी, बीसी.क्र.80/21.04.132/2012-13) *Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). (RBI circular DBOD.BP.BC.No.80/21.04.132/2012-13/dated 31.01.2013)																								

“मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आकड़ों को छोड़ कर, जिनमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) जरूरी नहीं है। (भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 31.01.2013 का परिपत्र डीबीओडी.बीपी.डीसी.क्र.80/21.04.132/2012-13) *Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). (RBI circular DBOD.BPBC.NO 80/21.04.132/2012-13/dated 31.01.2013)

Reconciliation of Difference

भिन्नताओं का समाधान Reconciliation of Difference	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
मानक आसिद्धि Standard Assets																										
31.03.2014 को आसिद्धि प्रसारित नहीं की गई थी, के कोटिअवयम के कारण पुनर्संरचना में परिवर्तन Addition in restructured portfolio due to down gradation of Restructured standard assets which were not attracting RSA provision as of 31/03/2014	बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	54.47	2.08	0.00	56.55	0.00	55.60	2.08	0.00	0.00	0.00	57.68
	उन पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

पुनर्संरचित राशि में भिन्नता मुख्यतः अतिरिक्त/ए संवितरण/पुनर्गुणन के कारण है। प्रावधान राशि में भिन्नता प्रावधान की पुनर्गुणन के कारण है। Variation in restructured amount is mainly on account of additional/fresh disbursement/repayment.

पाद टिप्पणी / Foot Note	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	-7	-6	-2	0	-15	-4	-3	-1	0	-8	-11	-9	-3	0	-23
बड़े खातों में बकाया रकम को पुनर्संरचित मानक आसिद्धि के रूप में लिया गया, जिसमें वह एक खाता शामिल है, जिसका कोटिअवयम पुनर्संरचित मानक आसिद्धि के रूप में लिया गया, जिस पर उच्च प्रावधान लागू नहीं है। Details of accounts closed included in writeoff (This includes 1 account which is upgraded to Restructured standard asset not attracting higher provision)	बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.80	-32.25	-5.65	0.00	-64.70	-47.04	-59.86	-1.15	0.00	-108.05	-73.84	-92.11	-6.80	0.00	-172.75
उन पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45	-0.01	-0.54	0.00	0.00	-0.55	-0.46	-0.54	0.00	0.00	-1.00

4.8 मानक आस्तियों हेतु%. को

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	691.31	572.18
फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	0.47	1.86
अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	21.51	0.00
डेरिवेटिव ब्याज दर	0.00	0.00
कुल	713.29	574.04

4.9 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का ₹ 21.06 करोड़ (₹ 21.06 करोड़) सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

5. कारोबारी अनुपात:

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	9.21%	9.24%
2. कार्यकारी निधियों से गैर-ब्याजी आय का प्रतिशत	0.73%	0.69%
3. कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.71%	1.55%
4. आस्तियों पर आय	0.33%	0.30%
5. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रुपये करोड़ में)	15.60	14.35
6. प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाख में)	3.00	2.68

6. आस्ति देयता प्रबंधन:

6. Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मर्यादों की परिपक्वता पद्धति

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

Particulars	1 दिन 1 day	2से7दिन 2 to 7 days	8से14 दिन 8 to 14 days	15से28दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	Total कुल
जमा राशियां Deposits	1599.70	3980.67	3620.14	4068.32	15818.75	11186.16	20319.29	58305.61	1764.51	1455.80	122118.94
अग्रिम Advances	1641.91	1941.59	2114.07	2378.96	11122.78	6083.45	11597.48	41978.65	13985.80	8365.57	101210.27
निवेश Investments	11.00	368.33	499.00	162.14	1069.55	341.99	180.18	4534.04	7519.64	22083.16	36769.02
उधारियां Borrowings	11.03	990.00	0.00	1500.00	22.00	517.70	1660.38	1944.57	886.00	3595.04	11126.72

4.8 Provisions on Standard Assets as on

(₹ in Crore)

S.N	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	Provisions towards Standard Advances	691.31	572.18
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	0.47	1.86
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	21.51	0.00
4	Interest rate derivative	0.00	0.00
	Total	713.29	574.04

4.9 Details of floating provisions

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is holding a general provision of ₹ 21.06 crore (₹ 21.06 crore) which is reckoned for computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI permission.

5. Business Ratios

	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds.	9.21%	9.24%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.73%	0.69%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.71%	1.55%
(iv)	Return on Assets	0.33%	0.30%
(v)	Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore)	15.60	14.35
(vi)	Profit per Employee (₹ in Lakh)	3.00	2.68

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	398.35	1420.93	77.03	109.16	1661.41	2188.50	3548.03	4.69	0.00	0.00	9408.10
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	436.65	1568.89	1.43	7.87	1547.59	2129.19	3691.25	65.57	95.52	0.00	9543.97

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :

मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मान (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियाँ		
1 कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियाँ		13461.80
नकदी बहिर्गमन		
2 रिटेल जमाराशियाँ और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियाँ	89998.92	7824.08
(i) स्थिर जमाराशियाँ	23516.30	1175.81
(ii) कम स्थिर जमाराशियाँ	66482.62	6648.26
3 अरक्षित थोक निधायन, जिनमें से :	14742.23	7426.86
(i) परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्ष)	1432.42	358.10
(ii) अपरिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्ष)	13309.81	7068.76
(iii) अरक्षित ऋण	0.00	0.00
4 रक्षित थोक निधायन		0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से :	12794.13	1411.80
(i) डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन	0	0.00
(ii) ऋण उत्पादों पर निधायन की हानि संबंधी बहिर्गमन	0	0.00
(iii) ऋण और तरलता उत्पाद	12794.13	1411.80
6 अन्य अनुबंधात्मक निधायन बाध्यताएँ	120.00	120.00
7 अन्य आकस्मिक निधायन बाध्यताएँ	29991.60	1499.58
8 कुल नकदी बहिर्गमन		18282.32
नकदी अंतर्वाह		
9 रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो)	33.33	0.00
10 पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह	2201.74	1351.71
11 अन्य नकदी अंतर्वाह	488.06	284.64
12 कुल नकदी अंतर्वाह	2723.13	1636.35
कुल समायोजित राशि		
13 कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियाँ		13461.8
14 कुल निवल नकदी अंतर्वाह		16645.97
15 तरलता कवरेज अनुपात (%)		80.87%

6.1 Liquidity Coverage Ratio:

Quantitative Disclosure:

(₹ in crore)

	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets		
1 Total High Quality Liquid Assets(HQLA)		13461.80
Cash outflows		
2 Retail Deposits and Deposits from Sma' siness Customers, of which:	89998.92	7824.08
(i) Stable Deposits	23516.30	1175.81
(ii) Less Stable Deposits	66482.62	6648.26
3 Unsecure Wholesale Funding, of which:	14742.23	7426.86
(i) Operational Deposits (all counterparties)	1432.42	358.10
(ii) Non operational Deposits (All counterparties)	13309.81	7068.76
(iii) Unsecured debt	0.00	0.00
4 Secured wholesale funding		0.00
5 Additional requirements, of which:	12794.13	1411.80
(i) Outflows related to derivatives exposure and other collateral requirements	0	0.00
(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0	0.00
(iii) Credit and liquidity products	12794.13	1411.80
6 Other contractual funding obligations	120.00	120.00
7 Other contingent funding obligations	29991.60	1499.58
8 Total Cash Outflows		18282.32
Cash inflows		
9 Secured lending (e.g. reverse repos)	33.33	0.00
10 Inflows from fully performing exposures	2201.74	1351.71
11 Other cash inflows	488.06	284.64
12 TOTAL CASH INFLOWS	2723.13	1636.35
		Total Adjusted Value
TOTAL HQLA		13461.8
TOTAL NET CASH OUTFLOWS		16645.97
Liquidity coverage ratio (%)		80.87%

6.2 गुणात्मक प्रकटन तरलता कवरेज अनुपात:

1) तरलता प्रबंधन

बैंक में अपनी तरलता स्थिति की दैनिक आधार पर निगरानी करने हेतु बैंक का एक तंत्र कार्यरत है। तरलता प्रबंधन हेतु यह पूर्वानुमान टूल्स का भी उपयोग करता है। तरलता मानकों पर अवसंरचना अर्थात् तरलता कवरेज अनुपात-तरलता जोखिम निगरानी टूल - 01 जनवरी, 2015 से एक मानक बन गया है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट इन मानकों का अनुपालन करता है।

2) तरलता कवरेज अनुपात

तरलता कवरेज अनुपात का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई बैंक भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है, ताकि बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एक उल्लेखनीय गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे नकदी में परिवर्तित कर सके। वर्तमान में, न्यूनतम 60% तरलता कवरेज अनुपात आवश्यक है। तरलता कवरेज अनुपात की गणना दो प्रकार से की जा सकती है i) उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां, ii) 30 दिनों की समयावधि में निवल नकदी बहिर्गमन।

i) उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) में मुख्य रूप से शामिल हैं:

- नकदी, न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात आवश्यकता की अधिकता में एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
- अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा के लिए और तरलता कवरेज अनुपात हेतु तरलता प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) की पात्र होती हैं।
- किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा या पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा "एए" या उससे बेहतर ऋण रेटिंग वाली किसी अन्य संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किए गए कॉर्पोरेट बॉण्ड और वाणिज्यिक दस्तावेज़।
- किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी या किसी अन्य संबद्ध इकाइयों को छोड़कर किन्हीं अन्य इकाइयों में और एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और/या एफएंडपी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांकों में शामिल इक्विटी निवेश।

ii) छोटे और कारोबारी ग्राहकों को छोड़कर, जिनके लिए मीयादी जमा राशियों की परिपक्वता 30 दिनों के लिए मानी गई है, नकदी बहिर्गमन पर मुख्यतः कुल जमा राशियों (अवधि कोई भी हो) पर विचार किया जाता है। नकदी बहिर्गमन को 30 दिनों की अवधि के लिए अनुबंधात्मक नकदी अंतर्वाह से घटाया गया है।

31.03.2015 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का औसत तरलता कवरेज अनुपात 80.87% था। 80.87% का तरलता कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि 30 दिनों की अवधि पर भारत निवल नकदी बहिर्गमन का औसत 80.87% उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की भारत राशि द्वारा कवर किया गया है।

3) तरलता जोखिम प्रबंधन हेतु अन्य निगरानी टूल्स

तरलता कवरेज अनुपात के साथ-साथ बैंक ने तरलता जोखिम प्रबंधन हेतु अन्य निगरानी टूल्स भी अपनाए हैं, जैसे कि :

1. बेमेल अनुबंधात्मक परिपक्वता

बेमेल अनुबंधात्मक परिपक्वता प्रोफाइल निर्दिष्ट समयावधि के लिए तरलता के अनुबंधात्मक अंतर्वाह और बहिर्गमन के बीच के अंतराल की पहचान करती है। ये तरलता अंतराल दर्शाते हैं कि यदि सभी बहिर्गमन निकटतम दिनांक पर होते हैं तो प्रत्येक अंतराल में कितनी तरलता की संभावित उगाही करनी होगी। यह तंत्र बैंक की अपने चालू अनुबंधों की परिपक्वता रूपान्तरण पर निर्भरता सीमा को व्याख्यायित करता है।

बैंक द्वारा इस बेमेल अनुबंधात्मक परिपक्वता की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

6.2 Qualitative Disclosure LCR:-

(a) Liquidity Management

The bank has mechanism to monitor its liquidity position on daily basis. It is also using predictive tools to manage the liquidity. Framework on liquidity standards i.e. Liquidity coverage ratio – liquidity risk monitoring tools has become a standard with effect from 01st January 2015. It is complying with these standards prescribed by RBI.

(b) Liquidity Coverage Ratio:

Liquidity coverage ratio aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day's time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI. At present the minimum requirement of LCR is 60%.

There are two components to calculate the LCR (i) High Quality Liquid Assets (ii) Net Cash outflow over the 30 days time period.

(i) High Quality Liquid Assets (HQLAs) majorly consist of,

- Cash , Investment in SLR securities in excess of minimum SLR requirement,
- Within mandatory SLR requirement , government securities eligible for RBI's Marginal Standing Facility and Facility to avail liquidity for liquidity coverage ratio (FALLCR),
- Corporate bonds/commercial papers, not issued by a bank/financial institution/NBFC or any other affiliated entities with the credit rating "AA-" or better by eligible credit rating agencies.
- Equity investment in the entities other than bank/ financial institution/NBFC or any other affiliated entities and included in the NSE CNX Nifty and/or S&P BSE Sensex indices

(ii) Cash outflows have been considered majorly on account of total deposits (irrespective of period) except for small and business customers for which term deposits maturing within 30 days have been considered. Cash outflows are netted off with the contractual cash inflows for 30 days period.

The Banks' average LCR for the quarter end 31.03.15 was 80.87%. LCR of 80.87% indicates that on an average 80.87% of weighted net cash outflows over period of 30 days are covered by weighted amount of HQLAs.

c) Other monitoring tools for liquidity risk management:

In addition to the LCR, the Bank has employed other monitoring tools for liquidity risk management such as:

1. Contractual maturity mismatch:

The contractual maturity mismatch profile identifies the gaps between the contractual inflows and outflows of liquidity for defined time bands. These liquidity gaps indicates how much liquidity would potentially need to raise in each of these time bands if all outflows occurred at the earliest possible date. This metric provides insight into the extent to which the bank relies on maturity transformation under its current contracts.

The Bank is monitoring this contractual maturity mismatch on daily basis.

2. निधियों का संकेन्द्रण :

यह तंत्र निधियों के उस स्रोत की पहचान करता है, जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जिसके आहरण से तरलता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बैंक ने किसी एक ग्राहक से स्वीकार की जाने वाली अधिकतम जमा राशि की सीमा तय की है। बैंक की निधियन के स्रोत अत्यंत विस्तृत हैं।

3. उपलब्ध भाररहित आस्तियां :

यह तंत्र ऐसी उपलब्ध भाररहित आस्तियों की जानकारी प्रदान करता है, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से अथवा अनुषंगी बाजारों से अतिरिक्त रक्षित निधियन उगाहने में सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो।

4. विशिष्ट मुद्रा द्वारा तरलता कवरेज अनुपात :

बैंक का विदेशी मुद्रा में उल्लेखनीय विगोपन न होने के कारण यह किसी भी अन्य विदेशी मुद्रा के लिए तरलता कवरेज अनुपात की गणना नहीं करता।

5. बाजार से संबंधित निगरानी टूल्स :

इसके अंतर्गत उच्च बारंबारता का मार्केट डाटा शामिल है, जो संभावित तरलता कठिनाईयों की स्थितियों की निगरानी में समय रहते चेतावनी संकेतक का कार्य कर सकता है। इसमें बैंक के शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव, बैंक द्वारा उगाही गई जमा राशियों के प्रमाणपत्र की बढ़ा दर और बैंक द्वारा जारी बॉन्ड की किमतें शामिल हैं।

6. अंतर दिवस (इन्ट्रा डे) तरलता प्रबंधन :

बैंक में अंतर दिवस (इन्ट्रा डे) तरलता रणनीतियों का विकास कर उन्हें अपनाया है, जो नकदी के संभावित दैनिक अंतर्वाह और बहिर्गमन की माप और निगरानी में सहायक हैं। इस सुविधा से अंतर दिवस (इन्ट्रा डे) आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में अंतर दिवस (इन्ट्रा डे) निधियन प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमा राशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	11099.19	15473.77
बैंक की कुल जमा राशियों से 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियों का प्रतिशत	9.09%	13.25%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	14831.10	12437.88
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	14.65%	13.76%

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	16074.52	15577.87
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	13.77%	12.87%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	921.53	375.62

2. Concentration of Funding:

This metric is meant to identify that source of funding that is of such significances, the withdrawal of which could trigger liquidity problems. The Bank has put in place a limit on maximum amount for accepting deposit from single customer. It has diversified sources of funding.

3. Available unencumbered assets:

This provides the information on the available unencumbered assets which have the potential to be used as collateral to raise additional secured funding in secondary markets or from RBI.

4. LCR by significant currency;

The Bank does not have significant exposure to foreign currency hence it doesn't compute LCR for any other foreign currency.

5. Market related monitoring tools:

This includes high frequency market data that can serve as early warning indicators in monitoring potential liquidity difficulties. This includes movement in share prices of the bank, discount rate of certificate of deposits raised by it and prices of bonds issued by it.

6. Intraday liquidity management:

The Bank has developed and adopted intra-day liquidity strategies that allow monitoring and measure expected daily inflows and outflows. This facilitates arrangement to acquire sufficient intraday funding to meet the intraday needs.

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Deposits of Twenty largest Depositors	11099.19	15473.77
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	9.09%	13.25%

7.2 Concentration of Advances (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Advances of Twenty largest borrowers	14831.10	12437.88
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.65%	13.76%

7.3 Concentration of Exposure (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	16074.52	15577.87
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	13.77%	12.87%

7.4 Concentration of NPAs (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to top four NPA accounts	921.53	375.62

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	2859.85	1137.55
वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियों) वृद्धि	4633.64	2589.28
उप जोड़ (क)	7493.49	3726.83
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	397.62	101.39
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	430.13	364.87
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	220.66	378.25
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	43.02	22.47
उप जोड़ (ख)	1091.43	866.98
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	6402.06	2859.85

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	1213.45	1140.96
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते पर परिवर्तन	220.71	380.73
उप जोड़ (क)	1434.16	1521.69
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुई वसूलियां (ख)	152.39	308.24
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	1281.77	1213.45

7.7 क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र	2014-15			2013-14		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%)	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%)
क	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	12079.59	738.79	6.12	10276.07	629.57	6.13
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	7316.72	945.35	12.92	6441.00	377.24	5.86
3	सेवाएं	9478.54	1705.00	17.99	8880.81	461.97	5.20
4	वैयक्तिक ऋण	6776.43	159.82	2.36	6412.79	137.12	2.14
	उप-जोड़ (क)	35651.28	3548.96	9.95	32010.67	1605.90	5.02

7.5 Movement of Gross NPAs (₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	2859.85	1137.55
Additions (Fresh NPA) during the year	4633.64	2589.28
Sub-total (A)	7493.49	3726.83
Less:		
(i) Up gradations	397.62	101.39
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	430.13	364.87
(iii) Technical / Prudential write-off	220.66	378.25
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	43.02	22.47
Sub-Total (B)	1091.43	866.98
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	6402.06	2859.85

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off (₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	1213.45	1140.96
Add: Technical / Prudential write-offs during the year + variation (₹0.05 crore for CY and ₹2.48 crore for PY)	220.71	380.73
Sub-Total (A)	1434.16	1521.69
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	152.39	308.24
Closing balance as at 31st March (A-B)	1281.77	1213.45

7.7 Sector-Wise Advances: (₹ in crore)

S. N.	Sector	2014-15			2013-14		
		Out-standing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	Out-standing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	12079.59	738.79	6.12	10276.07	629.57	6.13
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	7316.72	945.35	12.92	6441.00	377.24	5.86
3	Services	9478.54	1705.00	17.99	8880.81	461.97	5.20
4	Personal loans	6776.43	159.82	2.36	6412.79	137.12	2.14
	Sub-total (A)	35651.28	3548.96	9.95	32010.67	1605.90	5.02

ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	0	0	0	0	0	0
2	उद्योग	31315.41	1387.70	4.43	27336.09	874.42	3.20
3	सेवाएं	27550.09	1351.42	4.91	25090.82	307.16	1.22
4	वैयक्तिक ऋण	6693.48	113.98	1.70	5931.08	72.37	1.22
	उप-जोड़ (ख)	65558.98	2853.10	4.35	58357.99	1253.95	2.15
	कुल (क+ख)	101210.26	6402.06	6.33	90368.66	2859.85	3.16

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कुल आस्तियां	54.13	62.61
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	0.60	1.10

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2015	31.03.2014
क. प्रत्यक्ष विगोपन	17703.01	15689.29
(i) आवासीय बंधक - जिसमें से ₹ 25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं. (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में जोड़े जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाए)	10656.38 6824.25	9819.91 6362.92
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं एनएफबी भी शामिल हैं.	7046.62	5869.38
(iii) बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-		
क) आवासीय	शून्य	शून्य
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख) अप्रत्यक्ष निवेश		
राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	3547.45	3606.51
रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	21250.46	19295.80

B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
2	Industry	31315.41	1387.70	4.43	27336.09	874.42	3.20
3	Services	27550.09	1351.42	4.91	25090.82	307.16	1.22
4	Personal loans	6693.48	113.98	1.70	5931.08	72.37	1.22
	Sub-total (B)	65558.98	2853.10	4.35	58357.99	1253.95	2.15
	Total (A+B)	101210.26	6402.06	6.33	90368.66	2859.85	3.16

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Assets	54.13	62.61
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	0.60	1.10

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector (₹ in Crore)

Category	31.03.2015	31.03.2014
a) Direct exposure	17703.01	15689.29
(i) Residential Mortgages – Out of which Loans up to ₹ 25 lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	10656.38 6824.25	9819.91 6362.92
(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	7046.62	5869.38
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential,	Nil	Nil
b. Commercial Real Estate.	Nil	Nil
b) Indirect Exposure	3547.45	3606.51
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
Total Exposure to Real Estate Sector	21250.46	19295.80

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
(i) ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	103.50	124.30
(ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
(iii) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	1.09	2.76
(iv) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को संपादार्थिक प्रतिभूति माना गया है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती.	11.93	11.60
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	56.52	55.17
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
(vii) अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
(x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी निवेश	30.53	31.60
पूंजी बाजार में कुल निवेश	203.57	225.43

8.3 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है.

8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	103.50	124.30
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	1.09	2.76
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	11.93	11.60
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	56.52	55.17
(vi) Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	Nil	Nil
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	Nil	Nil
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	30.53	31.60
Total Exposure to Capital Market	203.57	225.43

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits, in respect of lending to single borrower or group borrower during the Financial Year 2014-15.

8.4 अंतर-समूह विगोपन

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	2014-15
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	90.14
2	20 मुख्य अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	90.14
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.08%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2015
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	21.51
2	यूएफसीई पर धारित वृद्धिशील पूंजी	28.10

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले मुद्रा प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधान के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

क) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु ₹ 10.00 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले 5 वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया गया। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/या प्राकृतिक रूप से संरक्षित को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (वित्तीय रक्षित को डेरिवेटिव संविदा (अर्थात् वायदा संरक्षा) और प्राकृतिक रूप से रक्षित पर भी विचार किया गया। जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी मुद्रा विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई थी। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी वित्तीय वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।

ख) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरित दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

ग) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, ऐसे घटकों का मूल्यन यूएफसीई के कवर हेतु समुचित प्रीमियम को दर्ज करके उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित पुनर्मूल्यन के अनुसार होता है।

8.6 गैर जमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2015 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹ 880.15 करोड़ (₹ 531.53 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2015 को अनुमानित मूल्य ₹ 1237.33 करोड़ (₹ 848.29 करोड़) है।

8.4 Intra-Group Exposures :

The details of the intra-group exposures of the bank are as under; (₹ in crore)

S. N	Particulars	2014-15
1	Total amount of intra-group exposures	90.14
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	90.14
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.08%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure: (₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2015
1	Additional provisioning made on account of UFCE	21.51
2	Incremental Capital held on account of UFCE	28.10

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

a. Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of ₹ 10 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

b. Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

c. Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advance include ₹880.15 Crore (₹531.53 crore) as on 31.03.2015 which are collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹1237.33 Crore (₹ 848.29 crore) as on 31.03.2015.

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2015 को विगोपन (निवल)	31.03.2015 को धारित प्रावधान	31.03.2014 को विगोपन (निवल)	31.03.2014 को धारित प्रावधान
नगण्य	2303.00	0.00	2166.73	0.00
कम	521.01	0.00	700.55	0.00
साधारण	53.74	0.00	187.47	0.00
उच्च	8.11	0.00	20.15	0.00
अति उच्च	2.83	0.00	6.84	0.00
प्रतिबंधित	0.00	0.00	0.18	0.00
ऋणेत	0.05	0.00	0.00	0.00
कुल	2888.74	0.00	3081.92	0.00

बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन हर देश के लिए दिनांक 31.03.2015 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

8.8 प्रावधान संरक्षा अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-10 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 46.57% है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2015 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है:

जबकि ऐसे प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर ₹ 2049.81 और 31.03.2015 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो आवश्यक न्यूनतम अपेक्षित 70% की तुलना में 174.57% है।

9 विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम (₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
आयकर हेतु प्रावधान	449.29	307.88

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	*1387.20	742.51
2	मानक अग्रिमों हेतु किए गए प्रावधान	119.14	156.58
3	पुनर्संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान	20.43	221.45
4	एफएस / एचएफटी निवेशों पर मल्यह्रास	0.00	91.20
5	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	22.13	11.45
6	निवेश पर प्रावधान -सीडीआर/पुनर्संरचित	0.00	14.54
7	अरक्षित विदेश विनिमय विगोपन का प्रावधान	21.51	0.00
8	आयकर पर प्रावधान	449.29	307.88
9	आस्थगित कर आस्ति/देयता (निवल)	0.00	78.75
10	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	10.02	20.47
	उप जोड़(क)	2029.72	1644.83
	घटायें : प्रतिलेखन/समायोजन		
1	निवेश पर मूल्यह्रास का प्रतिलेखन	28.40	0.00

8.7 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2015	Provision held as at March 31, 2015	Exposure (net) as at March 31, 2014	Provision held as at March 31, 2014
Insignificant	2303.00	0.00	2166.73	0.00
Low	521.01	0.00	700.55	0.00
Moderate	53.74	0.00	187.47	0.00
High	8.11	0.00	20.15	0.00
Very High	2.83	0.00	6.84	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.18	0.00
Off-credit	0.05	0.00	0.00	0.00
Total	2888.74	0.00	3081.92	0.00

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2015, no provision is required in terms of RBI guidelines.

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 46.57%. This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2015.

Whereas such provision coverage ratio (PCR) calculated as per RBI circular No. DP.DC.87/21.04.048/2010-11, dated April 21, 2011, based on NPA level as on 30.09.2010 ₹ 2049.81crore and NPA provision as on 31.03.2015 works out to 174.57%, as against minimum required 70%.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year: (₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Provision for Income Tax	449.29	307.88

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1	Provision towards NPA	*1387.20	742.51
2	Provisions for Standard Advances	119.14	156.58
3	Provisions for Restructured Advances	20.43	221.45
4	Depreciation on investments in AFS/HFT	0.00	91.20
5	Provision for Non Performing Investment	22.13	11.45
6	Provision for Investment – CDR/ Restructure	0.00	14.54
7	Provision for un-hedged foreign currency exposure	21.51	0.00
8	Provision for Income tax	449.29	307.88
9	Deferred Tax Asset / Liability(Net)	0.00	78.75
10	Other provision and contingencies	10.02	20.47
	Sub-total (A)	2029.72	1644.83
	Less: Write back / adjustments		
1	Write-back of depreciation on Investment	28.40	0.00

2	आयकर प्रावधान पर प्रतिलेखन	53.83	24.43
3	आस्थगित कर देयता/आस्ति	32.92	0.00
4	पुनर्संरचित निवेश प्रावधान पर प्रतिलेख	5.79	0.00
5	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	4.38	0.00
	उप जोड़ (ख)	125.32	24.43
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	1904.40	1620.40

*अनर्जक आस्ति प्रावधान में ₹ 1.54 करोड़ (शून्य) की राशि सम्मिलित है जो कि "एमओ समझौता योजना 2013-14 के अधीन वर्ष 2013-14 के दौरान समझौता के अधीन बही खाता शेष में किए गए परित्याग की राशि है।

9.3 स्थिर आस्तियां

9.3.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान ₹ 49.44 करोड़ (₹ 54.68 करोड़) के मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया।

9.3.2 ₹ 6.54 करोड़ (₹ 6.54 करोड़) के सकल मूल्य के 4(4) से संबंधित पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों/परिसरों के संबंध में हक विलेख लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद/औपचारिकताएं पूरी न होने / लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है।

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम में ₹ 693.94 करोड़ (₹ 801.01 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है। ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले ₹ 43.07 करोड़ (₹ 71.84 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है।

9.5 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में ₹ 0.44 करोड़ (₹ 0.44 करोड़) की रकम शामिल है।

9.6 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक पर दंड लगाया, जो कि निम्नानुसार है।

तुलनपत्र की तारीख के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/ धन शोधन निवारक (एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने पर बैंक पर ₹ 1.50 करोड़ का दंड लगाया है।

9.7 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	2014-15	2013-14
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3	10
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2071	1692
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2072	1699
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	3

9.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है

क्रं.	विवरण	2014-15	2013-14
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	25	8
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	25	8
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

2	Write-back of provision for Income Tax	53.83	24.43
3	Deferred Tax Assets/ Liability	32.92	0.00
4	Write back of provision for restructured Investment	5.79	0.00
5	Other provision and contingencies	4.38	0.00
	Sub-total (B)	125.32	24.43
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	1904.40	1620.40

*Provision for NPA includes an amount of ₹1.54 crore (Nil) being the amount of sacrifice in ledger balance in respect of accounts settled during the year 2013-14, under the "M0 Settlement Scheme 2013-14"

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 Depreciation for the current year amounting to ₹ 49.44 crore (₹ 54.68 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.

9.3.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crore (₹ 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain long pending legal disputes / formalities

9.4 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to ₹693.94 Crore (₹ 801.01 Crore) which have not been cancelled because of pending completion formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹43.07 Crore (₹ 71.84 Crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions

9.5 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include ₹ 0.44 Crore (₹ 0.44 cr) towards unclaimed Share Application Money.

9.6 During the year, Reserve Bank of India has not imposed penalty under section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949 on the Bank.

After the Balance Sheet date, Reserve Bank of India imposed penalty of ₹ 1.50 crore on the bank for violation of Reserve Bank of India instructions on Know Your Customer (KYC) / Anti Money Laundering (AML).

9.7 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2014-15	2013-14
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	3	10
(b)	No. of complaints received during the year	2071	1692
(c)	No. of complaints redressed during the year	2072	1699
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	2	3

9.8 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

S. N.	Particulars	2014-15	2013-14
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	25	8
(c)	No. of Awards implemented during the year.	25	8
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.9 वर्ष के दौरान बैंक के एटीएम संयवहारों के संबंध में ग्राहक शिकायतों के विवरण

क्र.	विवरण	2014-15	2013-14
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3484	3997
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	69767	109486
(ग)	वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	72995	109999
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	256	3484

9.10 एटीएम संयवहारों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2014-15	2013-14
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	5	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	5	1
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.11 चुकौती आश्वासन पत्र

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1767.71 करोड़ के 1347 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1561.88 करोड़ के 1518 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31 मार्च, 2015 को ₹ 748.18 करोड़ के 478 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31.03.2014 को ₹ 628.37 करोड़ के 488 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे।

9.12 बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन अर्जित आय ₹11.19 करोड़ (₹10.80 करोड़) रही। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आय का स्वरूप	2014-15	2013-14
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	7.02	7.32
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	4.13	3.43
3	म्युचुअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	0.04	0.05
4	अन्य (उल्लेख करें)	0.00	0.00
	कुल	11.19	10.80

9.9 The details of Customer complaints on account ATM transactions dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2014-15	2013-14
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	3484	3997
(b)	No. of complaints received during the year	69767	109486
(c)	No. of complaints redressed during the year	72995	109999
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	256	3484

9.10 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

S. N.	Particulars	2014-15	2013-14
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	5	1
(c)	No. of Awards implemented during the year	5	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

9.11 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, 1347 Trade credits aggregating to ₹1767.71 Crore (1518 trade credits aggregating to ₹ 1561.88 Crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March, 2015, 478 trade credits amounting to ₹748.18 Crore were outstanding as against 488 trade credits amounting to ₹ 628.37 Crore as on 31st March, 2014

9.12 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is ₹11.19 Crore (₹10.80 crore). The details of Bancassurance income is as under: (₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2014-15	2013-14
1	For selling life insurance policies	7.02	7.32
2	For selling non-life insurance policies	4.13	3.43
3	For selling mutual fund products	0.04	0.05
4	Others (specify)	0.00	0.00
	Total	11.19	10.80

9.13 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ)

(₹ करोड़ में)

व्योरे	2014-15	2013-14
डीईएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	शून्य	लागू नहीं
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित रकम	52.67	लागू नहीं
घटाएं - डीईएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	0.01	लागू नहीं
डीईएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	52.66	लागू नहीं

9.14 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबद्ध किया है।

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है।

10.3 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹ 75.12 करोड़ (₹ 73.48 करोड़) रही।

10.4 लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारियों के लाभ"

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं : (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
भविष्य निधि	0.25	0.28

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

9.13 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening balance of amount transferred to DEAF	NIL	NA
Add: Amount transferred to DEAF during the year	52.67	NA
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	0.01	NA
Closing balance of amount transferred to DEAF	52.66	NA

9.14 Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts

10.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credited in the Profit and Loss account for the year is ₹ 75.12. crore (₹ 73.48 crore).

10.4 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans: (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provident Fund	0.25	0.28

B. Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan** - This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan** - This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment / Compensated Absences** - This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	3216.27	2772.84	506.05	483.29	235.24	208.92
2	ब्याज लागत Interest Cost	247.45	226.87	36.97	37.74	17.68	16.79
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	454.02	457.90	26.79	27.56	35.67	32.36
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(246.19)	(207.40)	(87.87)	(78.57)	(28.40)	(22.66)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	58.29	(33.94)	13.45	36.03	14.87	(0.17)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	3729.84	3216.27	495.39	506.05	275.06	235.24

II योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	3115.90	2541.49	453.68	383.56
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुनर्अदायगी Expected return on plan assets	293.83	232.29	34.39	34.52
3	किया गया अंशदान Contributions made	481.05	534.60	85.74	119.88
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(246.19)	(207.40)	(87.87)	(78.57)
5	उपचित लाभ / हानि Actuarial gains/(losses)	32.01	14.92	3.18	(5.71)
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	3676.60	3115.90	489.12	453.68

III तुलन पत्र में निर्धारित रकम

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. S N	विवरण Particulars	निधि परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधि परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	3729.84	3216.27	495.391	506.05	4225.23	3722.32	275.06	235.24
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(3676.60)	(3115.90)	(489.12)	(453.68)	(4165.72)	(3569.58)	(0.00)	(0.00)

3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	53.24	100.37	6.27	52.37	59.51	152.74	275.06	235.24
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	53.24	100.37	6.27	52.37	59.51	152.74	275.06	235.24

IV लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकम:

IV. Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	454.02	457.90	26.79	27.56	35.67	32.36
2	ब्याज लागत Interest Cost	247.45	226.87	36.97	37.74	17.68	16.79
3	Expected Return on Plan Assets योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	(293.83)	(232.29)	(34.39)	(34.52)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	26.27	(48.86)	10.27	41.74	14.87	(0.17)
5	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	433.92	403.62	39.64	72.52	68.22	48.98
7	वर्ष 2010-11 में अधिसूचना क्र. डीबीओडी. क्र. बीसी.80/ 21.04.018/2010-11 के द्वारा पेन्शन योजना के पुनर्प्रारंभ व उपदान सीमा में बढ़ोत्तरी के कारण आगे लाए गए वृद्धिगत दायित्व Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. DBOD.No.BC.80/ 21.04.018/2010-11 in 2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दूसरे विकल्पकर्ता द्वारा पेन्शन निधि में सीधे लौटाई गई निधि Fund refunded by 2 nd Optee directly to Pension Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	(37.87)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	433.92	365.75	39.64	72.52	68.22	48.98

V. तुलन पत्र में निधिरित निवल देयता का समाधान

V. Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	100.37	269.22	52.37	99.73	235.24	208.92
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	433.92	365.75	39.64	72.52	68.22	48.98
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/ Benefits paid	(481.05)	(534.60)	(85.74)	(119.88)	(28.40)	(22.66)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	53.24	100.37	6.27	52.37	275.06	235.24

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

VI. Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र. सं.	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	293.83	232.29	34.39	34.52
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर बीमाकिक लाभ (हानि) Actuarial gain /(loss) on plan assets	32.01	14.92	3.18	(41.74)
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	325.84	247.21	37.57	(7.22)

VII. मूल बीमाकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र.सं. Sr No	विवरण	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	भांजित दर Discount rate	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	9.43%	9.14%	7.58%	9.00%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

C. Other Long Term Benefits:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2015	31.03.2014
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.26	0.01
2	छुट्टी किराया रियायत	10.16	21.82
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.11	0.17
	जोड़	10.53	22.00

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2015	31.03.2014
1	Resettlement Allowance	0.26	0.01
2	Leave Fare Concession	10.16	21.82
3	Silver Jubilee Award	0.11	0.17
	Total	10.53	22.00

घ. गैर परिशोधन पेंशन व उपदान देयता

D. Unamortized Pension and Gratuity Liability

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2011 की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/ 2010-11 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन के प्रति दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 102.48 करोड़ का प्रावधान किया गया. (जो कि ₹ 512.38

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD. No. BP. BC. 80 / 21. 04. 018 / 2010-11 dated February 9, 2011, balance provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2015 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension

करोड़ की कुल गैर परिशोधित देयता का 1/5वां भाग यथा ₹ 102.48 को दर्शाता है)।

दिनांक 31.03.2015 को यथास्थिति उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं		कुल	
31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
शून्य	75.05	शून्य	27.43	शून्य	102.48

option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 crore i.e ₹102.48 crore).

The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2015 is as under:

(₹ in Crore)

PENSION PLANS		GRATUITY PLANS		TOTAL	
31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Nil	75.05	Nil	27.43	Nil	102.48

10.5 लेखा मानक 17 क्षेत्र रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है।

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र

10.5 Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

व्यवसाय क्षेत्र - Business Segments	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व Revenue	3154.35	2994.00	6555.92	6257.72	3864.19	3514.05	96.96	85.08	13671.42	12850.85
परिणाम Result	260.22	15.88	409.57	241.80	82.69	450.09	60.90	40.58	813.38	748.35
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									813.38	748.35
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									362.69	362.38
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									450.69	385.97
अन्य जानकारीयां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	37451.69	38012.50	60680.26	55967.61	40320.86	35137.12	6628.77	6453.99	145081.58	135571.22
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									937.21	748.83
कुल आस्तियां Total assets									146018.79	136320.05
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	36784.11	37327.38	55640.23	52427.65	36764.10	32715.89	8660.95	6481.00	137849.39	128951.91
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									102.06	0.00
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									8067.34	7368.14
कुल देयताएं Total liabilities									146018.79	136320.05

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।

ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां

i. कुल औसत वार्षिक पण्यवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/s or to a small business where

i. Total average annual turnover less than ₹ 50 crore and

- ii. एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
- iii. एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है.
- 4) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है.

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है.

10.6 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

क. इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

- (क) संबंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके संबंध:
- (ख) बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- (ग) बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- (घ) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक
- 1) श्री सुशील मुहानोट, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से अब तक)
 - 2) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से अब तक)
 - 3) श्री आर.के गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से अब तक)

ख. संबंधित पक्षों से संव्यवहार - (₹ लाख में)

विवरण	31.03.15	31.03.14
वेतन व भत्ते (परिलब्धियों सहित)	54.93	61.39

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मद	महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक
1	जमा राशि	26.00
2	प्रदत्त ब्याज	3.00

एएस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 के मद्देनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है.

10.7 लेखा मानक-20 --प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	₹ 4.50	₹ 4.56
अनुकृत प्रति शेयर अर्जन		
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना.		
क) कर उपरांत निवल लाभ और अधिमान लाभों सह कर लाभों सह कर (₹ लाख में)	₹ 45069.18	₹ 32405.45
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	10011.75	7111.12
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹ 4.50	₹ 4.56
ड) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 लेखा मानक 22 आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है. तदनुसार,

- ii. No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
- iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 Crore.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.6 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

A. The details in this regard are as under:

- a) Name of the Related Parties and their relationship:
- b) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- c) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank
- d) Key Management Personnel-
 1. Shri Sushil Muhnot Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 to till date)
 2. Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 to till date)
 3. Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)

B. Transactions with Related parties (₹ in lakh)

Particulars	31.03.15	31.03.14
Salary & Allowances (including perquisites)	54.93	61.39

(₹ in lakhs)

Sr. No	Items	Key management personnel
1	Deposits	26.00
2	Interest paid	3.00

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.7. Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Basic / Diluted E.P.S.	₹4.50	₹ 4.56
Diluted E.P.S.		
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and preference dividend plus tax dividend plus tax (₹ in lakh)	₹45069.18	₹32405.45
b) Weighted Average number of Equity Shares (in lakh)	10011.75	7111.12
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹4.50	₹ 4.56
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The bank has accounted for taxes on income in compliance

आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :
(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आस्थगित कर आस्तियां		
1) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	78.20	80.31
2) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीए बनाया गया है.	199.41	144.68
उप जोड़ (क)	277.61	224.99
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	121.93	103.44
2) निवेश पर मूल्यह्रास के रूप में	194.30	195.64
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में	14.42	11.87
उप जोड़ (ख)	330.65	310.95
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	(-)53.04	(-)85.96

10.9 लेखा मानक 24 परिचालन का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.10 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि	3 वर्ष
परिशोधन दर	33.33%
परिशोधन पद्धति	लागत पर सरल रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	15.99	3.72
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	34.80	21.92
वर्ष के दौरान परिशोधन	16.93	9.65
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	33.86	15.99

10.11 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं. इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

10.12 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियां

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

11 ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान

ऐसे ऋण और अग्रिम जोकि 31.12.2014 को मानक श्रेणी में थे तथा जिन्हें 31.03.2015 की तिमाही के दौरान धोखाधड़ी के मामले के रूप में पाया गया, ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इस संबंध में बकाया रकम के 50% तक प्रावधान किए गए. 31 दिसंबर 2014 की तिमाही के दौरान जिन अग्रिमों को अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत किया गया, तथा ऐसे अग्रिम 31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान धोखाधड़ी वाले अग्रिम पाए गए, तो ऐसे अग्रिमों पर शेष के 50% तक प्रावधान किए गए इसके अतिरिक्त 31 दिसंबर 2014 को इन अग्रिमों पर पहले ही प्रावधान किए गए थे। यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 अप्रैल 2015 के पत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.83/21.04.048/2014-15 के अनुसरण में की गई।

31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 982.58 करोड़ राशि के ऋण और अग्रिमों को धोखाधड़ी के मामले में वर्गीकृत किया गया तथा तदनुसार ₹ 619.02 करोड़ की रकम के प्रावधान किए गए। 31 मार्च, 2015 की स्थिति को ₹ 1249.51 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है तथा उस पर ₹ 885.95 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अग्रिमों के संबंध में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 363.56 करोड़ के प्रावधान किए जाएंगे।

12 चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने हेतु जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों को समूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया.

with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:
(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Deferred Tax Assets		
1) On account of provisions for Employees benefits	78.20	80.31
2) Other Provisions where DTA is created	199.41	144.68
Sub-Total (A)	277.61	224.99
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	121.93	103.44
2) On account of Depreciation on Investment	194.30	195.64
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	14.42	11.87
Sub-Total (B)	330.65	310.95
Net Deferred Tax Asset (A-B)	(-)53.04	(-)85.96

10.9 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2014-15, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.10 Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	- 3 years.
Amortization Rate	- 33.33 %
Amortization Method	- Straight line at cost

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Software at the beginning of the year	15.99	3.72
Software acquired during the year	34.80	21.92
Amortization during the year	16.93	9.65
Net carrying amount at the end of the year	33.86	15.99

10.11.Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.12Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. Provision for fraud cases in loans and advances:

In respect of loans and advances, which were in standard category as on December 31, 2014 and are detected as fraud during the quarter ended March 31, 2015, such advances are classified as non-performing and the provision is made to the extent of 50% of the outstanding amount. In respect of loans and advances that were classified as non -performing as on December 31,2014 and where such advances are detected as fraud during the quarter ended March 31,2015, provision during the quarter ended March 31, 2015 is made to the extent of 50% on the balance of such advances as reduced by the provision already made as on December 31,2014 on those advances. This has been done in term of RBI Circular DBR.No.BP. BC.83/21.04.048/2014-15, dt. April 1, 2015

During the quarter ended March 31, 2015 loans and advances amounting to ₹982.58 crore, were classified as fraud and accordingly, the provision made thereagainst amounting to ₹619.02 crore. As on March 31, 2015, the loans and advances that are classified as fraud amounting to ₹1249.51 crore and provision stood thereagainst at ₹885.95 crore. The provision that will be made during the year 2015-16 would be ₹363.56 crore in respect of such advances.

12. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure

बेसल III - 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं। बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी।

बेसल III ढांचे में तीन आपसी संबलित पिलर्स शामिल हैं -

- पिलर 1 : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं
- पिलर 2 : पूंजी पर्याप्तता हेतु पर्यवेक्षकीय समीक्षा
- पिलर 3 : बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं। ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं।

डीएफ-1 अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(i) गुणात्मक प्रकटन

क) समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

- दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) इंडिया
- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. Upon full implementation, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

- Pillar 1: Minimum Capital Requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk
- Pillar 2: Supervisory Review of Capital Adequacy
- Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on the capital adequacy and risk management framework of the Bank. These disclosures have been set out in the following sections:

DF-1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

- The Maharashtra Executors & trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India
- Maharashtra Gramin Bank (MGB)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity/Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/ना) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/ना) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	ला.न. NA	ला.न. NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है। The entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)/ इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	ला.न. NA	ला.न. NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है। अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है। The entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%.

ख) समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

ii) मात्रात्मक प्रकटन

(ii) Quantitative Disclosures

ग) समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

C. List of group entities considered for consolidation (accounting)

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	195.68 लाख 195.68 lakhs (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	990.57 लाख 990.57 Lakhs
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	बैंकिंग Banking	31059.23 लाख 31059.23 lakhs (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	632283.57 लाख 632283.57 lakhs

घ) सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात्, जिनकी कटौती की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2015 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है.

ङ) बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as of March 31, 2015.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction on impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group.

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

1. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है। इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है।

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन की देखरेख समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में की जाती है। बैंक ने मार्गदर्शन देने हेतु पूंजी आयोजना समिति भी गठित की है।

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाव परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल हैं, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है। व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं महत्व के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता है:

साख जोखिम (जिसमें अवशिष्ट जोखिम शामिल हैं)	निपटान जोखिम
बाजार जोखिम	बैंकिंग बहियों पर ब्याज दर जोखिम
परिचालन जोखिम	प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
साख केन्द्रीकरण जोखिम	रणनीतिक जोखिम
तरलता जोखिम	पेंशन बाध्यता जोखिम
देश जोखिम	कानूनी जोखिम
अनुपालन जोखिम	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत साख जोखिम के कम आकलन का जोखिम

बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाव जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाव परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है। पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाव जांच की जाती है।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग:

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है। पूंजी पर्याप्तता और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन

2. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक का प्रयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है।

DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. The Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

The Capital Management of the Bank is administered by its Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of the Board of Directors. The bank has also formed capital planning committee to provide guidance.

Internal Assessment of Capital:

The Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines the adequate level of capitalisation for the Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. The ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the following as risks it is exposed to in the normal course of its business and considers for capital planning:

Credit Risk – including residuary risk	Settlement Risk
Market Risk	Interest Rate Risk on Banking Book
Operational Risk	Reputational Risk
Credit Concentration Risk	Strategic Risk
Liquidity Risk	Pension Obligation Risk
Country Risk	Legal Risk
Compliance Risk	Risk of underestimation of Credit Risk under the Standardized approach

The Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that the stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. The stress tests are used in conjunction with the Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of the Bank monitors the capital adequacy levels of the Bank. On a quarterly basis an analysis of the capital adequacy position and the risk weighted assets and an assessment of the various aspects of Basel III on capital and risk management as stipulated by RBI, are undertaken by the Board.

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

The Bank's capital requirements have been computed using the Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. The minimum capital required to be held at

ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए न्यूनतम 9 प्रतिशत पूंजी की आवश्यकता होती है जो निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	राशि	राशि
(क)	ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी		
(i)	9 प्रतिशत की दर से मानक दृष्टिकोण के अध्वधीन संविभाग	75164.39	
(ii)	प्रतिभूतिकरण निवेश	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		75164.39
(ख)	बाजार जोखिम		
(i)	ब्याज दर जोखिम	2245.96	
(ii)	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	
(iii)	इक्विटी जोखिम	530.84	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		2821.80
(ग)	परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत		6105.00
	मानक दृष्टिकोण के तहत (समानांतर)		6090.70
(घ)	पूंजी अनुपात		एकल (% में)
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात		7.48
	टीयर 1 पूंजी अनुपात		8.76
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)		11.94

सारणी-डीएफ-3 -- ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है। बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण की गई सीधी चूक से हानि उत्पन्न होती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन का संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है। बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं। बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है। इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है।

नीति व रणनीति

बैंक संरक्षी जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है। जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है। उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं। बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है।

9.00% for credit, market and operational risks is given below:

(Amount in ₹ million)

S r . No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	Capital Required for Credit Risk		
(i)	Portfolios subject to Standardised Approach @9%	75164.39	
(ii)	For Securitisation Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		75164.39
(B)	Market Risk		
(i)	Interest Rate Risk	2245.96	
(ii)	Foreign Exchange Risk (including Gold)	45.00	
(iii)	Equity Risk	530.84	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		2821.80
(C)	Capital Charge for Operational Risk		
	Under Basic Indicator Approach		6105.00
	Under The Standardized Approach (Parallel run)		6090.70
(D)	Capital Ratios		Standalone (In %)
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio		7.48
	Tier 1 Capital Ratio		8.76
	Total Capital Ratio(CRAR)		11.94

Table DF-3: Credit Risk - General Disclosures

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

The Bank has comprehensive credit risk management architecture. The Board of Directors of the Bank endorses its Credit Risk strategy and approves the credit risk policies. The Board has formed committees to oversee the risk management processes, procedures and systems in the Bank. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of the Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across the Bank and providing recommendations to the RMC.

Policy & Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of the risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and the strategy of the Bank are decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

1. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
2. जोखिम प्रबंधन नीति
3. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
4. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम मापदंड के अनुसार निर्धारित प्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है। नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III प्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है। निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं।

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं। विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है।

ऋण अनुमोदन समिति : बड़ी शाखाओं / अंचल कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृद्धि या बिना वृद्धि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। प्रधान कार्यालय में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने के लिए नया व्यापारिक समूह (एनबीजी) नामक एक नया समूह बनाया गया है।

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

ऋण जोखिम रेटिंग व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमाण एवं निगरानी के जरिये करता है। बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं। ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार यथोचित जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है।

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है। हर उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है।

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

1. बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना।
2. मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना।

The Bank has put in place the following policies approved by the Board.

- i) Lending & Loan Review Policy
- ii) Credit Risk Management Policy
- iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- iv) Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy

The Lending & Loan Review Policy, Credit Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, the processes and tools whereby the credit risks carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down the details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy forms an integral part of credit risk in the Bank.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: The Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Committees: Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. A structure namely, New Business Group (NBG) is in place at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposal above a specified cut-off.

Sanctioning Powers: The Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables the Bank to accurately assess the risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject the proposal based on the risk appetite of the Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

As a measure of robust credit risk management practices, the Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in the Bank.

Loan review Mechanism: The objectives of the Loan Review Mechanism are:

- i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with the Bank's Lending Policy and delegated lending powers.
- ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by the Bank are adhered to.

3. सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
4. आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
5. बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने हेतु लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 'अनियमित' रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : खाता तब अनियमित माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को 'अनियमित' माना जाएगा

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक पर भुगतान नहीं की जाती तो उसे अतिदेय माना जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन:

- 1) कुल सकल ऋण जोखिम विगोपन, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2015
निधिक	1132474.32
गैर-निधिक	178242.50

- 2) ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण है.

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2015	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1132474.32
गैर-निधिक	शून्य	178242.50

- iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise the risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.
- iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of the Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.
- v) To assess the health of credit portfolio of the Bank and to apprise the Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

The regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures

1. The Total Gross Credit exposure:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2015
Fund Based	1132474.32
Non-Fund Based	178242.50

2. The Geographic Distribution of credit exposure is:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2015	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1132474.32
Non-Fund Based	NIL	178242.50

3) उद्योगवार वितरण

(₹ मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन	गैर-निधिक विगोपन
1	लोहा व इस्पात	33761.60	5022.00
2	अन्य धातु व उत्पाद	23083.30	5739.70
3	सभी अभियांत्रिकी	39429.80	20879.90
3क	इलेक्ट्रॉनिक	10144.70	2072.60
3ख	इलेक्ट्रिकल	0.00	0.00
3ग	अन्य	29285.10	18807.30
4	ऑटोमोबाईल ट्रक सहित	22763.60	882.20
5	वस्त्र	28722.70	8992.50
5क	सूती वस्त्र	7622.50	805.60
5ख	पटसन वस्त्र	169.70	96.70
5ग	अन्य वस्त्र	20930.50	8090.20
6	खाद्य प्रसंस्करण	22983.10	1959.00
6क	चीनी	9769.10	11.70
6ख	चाय	91.70	0.50
6ग	वनस्पति तेल	2293.80	1416.70
6घ	अन्य	10828.50	530.10
7	तम्बाकू	2586.90	10.60
8	कागज व कागज उत्पाद	5134.60	676.50
9	रबर व रबर उत्पाद	6239.50	1183.80
10	रसायन, डाई, पेंट आदि	18344.10	2881.30
10क	पेट्रो रसायन	6104.00	1153.80
10ख	उर्वरक	2550.20	691.30
10ग	औषध व भेषज	8348.20	836.90
10घ	अन्य	1341.70	199.30
11	सीमेंट	17380.10	95.40
12	चमड़ा व चर्म उत्पाद	590.40	29.70
13	रत्न और जेवरात	8167.70	1016.90
14	निर्माण	4581.20	302.40
15	पेट्रोलियम	37616.30	987.90
16	खनन व उत्खनन	5480.00	5885.60
17	लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद	1356.80	300.10
18	कांच और कांच की वस्तुएं	1532.00	179.40
19	मूलभूत संरचना	150304.50	21209.80
19क	पॉवर	103243.00	8291.20
19ख	दूरसंचार	4567.20	702.00
19ग	सड़क	26703.90	8802.70
19घ	अन्य मूलभूत संरचना	15790.40	3413.90
20	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	702416.12	100007.80
	कुल जोड़	1132474.32	178242.50

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है .

उद्योग	विगोपन का %
पॉवर	8.29%

4) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	110.00	16419.14	3983.54
2 से 7 दिन	3683.30	19415.91	14209.30
8 से 14 दिन	4990.00	21140.67	770.26
15 से 28 दिन	1621.40	23789.62	1091.63
29 दिन से 3 महीने	10695.49	111227.83	16614.09
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	3419.85	60834.48	21884.99
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	1801.77	115974.77	35480.30
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष तक	45340.38	419786.52	46.91
3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	75196.36	139858.03	0.00
5 वर्ष से अधिक	220831.62	83655.70	0.00
कुल	367690.17	1012102.67	94081.02

3. Industry-wide Distribution:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure	Non-Fund Exposure
1.	Iron & Steel	33761.60	5022.00
2.	Other Metal & Products	23083.30	5739.70
3.	All Engineering	39429.80	20879.90
3a.	Electronics	10144.70	2072.60
3b.	Electricals	0.00	0.00
3c.	Others	29285.10	18807.30
4	Automobile including Trucks	22763.60	882.20
5	Textiles	28722.70	8992.50
5a.	Cotton Textile	7622.50	805.60
5b.	Jute Textile	169.70	96.70
5c.	Other Textiles	20930.50	8090.20
6.	Food Processing	22983.10	1959.00
6a.	Sugar	9769.10	11.70
6b.	Tea	91.70	0.50
6c.	Vegetable Oil	2293.80	1416.70
6d.	Others	10828.50	530.10
7.	Tobacco	2586.90	10.60
8.	Paper & Paper Products	5134.60	676.50
9.	Rubber & Rubber Products	6239.50	1183.80
10.	Chemical, Dyes & paints	18344.10	2881.30
10a.	Petro Chemicals	6104.00	1153.80
10b.	Fertilizers	2550.20	691.30
10c.	Drugs & Pharmaceu icals	8348.20	836.90
10d.	Others	1341.70	199.30
11.	Cement	17380.10	95.40
12.	Leather & Leather Products	590.40	29.70
13.	Gems & Jewellery	8167.70	1016.90
14.	Construction	4581.20	302.40
15.	Petroleum	37616.30	987.90
16.	Mining & Quarrying	5480.00	5885.60
17.	Wood & Wood Products	1356.80	300.10
18.	Glass & Glassware	1532.00	179.40
19.	Infrastructure	150304.50	21209.80
19a.	Power	103243.00	8291.20
19b.	Telecommunication	4567.20	702.00
19c.	Road	26703.90	8802.70
19d.	Other Infrastructure	15790.40	3413.90
20.	Residuary Other Advances	702416.12	100007.80
	Total	1132474.32	178242.50

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
Power	8.29%

4. The Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 days	110.00	16419.14	3983.54
2 to 7 days	3683.30	19415.91	14209.30
8 to 14 days	4990.00	21140.67	770.26
15 to 28 days	1621.40	23789.62	1091.63
29 days to 3 months	10695.49	111227.83	16614.09
Over 3 months and upto 6 months	3419.85	60834.48	21884.99
Over 6 months and upto 1 year	1801.77	115974.77	35480.30
Over 1 year and upto 3 years	45340.38	419786.52	46.91
Over 3 years and upto 5 years	75196.36	139858.03	0.00
Over 5 years	220831.62	83655.70	0.00
Total	367690.17	1012102.67	94081.02

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन

(₹ मिलियन में)

		31.03.2015
क)	सकल अनर्जक आस्तियाँ	
	अवमानक	29746.84
	संदिग्ध 1	18303.87
	संदिग्ध 2	5277.94
	संदिग्ध 3	168.35
	हानि	10523.59
	कुल	64020.59
ख)	निवल अनर्जक आस्तियाँ	41265.70
ग)	अनर्जक आस्ति अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	6.33%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	4.19%
घ)	अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
I	प्रारंभिक शेष	28598.50
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृद्धि	46336.43
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	10914.34
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i +ii-iii)	64020.59
ड)	अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
I	प्रारंभिक शेष (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर सहित)	10099.07
II	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	13856.66
III	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	2590.84
IV	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	अंतिम शेष (i+ii- iii-iv)	21364.89
च)	अनर्जक निवेश(एनपीआई)	863.02
छ)	अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान	335.75
ज)	निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
I	प्रारंभिक शेष	662.85
II	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	249.37
III	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	0.00
IV	अवधि के दौरान किये अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	369.97
V	अंतरण के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रावधान	0.00
	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv-v)	542.25

6. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन

(₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	31.03.2015
1.	यूएफसीई के कारण किया गया अतिरिक्त प्रावधान	215.10
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	280.97

5. Disclosures for NPAs & NPIs :

(Amount in ₹ million)

		31.03.2015
(A)	Gross NPA	
	Sub-standard	29746.84
	Doubtful 1	18303.87
	Doubtful 2	5277.94
	Doubtful 3	168.35
	Loss	10523.59
	Total	64020.59
(B)	Net NPA	41265.70
(C)	NPA Ratios	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	6.33%
	% of Net NPAs to Net Advances	4.19%
(D)	The movement of Gross NPA	
I	Opening Balance	28598.50
II	Add:-Addition during the period	46336.43
III	Less:- Reduction during the period	10914.34
	Closing balance as at the end of the year (i +ii-iii)	64020.59
(E)	The movement of provision for NPAs	
I	Opening Balance (including countercyclical provisioning buffer)	10099.07
ii	Provisions made during the period	13856.66
iii	Write-off made during the period	2590.84
iv	Write – back of excess provisions	0.00
	Closing balance (i+ii- iii-iv)	21364.89
(F)	Non Performing Investments (NPI)	863.02
(G)	Provisions for NPI	335.75
(H)	The movement of provision for depreciation on investments	
I	Opening balance	662.85
II	Provisions made during the period	249.37
III	Write-off made during the period	0.00
IV	Write –back of excess provision made during the period	369.97
V	Provisions used during shifting	0.00
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	542.25

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	215.10
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	280.97

सारणी-डीएफ-4 - ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग

क. गुणात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां ये रेटिंग उपलब्ध हैं वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है।

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग
4. आईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. भारतीय एसएमई रेटिंग एजेंसी लिमि. (स्मेरा)

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों - तुलन पत्र और बाह्य तुलन पत्र में - चाहे वह अल्पावधि के हों अथवा दीर्घ अवधि के - दोनों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एन.सी.ए.एफ.) संबंधी दिए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमेय पद्धति से उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही इन्हें किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है।

बैंक की बाह्य रेटिंग को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा।
- जहां भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है। जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्त कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो।
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ सूचित की हैं। इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों/ बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियाँ, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2015 को विगोपन राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

क्रं.	विवरण	राशि
i	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार से कम	1213544.98
ii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार	303656.00
iii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार से अधिक	221672.45
	उप जोड़	1738875.43
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य जोड़ा गया	48272.59
	कुल विगोपन	1787148.03

Table DF-4 - Credit Risk: Portfolios Subject to the Standardized Approach

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank uses the standardized approach to measure the capital requirements for credit risk. As per the Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

Types of exposures for which each agency is used:

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both the balance sheet and off balance sheet, whether short-term or long-term, in the manner permitted in the RBI guidelines on the New Capital Adequacy Framework (NCAF). The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

The key aspects of the Bank's External Ratings application framework are as follows:

- The Bank shall use the ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by the borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, the Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting the borrower's exposures. Where issuer rating is available the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- The RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, the lower rating, where there are two ratings and the second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by the credit rating agencies, the Bank is guided by Regulatory guidelines / Bank's Board approved policy.

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2015 after risk mitigation subject to the Standardized Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Amount
i	Below 100 % risk weight exposure outstanding	1213544.98
ii	100 % risk weight exposure outstanding	303656.00
iii	More than 100 % risk weight exposure outstanding	221672.45
	sub total	1738875.43
iv	Deducted CRM Value is added	48272.59
	Total Exposure	1787148.03

सारणी-डीएफ-5-- ऋण जोखिम प्रशमन मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन**गुणात्मक प्रकटन****• ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियाँ**

बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है।

• संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन

बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित किया है। यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता की मालकी की नहीं होती। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है।

• संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण में बैंक बेसल - III द्वारा विनिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है। बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन / निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके। बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए।

• बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण

ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

- बैंकों में नकद जमा
- स्वर्ण, बुलियन और आभूषणों सहित
- केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- कम-से-कम बीबीबी(-), पीआर3/एफ3/ए3 की रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियाँ।
- म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में किया गया है।

• प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त

Table DF-5 – Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches**Qualitative Disclosures****• Policies for Credit Risk Mitigation:**

The Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including the frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

• Collateral Management

The Bank defines collateral as it is an additional or sub-ordinate security given, over and above the primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to the bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to the main business of the borrower or may not be owned by the borrower. The Bank ensures that the underlying documentation for the collateral provides the Bank appropriate rights over the collateral or other forms of credit enhancement including the right to liquidate retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by the counterparty.

• Collateral Valuation

As stipulated by the RBI guidelines, the Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, the Bank reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible collateral as specified in the Basel III guidelines. The Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Lending Policy duly approved by the Board, which lay down the types of securities normally accepted by the Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it. Both the fixed and the current assets obtained to secure the loans granted by the Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by the Bank. In respect of high value of collateral. Valuation from two or more valuers is obtained,

• Description of the main types of collateral taken by the Bank

For the purpose of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as follows:

- Cash Deposit with banks
- Gold, including bullion and Jewellery
- Securities issued by Central and State Governments
- Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
- Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
- Debt securities rated at least BBB(-), PR3/F3/A3
- Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

• Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

Wherever required the Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor

और अविकल्पी होती है। बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्रीय सरकार /ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है।

• ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उधारकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्त्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है। वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन:

क) अलग -अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ मिलियन में)

	31.03.2015
मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन(जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)	48272.59

ख) अलग -अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

	31.03.2015
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन	शून्य

सारणी-डीएफ-6-- प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने वर्ष 31.03.2015 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन लागू नहीं है।

सारणी-डीएफ-7-- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम

बैंक को बाजार के व्युत्पन्न जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है। बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएमएल) विद्यमान है। उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का

which is unconditional and irrevocable. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE as a security comfort.

• Concentrations within Credit Risk Mitigation

The RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a). For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Amount in ₹ million)

	31.03.2015
The total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts	48272.59

(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

	31.03.2015
Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	NIL

Table DF-6 SECURITIZATION

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitized any exposure during the year ended 31.03.2015

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is **Not Applicable**

Table DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

The Bank has put in place Board approved Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the Bank. The above policies lay

निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमाणन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो। नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी निगरानी हेतु रिपोर्टिंग संरचना का भी समावेश है। नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाइट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है। प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनकी निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है। बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रूप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसिस के जरिये किया जाता है जिसकी निगरानी निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाओं के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेसन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआर) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित ड्यूरेसन गैप (डीजीएपी) का प्रावकलन करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाजार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। डीलिंग रूम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रूम के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है। खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बा. जार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे।

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंध किया जा सके अर्थात् इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो। इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है।

देश जोखिम की निगरानी हेतु देशवार आधार पर सकल विगोपन का आकलन किया जाता है। विभिन्न देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु बैंक द्वारा ईसीजीसी जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक जोखिम वाले देशों के विगोपन का निर्धारण यथोचित जोखिम प्रशमन से किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(₹ मिलियन में)

	जोखिम की श्रेणी	31.03.2015
i	ब्याज दर जोखिम	2245.96
ii	इक्विटी स्थिति जोखिम	530.84
iii	विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)	2821.80

down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the policy framework consistent with the Bank's risk tolerance. The policies deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for the counterparty banks and the exposures are monitored on daily basis.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. The Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. The Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (Tolerance) limits prescribed. The Bank also has put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of the market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor the dealing room activities. The Mid- Office at the Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that the Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that the Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage the market risks it faces, in the Trading or Banking Book.

The Bank's Market Risk Management Policy aims to set out the broad outlines of the processes by which the market risks carried by the Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that the risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from the bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

The aggregate exposure on country-wise basis is taken for monitoring the country risk. For risk categorization of various countries, the ECGC risk classification is used by the Bank. Exposure on High Risk countries are taken with proper risk mitigation.

Quantitative Disclosure:

The Capital requirements for Market Risk are as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2015
i	Interest Rate Risk	2245.96
ii	Equity Position Risk	530.84
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	45.00
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	2821.80

सारणी-डीएफ-8--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों का जोखिम होता है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां -

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एंड एएमए) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित अन्य नीतियों का समावेश है क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति और ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति।

रणनीतियां और प्रक्रियाएं बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं।

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है। जोखिम अंतरण के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियां भी पर्याप्त रूप से बीमांकित हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभিনিर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकाएँ तय करने के द्वारा बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है। बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिये किया जाता है।

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण: बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक परिचालन जोखिम हेतु पूंजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) और तत्पश्चात उन्नत माप दृष्टिकोण (एमए) हेतु प्रवर्जन के लिए तैयारी कर रहा है। बैंक को मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के माध्यम से परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना में प्रस्थापन हेतु केवल समानांतर संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तथापि, बैंक को विनियामक उद्देश्य हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत गणना किए अनुसार पूंजी प्रभार के रखरखाव की अनुमति दी गई है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार ₹ 6105.00 मिलियन है।

सारणी-डीएफ-9 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है। ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है।

- जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है।

Table DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

The Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with the RBI Guidelines for the Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA) duly approved by the Board. The other policies approved by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The Bank has been constantly reviewing the legal documents to ensure that the legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, the Bank has obtained insurance cover for all the assets owned by the Bank. It is also ensured that the assets financed by the Bank are also adequately insured as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines the organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk: The Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. The Bank is preparing for migrating to The Standardized Approach (TSA) and then for Advanced Measurement Approach (AMA) for calculation of capital risk charge for Operational Risk. The Bank has received approval for migrating to 'The Standardised Approach' (TSA) for calculating Operational Risk Capital Charge as a parallel run only. However, the Bank has allowed maintaining the capital charge as gets calculated under Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory purpose.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is ₹ 6105.00 million.

Table DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's Banking Book from changes in interest rates. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

- Earnings at Risk:** The impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in the interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.

- ii. **इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन:

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए 100 बीपीएस का समांतर अंतरण	
	31.03.2015	
	(+)100 आधार पॉइंट	(-)100 आधार पॉइंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	967.76(+)	967.76(-)

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2015	
	(+)200 आधार पॉइंट	(-)200 आधार पॉइंट
	11.40(+) %	11.40(-) %

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है। बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है :

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान बैंक ने ऋण डिफॉल्ट सेट स्वेप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं किया है।

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट, ओवर नाईट लिमिट्स और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन किया जाता है। इन लिमिट्स का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिन्हित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं। मुक्त ब्याज और बाजार को चिन्हित मार्जिन का बैंक द्वारा अनुपालन किया गया है।

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है साथ ही, बैंक नकदी/बैंक जमाशायियों/बैंक गारंटियों/सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है।

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है। अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है।

- (ii) **Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** The Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with method suggested by RBI.

The impact on the Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.

The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in ₹ Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2015	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	967.76(+)	967.76(-)

Economic Value of Equity:

	31.03.2015	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	11.40(+) %	11.40(-) %
Impact on economic value of equity		

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

(a) Qualitative Disclosures:

Bank is participating in the derivative market as a user to hedge the risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view the business composition of the Bank, the nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, the Bank is dealing in the following derivative products.

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

Bank has not undertaken the transactions under Credit Default Swaps and Currency options during the period under report:

The measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. The utilization of such limits would be subject to the guidelines of RBI/SEBI/Exchanges.

From the exchange side, the limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Open interest and mark to market margins are adhered to by the bank.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with the exchange approved Bank for the purpose of clearing and settlement of the transactions and also maintains the margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. The Bank offers to its customers forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है।

बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होगा, तदनुसार बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2015
1	प्रतिस्थापन लागत	1062.30
2	संभावित वायदा विगोपन	2749.05
3	सकल ऋण तुल्य	3811.35
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	10.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	2739.05
3.5	जिस संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	3811.35
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)	3811.35
7	घटाएं : संपार्श्विक राशि	0.00
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	निवल ऋण तुल्य राशि	3811.35

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं।

(ग) ऋण व्युत्पन्न लेन-देन

(₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
ऋण चूक अदलाबदली	शून्य	शून्य
कुल अदलाबदलियों की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

The Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom the bank has set up counterparty exposure limits.

The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

- Bank will describe the methodology and will assign economic capital for the counter party credit exposure, as and when bank will migrate to the Advanced Approaches of measurement of Risk and related Capital requirement.

(b) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2015
1	Replacement Cost	1062.30
2	Potential Future Exposure	2749.05
3	Gross Credit Equivalent	3811.35
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	10.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	2739.05
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	3811.35
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	Credit Equivalent Amount after netting (4-5)	3811.35
7	Less: Collateral Amount	0.00
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	Net Credit Equivalent Amount	3811.35

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effects of which have been included in regulatory capital calculations where appropriate.

(c) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	NIL	NIL
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

सारणी डीएफ -11

(₹ मिलियन में)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.15 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
कॉमन ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
1 संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)	37116.16		ए1+बी1
2 रोकी गई आय	1365.05		बी8(a)
3 अन्य समाविष्ट संचयी आय (और अन्य आरक्षितियां)	31615.12		बी2+बी3+बी4 +बी5
4 सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00		
5 अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00		
6 विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी	70096.33		
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन			
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00		
8 साख (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
9 बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता को घटाकर)	203.16	338.60	के1(b)
10 आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	
11 नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00		
12 संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00		
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00		
14 उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00		
15 विनिर्दिष्ट लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00		
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00		
17 सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	6.60	11.00	
18 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
19 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		

Table DF-11

(₹. in Million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2015	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	37116.16		A1+B1
2 Retained earnings	1365.05		B8(a)
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	31615.12		B2+B3+ B4+ B5
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018			
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	70096.33		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7 Prudential valuation adjustments	0.00		
8 Goodwill (net of related tax liability)	0.00		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	203.16	338.60	K1(b)
10 Deferred tax assets	0.00	0.00	
11 Cash-flow hedge reserve	0.00		
12 Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13 Securitisation gain on sale	0.00		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15 Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	0.00		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity	6.60	11.00	
18 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19 Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00		

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.15 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
20 बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
21 अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के बाद प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
22 प्रारंभिक 15 प्रतिशत से अधिक राशि	0.00		
23 जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		
24 जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00		
25 जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
26 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00		
26क जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00		
26ख जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
26ग जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि खर्च	0.00		
26घ जिसमें से : अपरिशोधित मूल्यहास	0.00		
27 कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टीयर I और टीयर II की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
28 सामान्य ईक्विटी टीयर I की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	209.76		
29 सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी (सीईटी I) अतिरिक्त टीयर I पूंजी : लिखतें	69886.57		
30 प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टीयर I लिखतें (31+32)	10000.00		
31 जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00		
32 जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	10000.00		
33 अतिरिक्त टीयर I से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	2065.00		
34 अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी I समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टीयर I लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी I लिखतें)	0.00		
35 जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
36 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टीयर I पूंजी	12065.00		ए2+डी4(a)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2015	AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	Ref. No.
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00		
22 Amount exceeding the 15% threshold	0.00		
23 of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00		
24 of which: mortgage servicing rights	0.00		
25 of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00		
26 National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00		
26a Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00		
26b Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
26c Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00		
26d Of which: Unamortised Depreciation	0.00		
27 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00		
28 Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	209.76		
29 Common Equity Tier 1 capital (CET1)	69886.57		
Additional Tier 1 capital: instruments			
30 Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	10000.00		
31 of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32 of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	10000.00		
33 Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	2065.00		
34 Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	12065.00		A2+D4(a)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.15 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
अतिरिक्त टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन			
37 स्वयं की अतिरिक्त टीयर I लिखतों में निवेश	0.00		
38 अतिरिक्त टीयर I लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00		
39 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉ मन शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
40 बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश			
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00		
41क असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर I पूंजी में निवेश	0.00		
41ख प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टीयर I पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में अतिरिक्त टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन, जिसमें से :	0.00		
आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	
अमूर्त आस्तियां	135.44	338.60	के1(b)
पेंशन और उपदान का अपरिशोधित भाग	0.00	0.00	के1(d)
अपरिशोधित मूल्यहास	0.00	0.00	
पारस्परिक समायोजन	4.40	11.00	
42 कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर II की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00	
43 अतिरिक्त टीयर I पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	139.84		
44 अतिरिक्त टीयर I पूंजी (एटी 1)	11925.16		
44क पूंजी पर्याप्तता हेतु अभिनिर्धारित अतिरिक्त टीयर I पूंजी	11925.16		
45 टीयर I पूंजी (टी 1= सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44क)	81811.74		
टीयर II पूंजी : लिखतें और प्रावधान			
46 संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर II लिखतें	0.00		
47 टीयर II से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	17845.00		डी4(b)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2015	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37 Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38 Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40 Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41 National specific regulatory adjustments	0.00		
41a Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00		
41b Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
R E G U L A T O R Y ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT of which:			
Deferred tax Assets	0.00	0.00	
Intangible Assets	135.44	338.60	K1(b)
Unamortised portion of Pension and Gratuity	0.00	0.00	K1(d)
Unamortised Depreciation	0.00	0.00	
Reciprocal Adjustments	4.40	11.00	
42 Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00	
43 Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	139.84		
44 Additional Tier 1 capital (AT1)	11925.16		
44a Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	11925.16		
45 Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	81811.74		
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46 Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47 Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	17845.00		D4(b)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.15 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
48 अनुबंधियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर II समूह में अनुमत्य राशि) टीयर II लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी1 लिखतें)	0.00		
49 जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
50 प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	12116.49		
51 विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर II पूंजी	29961.49		
टीयर II पूंजी : विनियामक समायोजन			
52 स्वयं की टीयर II लिखतों में निवेश	0.00		
53 टीयर II लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	255.46		
54 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
55 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00		
56 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क+ 56ख)	0.00		
56क जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की टीयर II पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
56ख जिसमें से : बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में टीयर II पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
57 टीयर II पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	255.46		
58 टीयर II पूंजी (टी 2)	29706.03		
58क पूंजी पर्याप्तता हेतु अभिनिर्धारित टीयर II पूंजी	29706.03		
58ख टीयर II पूंजी के रूप में अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर I पूंजी	0.00		
58ग पूंजी पर्याप्तता हेतु स्वीकार्य कुल टीयर II पूंजी (पंक्ति 58क+पंक्ति 58ख)	29706.03		
59 कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (पंक्ति 45 +पंक्ति 58ग)	11517.76		
बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में जोखिम भारित आस्तियां			

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2015	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
48 Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00		
49 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50 Provisions & Other Reserves	12116.49		
51 Tier 2 capital before regulatory adjustments	29961.49		
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52 Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53 Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	255.46		
54 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55 Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
56b Of which: REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	0.00		
57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	255.46		
58 Tier 2 capital (T2)	29706.03		
58a Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	29706.03		
58b Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	29706.03		
59 Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)	11517.76		
RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.15 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
60 कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60क + पंक्ति 60ख + पंक्ति 60ग)			
60क जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	835159.91		
60ख जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	31353.26		
60ग जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	67833.06		
पूंजी अनुपात			
61 सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	7.48%		
62 टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	8.76%		
63 कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	11.94%		
64 संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	5.50%		
65 जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.00%		
66 जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%		
67 जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%		
68 बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	7.48%		
राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69 राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	5.50%		
70 राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.00%		
71 राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	9.00%		
कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)			
72 अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00		
73 वित्तीय कंपनियों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		
74 बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
75 अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं			

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2015	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
60 Total risk weighted assets (row 60a + row 60b + row 60c)			
60a of which: total credit risk weighted assets	835159.91		
60b of which: total market risk weighted assets	31353.26		
60c of which: total operational risk weighted assets	67833.06		
Capital ratios			
61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.48%		
62 Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.76%		
63 Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.94%		
64 Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65 of which: capital conservation buffer requirement	0.00%		
66 of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67 of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68 Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	7.48%		
National minima (if different from Basel III)			
69 National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70 National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71 National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72 Non-significant investments in the capital of other financials	0.00		
73 Significant investments in the common stock of financials	0.00		
74 Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75 Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.15 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
76 मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	7543.87		
77 मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	104394.99		
78 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	ला.न.		
79 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	ला.न.		
फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूँजी लिखतें (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 तक लागू)			
80 फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	ला.न.		
81 सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	ला.न.		
82 फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	ला.न.		
83 सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	0.00		
84 फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	ला.न.		
85 सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	0.00		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2015	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
76 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	7543.87		
77 Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	104394.99		
78 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79 Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings- based approach	N.A.		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80 Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
81 Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
82 Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
83 Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00		
84 Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
85 Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00		

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	व्यौरे	रुप मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर (संचयी हानियों से संबद्ध के अतिरिक्त) आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	0.00
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूँजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूँजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर I पूँजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर I पूँजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर II पूँजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूँजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	
	सामान्य ईक्विटी टीयर I पूँजी में वृद्धि	0.00

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	₹ In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then,	
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	0.00

	जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1835.50
44क	पूँजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी 1 और पंक्ति 44 क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी 1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर II पूँजी माना गया	0.00
58क	पूँजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष टी 2 पूँजी (पंक्ति 58 में रिपोर्ट किए गए टी 2 और पंक्ति 58 क में रिपोर्ट किए गए टी 2 के बीच अंतर)	0.00

सारणी : डीएफ-12 : पूँजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता

चरण 1

	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
	31.03.15 को	31.03.15 को
क पूँजी व देयताएं		
i प्रदत्त पूँजी	10631.83	
आरक्षितियां एवं अधिशेष	70041.52	
अल्प ब्याज	0.00	
कुल पूँजी	80673.35	
ii जमाराशियां जिसमें से :	1221189.43	
बैंकों से जमाराशियां	19200.17	
ग्राहक जमाराशियां	1201989.26	
अन्य जमाराशियां	0.00	
iii उधारियां जिसमें से:	111267.25	
भारतीय रिज़र्व बैंक से	24900.00	
बैंकों से	3000.00	
अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	32256.94	
बॉण्ड्स एवं डिबेंचर पूँजी लिखतों के रूप में उधारियां	51000.00	
भारत के बाहर से उधारियां	110.31	
iv अन्य देयताएं व प्रावधान	47057.91	
कुल पूँजी एवं देयताएं	1460187.93	
ख आस्तियां		
i नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंक शेष	66527.49	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	1003.65	
ii निवेश	367147.91	
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	293640.84	
जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
जिसमें से : शेयर्स	1766.11	
जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	17152.29	

	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1835.50
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
58a	Excess T2 not reckoned for capital adequacy (difference between T2 as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00

Table DF-12: Composition of Capital – Reconciliation Requirement Step 1

(₹ In Million)

	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
	As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
A Capital & Liabilities		
i Paid-up Capital	10631.83	
Reserves & Surplus	70041.52	
Minority Interest	0.00	
Total Capital	80673.35	
ii Deposits Of which:	1221189.43	
Deposits from banks	19200.17	
Customer deposits	1201989.26	
Other deposits	0.00	
iii Borrowings Of which:	111267.25	
From RBI	24900.00	
From Banks	3000.00	
From other institutions & agencies	32256.94	
Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	51000.00	
Borrowings from outside India	110.31	
iv Other Liabilities and Provision	47057.91	
Total Capital & Liabilities	1460187.93	
B Assets		
i Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	66527.49	
Balance with banks and money at call and short notice	1003.65	
ii Investments of which:	367147.91	
of which: Government securities	293640.84	
of which: Other approved securities	0.00	
of which: Shares	1766.11	
of which: Debentures & Bonds	17152.29	
of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	

	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
	31.03.15 को	31.03.15 को
जिसमें से : सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	53854.47	
iii ऋण और अग्रिम जिसमें से :	985990.99	
बैंकों को ऋण और अग्रिम	42.20	
ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	985948.79	
iv स्थिर आस्तियां	14321.73	
v अन्य आस्तियां जिसमें से :	25196.14	
साख और अमूर्त आस्तियां	338.60	
आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
vi समेकन पर साख	0.00	
vii लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
कुल आस्तियां	1460187.93	

	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
	As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	53854.47	
iii Loans and Advances of which:	985990.99	
Loans and Advances to banks	42.20	
Loan and Advances to Customers	985948.79	
iv Fixed Assets	14321.73	
v Other Assets of which:	25196.14	
Goodwill and Intangible Assets	338.60	
Deferred Tax Assets	0.00	
vi Goodwill on Consolidation	0.00	
vii Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
Total Assets	1460187.93	

Step 2

चरण 2

	संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
		31.03.15 को	31.03.15 को
क पूंजी और देयताएं			
प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	10631.83	
सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ए 1	10631.83	
एटी 1 हेतु पात्र राशि	ए 2	0.00	
आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	बी	70041.52	
ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	26484.33	
सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	12273.22	
पूंजी आरक्षितियां	बी 3	1880.60	
राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	13781.30	
विशेष आरक्षितियां	बी 5	3680.00	
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	बी 6	10161.38	
टीयर II हेतु पात्र	बी 6 (क)	4572.62	
निवेश आरक्षितियां	बी 7	415.63	
लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	बी 8	1365.05	
सीईटी 1 हेतु पात्र	बी 8 (ए)	1365.05	
अल्प ब्याज	बी 9	0.00	
कुल पूंजी	ए+बी	80673.35	

	Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
A Capital & Liabilities			
Paid-up Capital of which	A	10631.83	
Amount eligible for CET 1	A1	10631.83	
Amount eligible for AT1	A2	0.00	
Reserves & Surplus of which:	B	70041.52	
Equity Share Premium	B1	26484.33	
Statutory Reserve	B2	12273.22	
Capital Reserve	B3	1880.60	
Revenue Reserve and Other Reserves	B4	13781.30	
Special Reserve	B5	3680.00	
Revaluation Reserve of which:	B6	10161.38	
Eligible for Tier 2	B6(a)	4572.62	
Investment Reserve	B7	415.63	
Balance in Profit and Loss Account of which	B8	1365.05	
Eligible for CET 1	B8(a)	1365.05	
Minority Interest	B9	0.00	
Total Capital	A+B	80673.35	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.15 को	31.03.15 को
ii	जमाराशियां जिसमें से	सी	1221189.43	
	बैंकों से जमाराशियां	सी 1	19200.17	
	ग्राहक जमाराशियां	सी 2	1201989.26	
	अन्य जमाराशियां	सी 3	0.00	
iii	उधारियां जिसमें से :	डी	111267.25	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	डी 1	24900.00	
	बैंकों से	डी 2	3000.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी 3	32256.94	
	बॉण्ड्स एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	डी 4	51000.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	डी 4 (ए)	12065.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर II हेतु पात्र	डी 4 (बी)	17845.00	
	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	ई	47057.91	
	साख संबंधी डीटीएल	ई 1	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई 2	0.00	
	कुल		1460187.93	
ख	आस्तियां			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया शेष और नकदी	एफ	66527.49	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	1003.65	
ii	निवेश जिसमें से :	एच	367147.91	
	सरकारी प्रतिभूतियां	एच 1	293640.84	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच 2	0.00	
	शेयर्स	एच 3	1766.11	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच 4	17152.29	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच 5	734.21	
	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच 6	53854.47	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	आई	985990.99	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	42.20	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	985948.79	
iv	स्थिर आस्तियां	जे	14321.73	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	के	25196.14	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
ii	Deposits Of which:	C	1221189.43	
	Deposits from banks	C1	19200.17	
	Customer deposits	C2	1201989.26	
	Other deposits	C3	0.00	
iii	Borrowings Of which:	D	111267.25	
	From RBI	D1	24900.00	
	From banks	D2	3000.00	
	From other institutions & agencies	D3	32256.94	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	51000.00	
	Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	12065.00	
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	17845.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	47057.91	
	DTLs related to Goodwill	E1	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E2	0.00	
	Total		1460187.93	
B	Assets			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	66527.49	
	Balance with banks and money at call and short notice	G	1003.65	
ii	Investments of which:	H	367147.91	
	Government Securities	H 1	293640.84	
	Other Approved Securities	H 2	0.00	
	Shares	H 3	1766.11	
	Debentures and Bonds	H 4	17152.29	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H 5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H 6	53854.47	
iii	Loans and Advances of which:	I	985990.99	
	Loans and Advances to banks	I1	42.20	
	Loan and Advances to Customers	I2	985948.79	
iv	Fixed Assets	J	14321.73	
v	Other Assets of which:	K	25196.14	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.15 को	31.03.15 को
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	के 1	338.60	
	साख	के 1 (ए)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1 (बी)	338.60	
	आस्थगित कर आस्तियां	के 1 (सी)	0.00	
	अपरिशोधित पेंशन	के 1 (डी)	0.00	
vi	समेकन पर साख	एल	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	एम	0.00	
	कुल आस्तियां		1460187.93	

	Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2015	As on 31.03.2015
	Goodwill and Intangible Assets out of which	338.60	
	Goodwill	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	338.60	
	Deferred Tax Assets	0.00	
	Unamortised Pension	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
	Total Assets	1460187.93	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - डीएफ11			
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	37116.16	ए1+बी 1
2	रोकी गई आय	1365.05	बी 8 (ए)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी (और अन्य आरक्षितियां)	31615.12	बी 2+बी 3+बी 4+बी 5
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी	70096.34	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	37116.16	A1+B1
2	Retained earnings	1365.05	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	31615.12	B2+B3+B4+B5
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	70096.34	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

डीएफ-13: विनियामक पंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

डीएफ 14 - नियामक पंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें

DF -14 : Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

डीएफ-14 बैंक की वेबसाइट 'www.bankofmaharashtra.in' पर बेसल III प्रकटन के अंतर्गत लिंक में उपलब्ध है.

DF-14 is available on the Bank's website 'www.bankofmaharashtra.in' under the line "Basel III Disclosure"

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March 2015

(₹ in Thousand)

Particulars	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A Cash Flow From Operating Activities:		
<u>Income</u>		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	12665,44,35	11956,65,68
अन्य आय Other Income	1005,98,08	894,18,99
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions	13671,42,43	12850,84,67
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	8790,40,47	8447,72,52
परिचालन व्यय Operating Expenses	2525,93,04	2396,74,88
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1904,39,73	1620,40,46
व्यय के उपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि	13220,73,24	12464,87,86
Net increase in Cash due to increase of Income over Expenses	450,69,19	385,96,81
जोड़े: गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें		
Add : Non Cash items & items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1904,39,73	1620,40,46
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	115,28,48	99,98,87
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	10,18	20,80
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	—	—
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	354,64,83	289,51,58
	2374,43,22	2010,11,71
	2825,12,41	2396,08,52
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर(निवद) Less: Direct Taxes Paid (Net)	521,00,00	510,09,41
परिचालन से अर्जित नकद लाभ		
Cash Profit Generated From Operations (I)	2304,12,41	1885,99,11
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी :		
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियां Deposits	5315,85,34	22466,15,73
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings	800,25,10	-4551,01,47
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-962,93,05	-1063,11,82
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	5153,17,39	16852,02,44
घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी		
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	-534,79,25	5819,26,99
अग्रिम Advances	9678,70,08	13449,62,11
अन्य आस्तियां Other Assets	-603,14,98	-357,72,39
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि	8540,75,85	18911,16,71
Total of Increase of Operating Assets		
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)	-3387,58,46	-2059,14,27
Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क) = (I+II)	-1083,46,05	-173,15,16
Cash Flow From Operating Activities (A) = (I+II)		
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	3,79,63	7,13,53
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-154,78,66	-178,54,62
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	—	—
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	-150,99,03	-171,41,09
Net Cash Flow Form Investing Activities (B)		
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
C Cash Flow From Financing Activities:		

i) बांडो को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	2000,00,00	—
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPs	-136,82,96	-202,11,95
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-23,25,42	-34,35,02
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-354,64,83	-289,51,58
v) शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares including share premium	400,00,00	799,99,98
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)	1885,26,79	274,01,43
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year (A+B+C)	650,81,71	-70,54,82

(₹ in Thousand)

व्योरे Particulars	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	5991,38,72	5265,29,08
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	110,90,99	907,55,45
	6102,29,71	6172,84,53
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	6652,74,93	5991,38,72
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	100,36,49	110,90,99
	6753,11,42	6102,29,71
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	650,81,71	-70,54,82

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R.K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
EXECUTIVE DIRECTOR

एस. मुहनोत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

वी. रमेश प्रभु
सहायक महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
V RAMESH PRABHU
Asst. Gen. Manager, FM&A

एस.एम. मेथे
उप महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
S M METHE
Dy. Gen. Manager, FM&A

ए.वाई. शेडशाळे
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
A Y SHEDSHALE
General Manager, FM&A

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते जी. बसु एंड कंपनी
एफआरएन: 301174ई
सनदी लेखाकार
For G Basu & Co.
FRN: 301174E
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
एफआरएन: 318121ई
सनदी लेखाकार
For Singh Ray Mishra & Co.
FRN: 318121E
Chartered Accountants

कृते पारेख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए.आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.,
FRN: 110540W
Chartered Accountants

सीए एस. लाहिरी
CA S Lahiri
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र.: 51717
Membership No: 51717

सीए के. के. सिंह
CA K K Singh
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र.: 052939
Membership No: 052939

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र.: 079236
Membership No: 079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र.: 37290
Membership No: 37290

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 14 मई, 2015 Date : 14th May, 2015

मेसर्स जी. बसु एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
3, चौरंगी अप्रोच
बसु हाऊस
कोलकाता 700 072

M/s. G. Basu & Co
Chartered Accountants,
3 Chowringhee Approach
Basu House, Ko kata - 700072

मेसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एस आर 31, अशोक मार्केट
स्टेशन स्क्वेअर
भुवनेश्वर 751 001

M/s. Singh Ray Mishra & Co
Chartered Accountants,
S R 31, Ashoka Market,
Station Square,
Bhubaneswar - 751001

मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
323 तीसरी मंजिल,
गणपति प्लाजा
जयपुर 302 001

M/s. Parakh & Co
Chartered Accountants,
323 Third Floor, Ganpati Plaza,
Jaipur - 302001

मेसर्स ए आर सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आनंद अपार्टमेंट
1180/2, शिवाजीनगर
पुणे 411005

M/s. A R Sulakhe & Co
Chartered Accountants,
Anand Apartments,
1180/2, Shivajinagar,
Pune - 411005

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2015 के संलग्न वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2015 का तुलन पत्र लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा टीआईबीडी सहित लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की विवरणियां तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिष्कृत 916 शाखाओं की विवरणियां और लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए संगामी लेखा परीक्षा के तहत 70 शाखाएं शामिल हैं।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 980 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.45 प्रतिशत, जमाराशियों में 24.69 प्रतिशत, ब्याज आय में 6.53 प्रतिशत और ब्याज खर्च में 21.14 प्रतिशत हिस्सा है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन समेकित वित्तीय विवरणों को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किया भी गलत कथन से मुक्त है।

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें। उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।

AUDITORS' REPORT

To,

The President of India.

1. Report on Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statements of Bank of Maharashtra as at 31st March 2015 which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2015 Profit and Loss Account and the cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements the return of 20 branches, and also Treasury & International Banking Branch, audited by us and 916 branches audited by branch auditors and 70 branches under concurrent audit for reporting under Long Form Audit Report (LFAR).

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the return from 980 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.45 per cent of the advances, 24.69 per cent of deposits, 6.53 per cent of interest income and 21.14 per cent of interest expenses.

2. Management's responsibility for the Financial Statements:

Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of exercising an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हम विश्वास करते हैं कि प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं .
6. **अभिमत :**
हमारी राय में, बैंक की खाता-बहियों में दर्शाए गये अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- क) समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक बयानों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2015 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.
- ख) समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां विवरण लाभ का सही शेष दर्शाती है जो खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और
- ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है .
7. **मामलों का महत्व**
बिना किसी बात को सीमित करते हुए, हम तुलनपत्र की अनुसूची 18 की मद 10 घ की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान पहचाने गए और जालसाजी के रूप में वर्गीकृत ऋणों और अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 अप्रैल 2015 के परिपत्र क्रमांक बीपी. बीसी.83/21.04.048/2014-15 के अनुसार प्रावधान करने का दावा किया गया है.
8. **अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**
समेकित तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तैयारी के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है .
9. उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
- क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
- ख) अनुसूची 18 के नोट क्र.9.6 में संदर्भित मामले के अलावा बैंक के संव्यवहार जो मेरे/हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं.
- ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.
6. **Opinion:**
In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, we hereby report that :
- a) The Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- b) Profit and loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- c) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.
7. **Emphasis of Matter:**
Without qualifying, we draw attention to note 11 in Schedule 18 to the Balance Sheet where in respect of loans & advances detected and classified as fraud during the quarter ended March 31, 2015, provision is claimed to have been made in terms of circular of RBI No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 1, 2015.
8. **Report on Other Legal and Regulatory Requirements:**
The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the third Schedule to the Banking Regulation Act 1949.
9. Subject to the limitation of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer Of Undertaking) Act 1970/1980, and also subject to the limitations of disclosure required therein we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.
- b) The transaction of the bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank except for the matter referred to in note no 9.6 of schedule 18.
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते जी. बसु एंड कंपनी
एफआरएन: 301174ई
सनदी लेखाकार
For G Basu & Co.
FRN: 301174E
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
एफआरएन: 318121ई
सनदी लेखाकार
For Singh Ray Mishra & Co.
FRN: 318121E
Chartered Accountants

कृते पारेख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए आर सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.,
FRN: 110540W
Chartered Accountants

सीए एस लाहिरी
CA S Lahiri
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :51717
Membership No:51717

सीए के के सिंह
CA K K Singh
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :052939
Membership No:052939

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :079236
Membership No:079236

सीए जे वी धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :37290
Membership No:37290

स्थान : पुणे
दिनांक : 14 मई, 2015

Place : Pune
Date : 14th May, 2015

समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated Financial Statements

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2014 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1063,18,29	1427,09,58
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7059,63,08	5982,59,07
जमा राशियां Deposits	3	122110,27,41	116793,60,22
उधारियां Borrowings	4	11126,72,45	8326,47,35
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	4713,12,74	3830,65,05
जोड़ TOTAL		146072,93,97	136360,41,27
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	6652,75,05	5991,38,82
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	100,42,47	110,97,94
निवेश Investments	8	36768,55,33	37289,71,23
अग्रिम Advances	9	98599,09,98	88920,39,90
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1432,20,70	1446,03,97
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2519,90,44	2601,89,41
जोड़ TOTAL		146072,93,97	136360,41,27
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	31005,86,84	25119,84,41
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		3334,74,51	3067,31,11
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर के गुप्ता
 कार्यपालक निदेशक
R.K. GUPTA
 EXECUTIVE DIRECTOR

आर आत्माराम
 कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
 EXECUTIVE DIRECTOR

एस मुह्नोत
 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

पी ए सेठी
 निदेशक
P A SETHI
 DIRECTOR

संजीव जैन
 निदेशक
SANJEEV JAIN
 DIRECTOR

आर एल सायदीवाल
 निदेशक
R L SAYADIWAL
 DIRECTOR

जी श्रीकुमार
 निदेशक
G SREEKUMAR
 DIRECTOR

वी रमेश प्रभु
 सहायक महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
V RAMESH PRABHU
 Asst. Gen. Manager, FM&A

एस एम मेथे
 उप महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
S M METHE
 Dy. Gen. Manager, FM&A

ए वाई शेडशाळे
 महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
A Y SHEDSHALE
 General Manager, FM&A

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 14 मई, 2015

Date : 14th May, 2015

अनुमत्य अनुपस्थिति के कारण श्री अतीश सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए।

"Shri Ateesh Singh did not sign since, he was granted leave of absence."

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	12665,46,41	11956,67,74
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		13,63,34	12,43,11
अन्य आय Other Income	14	1006,67,42	894,92,80
जोड़ TOTAL		13685,77,17	12864,03,65
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	8789,72,88	8447,19,38
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2526,87,60	2397,73,25
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1904,54,07	1620,50,28
जोड़ TOTAL		13221,14,55	12465,42,91
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		464,62,62	398,60,74
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		35,63,47	—
जोड़े : राजस्व आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Revenue Reserve		—	—
जोड़ TOTAL		500,26,09	398,60,74
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		116,15,66	103,63,85
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		35,39,06	12,86,42
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		35,63,47	—
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		50,00,00	75,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		14,60,25	11,38,62
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPs)		—	52,92,00
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		85,05,46	—
लाभांश पर कर Tax on Dividend		17,00,59	8,99,38
अंतरिम लाभांश और अंतरिम लाभांश पर कर Interim Dividend & Tax on Interim Dividend		—	98,17,00
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		146,41,60	35,63,47
जोड़ TOTAL		500,26,09	398,60,74
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		4.64	4.73

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते जी. बसु एंड कंपनी
एफआरएन: 301174ई
सनदी लेखाकार
For G Basu & Co.
FRN: 301174E
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
एफआरएन: 318121ई
सनदी लेखाकार
For Singh Ray Mishra & Co.
FRN: 318121E
Chartered Accountants

कृते पारेख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए आर सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

सीए एस लाहिरी
CA S Lahiri
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :51717
Membership No:51717

सीए के के सिंह
CA K K Singh
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :052939
Membership No:052939

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :079236
Membership No:079236

सीए जे वी धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :37290
Membership No:37290

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 14 मई, 2015 Date : 14th May, 2015

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
₹ 10/- के ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each		3000,00,00		3000,00,00
जारी व अभिवत्त Issued & Subscribed				
₹10/- के 106,31,82,921 (गत वर्ष 83,90,95,827) ईक्विटी शेयर 106,31,82,921 Equity Shares (Previous year 83,90,95,827) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	839,09,58		661,47,59	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	224,08,71	1063,18,29	177,61,99	839,09,58
प्रवत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	848,37,38		715,01,02	
₹10/- के 84,83,73,774 (गत वर्ष 71,50,10,200) ईक्विटी शेयर 84,83,73,774 (Previous year 71,50,10,200) Equity shares of ₹10/- each				
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	214,80,91		124,08,56	
₹10/- के 21,48,09,147 (गत वर्ष 12,40,85,627) ईक्विटी शेयर 21,48,09,147 (Previous year 12,40,85,627) Equity Shares of ₹10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due		1063,18,29		839,09,58
		1063,18,29		839,09,58
बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non Cumulative Preference Shares				
केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर 5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- each held by Central Government			588,00,00	588,00,00
जोड़ TOTAL		1063,18,29		1427,09,58

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1126,51,20		1022,87,35	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	116,15,66	1242,66,86	103,63,85	1126,51,20
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	152,66,96		139,80,54	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	35,39,06		12,86,42	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		188,06,02		152,66,96
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1884,52,03		1262,14,02	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	763,91,29	2648,43,32	622,38,01	1884,52,03
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1372,17,69		1208,47,76	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	35,63,47		163,69,93	

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	— 1407,81,16	— 1372,17,69
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	318,00,00	243,00,00
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	50,00,00	75,00,00
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	— 368,00,00	— 318,00,00
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1065,57,63	1120,25,71
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—	—
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	49,43,86 1016,13,77	54,68,08 1065,57,63
घ) निवेश आरक्षित खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	27,50,09	16,11,47
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	14,60,25	11,38,62
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	— 42,10,34	— 27,50,09
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	146,41,60 146,41,60	35,63,47 35,63,47
जोड़ TOTAL	7059,63,08	5982,59,07

अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
क A. I. मांग जमा राशियां DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से From Banks	476,71,75	159,28,23
ii) अन्यो से From others	10928,18,51 11404,90,26	10513,46,80 10672,75,03
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS	33889,76,54	31245,77,89
III. मीमादी जमा राशियां TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से From Banks	1443,29,92	460,33,19
ii) अन्यो से From others	75372,30,69 76815,60,61	74414,74,11 74875,07,30
जोड़ TOTAL (I, II & III)	122110,27,41	116793,60,22
ख B. (i) भारत में सहायक कंपनियों की जमा राशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any	—	—
(ii) भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमा राशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any	—	—
(iii) मूल कंपनी की जमा राशियां Deposits of Parent	122110,27,41	116793,60,22
जोड़ TOTAL (i, ii & iii)	122110,27,41	116793,60,22
ग.C. (i) मूल कंपनी की भारत में जमा राशियां Deposits of parent in India	122110,27,41	116793,60,22
(ii) भारत में सहायक कंपनियों की जमा राशियां Deposits of subsidiaries in India	—	—
(iii) भारत में कुल जमा राशियां Total Deposits in India (i + ii)	122110,27,41	116793,60,22
(iv) मूल कंपनी की भारत से बाहर जमा राशियां Deposits of parent outside India	—	—
(v) सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमा राशियां Deposits of subsidiaries outside India	—	—
(vi) भारत से बाहर कुल जमा राशियां Total Deposits outside India (iv + v)	—	—
जोड़ TOTAL (C iii + C vi)	122110,27,41	116793,60,22

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	2490,00,00		2664,00,00	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	300,00,00		—	
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	3225,69,36		2441,13,28	
iv) डिबेंचर Debenture	—		—	
v) अन्य उधारियां Other Borrowings				
क) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1295,00,00		295,00,00	
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00		1250,00,00	
ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	1555,00,00		1555,00,00	
घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	1000,00,00	11115,69,36	—	8205,13,28
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	11,03,09		121,34,07	
जोड़ TOTAL (I & II)	11126,72,45		8326,47,35	
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	2490,00,00		2244,00,00	

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable	435,65,30		431,13,16	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
a मूल कंपनी Parent	92,57,44		133,68,80	
b सहायक कंपनी Subsidiary	—		—	
III. अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)	—		—	
IV. उपचित ब्याज Interest Accrued	482,67,89		441,31,36	
V. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	691,78,36		574,03,54	
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	3010,43,98	3702,22,34	2250,48,19	2824,51,73
जोड़ TOTAL	4713,12,74		3830,65,05	

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)	815,29,72	608,45,44
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	5837,45,33	5382,93,38
ii) अन्य खातों में In other Accounts	— 5837,45,33	— 5382,93,38
जोड़ TOTAL (I & II)	6652,75,05	5991,38,82

अनुसूची - 7 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. भारत में In India		
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in		
(क) चालू खातों में		
(a) Current Accounts	31,10,49	33,17,90
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) Other Deposit Accounts	15,18,56 46,29,05	15,18,56 48,36,46
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास		
(a) With Banks	—	—
(ख) अन्य संस्थों के पास		
(b) With Other Institutions	— —	— —
जोड़ TOTAL (i & ii)	46,29,05	48,36,46
II. भारत के बाहर Outside India		
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in		
(क) चालू खातों में		
(a) Current Accounts	—	—
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) Other Deposit Accounts	54,13,42	62,61,48
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
(c) Money at Call & Short Notice	— 54,13,42	— 62,61,48
जोड़ TOTAL	54,13,42	62,61,48
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)	100,42,47	110,97,94

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. भारत में निवेश Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)		
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	29364,32,62	30414,08,56
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
b) Other approved securities		
ग) शेयर्स		
c) Shares	176,61,05	179,26,98
घ) डिबेंचर्स और बांड		
d) Debentures and Bonds	1715,22,86	1572,11,30
इ) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822)		
e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)	126,94,10	113,30,76
च) अन्य		
f) Others		
i) यू.टी.आई.य / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	98,63,01	71,56,96
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	1195,90,91	622,79,52
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	141,12,24	32,38,15
iv) पीटीसी PTCs	—	1,29,86
v) आरआईडीएफ व अन्य R I D F & Others	3949,78,54	5385,44,70
जोड़ TOTAL	36768,55,33	37289,71,23
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)	—	—
ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	—	—
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)	—	—
जोड़ TOTAL	—	—
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	36768,55,33	37289,71,23
III भारत में सकल निवेश Investments in India		
i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	36822,77,86	37355,99,77
ii) मूल्य-हास हेतु प्रावधानों का जोड़ Aggregate of Provisions for Depreciation	54,22,53	66,28,54
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)	36768,55,33	37289,71,23
निवेशों के विवरण Details of Investments:		
i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	126,94,10	113,30,76
ii) अन्य निवेश Other Investments	36641,61,23	37176,40,47
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)	36768,55,33	37289,71,23

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
क. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल A. i) Bills purchased and discounted	1217,53,78	1672,07,77
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	35824,97,69	31085,67,38
iii) मीयादी ऋण iii) Term Loans	61556,58,51	56162,64,75
iv) प्राप्य लीज iv) Lease Receivable	— 98599,09,98	— 88920,39,90
जोड़ TOTAL	98599,09,98	88920,39,90
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	88092,63,30	77981,82,28
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	46,46,07	33,45
iii) असंरक्षित Unsecured	10460,00,61 98599,09,98	10938,24,17 88920,39,90
जोड़ TOTAL	98599,09,98	88920,39,90
ग. I. भारत में अग्रिम C. Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	34266,36,76	31722,21,06
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	9884,93,40	12668,95,59
iii) बैंक Banks	4,22,00	216,36,71
iv) अन्य Others	54443,57,82 98599,09,98	44312,86,54 88920,39,90
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		
i) बैंकों से देय Due from banks	—	—
ii) अन्यो से देय Due from others	—	—
iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	—	—
iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	—	—
v) अन्य Others	—	—
जोड़ TOTAL (C.I & C.II)	98599,09,98	88920,39,90

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. परिसर* Premises *		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1325,58,73	1322,03,60
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	9,80,58	3,55,13
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	—	—
	1335,39,31	1325,58,73
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	—	—
	1335,39,31	1325,58,73
5. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	221,00,51 1114,38,80	165,97,40 1159,61,33

II. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)			
1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	991,61,72	842,46,00	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	144,98,88	175,01,45	
	1136,60,60	1017,47,45	
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	23,20,71	25,85,73	
	1113,39,89	991,61,72	
4. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	795,57,99	705,19,08	286,42,64
जोड़ TOTAL (I & II)	1432,20,70	1446,03,97	

इसमें "कार्य प्रगति पर" पूंजी रु. शून्य शामिल है (गत वर्ष रु. शून्य) *Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
क a. मूल प्रतिष्ठान Parent	—	—
ख b. सहायक प्रतिष्ठान Subsidiaries	—	—
II उपचित ब्याज Interest accrued	909,70,98	910,04,51
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	990,83,01	835,31,77
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	4,54,24	5,06,00
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. अन्य * Others *	614,82,21	851,47,13
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	2519,90,44	2601,89,41

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.

*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2014 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1381,03,20	1221,82,25
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	17374,16,51	13559,63,81
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	6850,53,84	6138,60,38
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	1855,07,94	1615,16,23
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	3392,39,15	2584,61,74
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है. Other items for which Bank is contingently liable	152,66,20	—
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	31005,86,84	25119,84,41

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज

SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	9820,77,70	9187,15,19
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2807,38,34	2591,28,40
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	55,88,51	48,23,05
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	57,07,07	150,62,78
IV अन्य Others	36,11,81	75,84,42
जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)	12665,46,41	11956,67,74

अनुसूची - 14 : अन्य आय

SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	593,17,34	544,81,73
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	207,93,57	121,32,50
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	2,16,02	18,38,03
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	—	—
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	—	—
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	55,37	58,72
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	65,55	79,52
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	75,12,05	73,48,41
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	—	21
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	2,97,30	3,20,43
VII. विविध आय Miscellaneous Income	129,73,36	170,68,77
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)	1006,67,42	894,92,80

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	8084,06,02	7696,51,23
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	79,92,07	107,92,56
III. अन्य Others	625,74,79	642,75,59
जोड़ TOTAL (I, II & III)	8789,72,88	8447,19,38

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Current Year)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2014 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1634,06,07	1596,63,39
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	171,52,21	162,18,31
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	21,59,04	23,08,00
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	18,46,73	15,15,39
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य-हास (मूल्य-हास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षित को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	115,29,05	99,99,14
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	63,47	1,05,31
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	18,80,67	18,00,24
VIII. विधि प्रभार Law Charges	11,47,81	9,64,47
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	36,06,21	34,31,82
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	72,89,83	68,98,55
XI. बीमा Insurance	116,83,79	105,30,27
XII. अन्य व्यय Other expenditure	309,22,73	263,38,36
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	2526,87,60	2397,73,25

अनुसूची 17

लेखा नीतियां और खातों पर टिप्पणियां

(31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ
संलग्न और उसका भाग)

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है.
- 1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.
- 1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.
- 1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2015 के अनुसार बनाये गये हैं.

2. समेकन के सिद्धांत

- क) **मूल इकाई** : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं.
- ख) **संबद्ध इकाई** : लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दि. महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटिव एण्ड ट्रस्टी कं.प्रा. लि. (इसके बाद "मेटको" के रूप में संदर्भित)	भारत	संपूर्ण स्वामित्व का सहायक प्रतिष्ठान	100%

लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इविट्टी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहयोगी उद्यम	35%

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015.)

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The accompanying consolidated financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.
- 1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 1.6 The financial statements of the Subsidiary and Associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2015.

2. Principles of Consolidation:

A) Parent Entity:

The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी मदों को लाइन-दर-लाइन आधार पर आपस में जोड़कर समेकित किया गया है। अपनी सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के दिनांक को, मूल कंपनी के समानुपातिक निवेश की लागत के आधिक्य को साख माना गया है। जबकि इक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान के हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है।

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को इक्विटी पद्धति आधार पर एकत्र किया गया है। सहायक प्रतिष्ठान में **रखाव लागत** के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में साख माना गया है।

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान व्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फिमडा - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” और हानि के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” को प्रभावित किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटीयों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छः भागों में वर्गीकृत की गई हैं :

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

5. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances / transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by FIMMDA - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to “Other Assets” in case of gain or to “Other Liabilities” in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

i. Investments are classified in following categories:

a. Held to maturity

b. Available for sale

c. Held for trading

ii. All the securities are classified in the following six baskets::

a. Government Securities

b. Other approved securities

c. Shares

- घ. डिबेंचर तथा बांड
ड. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) इत्यादि)

iii. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। “व्यापार हेतु धारित” से “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यहास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। “व्यापार के लिए धारित” श्रेणी से निवेशों का “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढ़ाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

iv. रेपो/रिवर्स रेपो :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट एकरूप लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

v. निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

- परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को **रखाव लागत** पर मूल्यांकित किया गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षित से निवल करके आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभाषित किया गया है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन “स्थिर आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ” (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है। अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात् तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है।

बटुगत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है। म्यूचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में

- Debentures and bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Fund etc).

iii. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting the depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional..

iv. REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

v. Valuation of investments

a. Held to Maturity:

- Securities under the category ‘Held to Maturity’ are valued at average cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.
- In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
- On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and proportionate statutory reserve is appropriated to the ‘Capital Reserve account’; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e Balance sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹1/- per company / Scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in

आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्य वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यहास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है।
- जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

- इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन फिमडा द्वारा घोषित बा. जार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाज़ार दरों से किया गया है।
- बट्टागत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाज़ार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।
- निवल श्रेणीवार मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यहास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है। यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
- निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है

ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है।

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यन :

- हेजिंग स्वैप** : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बा. जार हेतु चिन्हित (मार्कड टू मार्केट) नहीं है
- ट्रेडिंग स्वैप** : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्कड टू मार्केट) है

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- हेजिंग स्वैप** : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
- ट्रेडिंग स्वैप** : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- If it results in appreciation, the same is ignored.
- If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
- The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
- Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.
- Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account

d. The non-performing investments are identified and depreciation/provision are made as per RBI guidelines.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

- Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

- Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) **स्वैप निरसन पर आय या लाभ का लेखा**

- क) **हेजिंग स्वैप** : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ख) **ट्रेडिंग स्वैप** : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

5. **अग्रिम :**

- 5.1 दर्शाए गए अग्रिम बढ़ते खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं।
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा. रि. बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 5.3 मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोड़कर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
- 5.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है।
- 5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। बशर्ते कि अनर्जक आस्तियों की बिक्री हेतु अतिरिक्त प्रावधान, यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक हो, को उस वित्तीय वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया जाए, जिसमें राशियां प्राप्त हुई हों, जब प्राप्त राशि (आरंभिक बिक्री और/अथवा एसआर/पीटीसी के उन्मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो, बशर्ते कि अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक किया गया हो, जहां तक आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक राशि प्राप्त हुई हो।

6. **स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:**

- 6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यंकित राशि का उल्लेख किया गया है।
- 6.2 पुनर्मूल्यंकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 6.3, और 6.4, को छोड़कर) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पद्धति से निम्नानुसार दरों पर किया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यंकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी शेष अवधि के आधार पर उच्च मूल्यह्रास किया गया है।

क्रमांक	आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)
1	भवन एवं परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	18.10
3	विद्युत उपकरण	13.91
4	कार्यालय मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट बॉल्ट	13.91
7	सायकिल	20.00

- 6.3 कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए। कंप्यूटरों में साफ्टवेयर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं।
- 6.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के मामले में पूरे वर्ष के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

(iii) **Accounting of gain or loss on termination of swaps:**

- (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. **Advances:**

- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision on restructured advances and rediscounts.
- 5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 5.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is charged to Profit & Loss Account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit / loss on account of sale of other financial assets provided the excess provision on sale of NPAs, if the sale value is for a value higher than the NBV, shall be reversed to the Profit & Loss A/c in the financial year in which amounts are received when the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of SRs / PTCs) is higher than the net book value (NBV) of the asset provided reversal of excess provision shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. **Fixed Assets and Depreciation:**

- 6.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 6.3 and 6.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

- 6.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.
- 6.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.

6.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत से अधिक मूल्यांकित राशि से संबंधित मूल्यहास का प्रावधान परिच्छेद 6.2 में दिए अनुसार और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की तुलना में समायोजन के अनुसार स्थिर आस्तियों की शेष अवधि हेतु हासमान शेष पद्धति से किया गया है. पूर्णतः मूल्यहासित परिसंपत्तियों पर पुनर्मूल्यांकित आरक्षित का ऋण परिशोधन उसकी शेष अवधि के आधार पर अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार किया गया है.

6.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति से पट्टा अवधि में किया जाता है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.7 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यहास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है. इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं. बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यहास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई. आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए हासमान शेष पद्धति से मूल्यहास लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
- ख. कमीशन अर्थात् गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉ कर किराए से आय.
- ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे.
- ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.
- च. प्रोसेसिंग शुल्क.
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.
- ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाशायियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28-आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

10 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबद्धता के लिए प्रावधान करता है. यह संभावित है कि जब प्रतिबद्धता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया

6.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 6.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.

6.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

In case of the subsidiary:

6.7 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the Written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
- b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- "Impairment of Assets" issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of

जा सकता हो और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो.

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित), अग्रिमों और आकस्मिकताओं/अन्य के लिए प्रावधान शामिल हैं.

12. आयकर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब दूसरी अपील (अर्थात आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा) में मांग को उचित ठहराया गया.

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशी का जोड़ हैं.

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एस-20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां (कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सीबीएस कार्यान्वयन परियोजना लागत के अपने हिस्से के लिए टीयर II पूँजी के रूप में बेमीयादी बांडों में अंशदान के द्वारा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) को ₹ 1.82 करोड़ की राशि जारी की।
2. **निवेश:**
बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः “परिपक्वता तक धारित”, “बिक्री हेतु उपलब्ध” और “विपणन हेतु धारित” में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।
3. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:
 - 3.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मर्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन चूंकि आय/व्यय की पूर्व अवधि मर्दे वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/लेखाबद्ध किया गया है।
 - 3.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण
उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मर्दों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है।
4. **अचल संपत्ति**
 - 4.1 पुनर्मूल्यित संपत्ति पर वर्तमान वर्ष के ₹ 49.44 करोड़ (₹ 54.68 करोड़) राशि के मूल्य-हास को पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया।
 - 4.2 4(4) के संबंध में पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों के स्वत्व विलेख जिनकी लागत ₹ 6.54 करोड़ (₹ 6.54 करोड़) है, काफी समय से लंबित विधि विवादों/औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं।
5. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - “कर्मचारी लाभ” (मूल बैंक)
क. परिभाषित अंशदान योजना : (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
भविष्य निधि	0.25	0.28

ख परिभाषित अनुलाभ योजना :

- (क) **पेंशन योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।
- (ख) **उपदान योजना** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।
- (ग) **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति** - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह निधिगत योजना है।

SCHEDULE-18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. During the current financial year, the bank has released ₹ 1.82 crore to Maharashtra Gramin Bank (MGB) under Financial Inclusion Technology Fund (FITL) by way of subscription in Perpetual bond as Tier II capital towards its share of CBS implementation project cost.
2. **Investments:**
The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.
3. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:
 - 3.1 **Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss** for the period, prior period items and changes in accounting policies.
As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.
 - 3.2 **Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**
As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.
4. **Fixed Assets**
 - 4.1 Depreciation for the current year amounting to ₹ 49.44 crore (₹54.68crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.
 - 4.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹6.54 crore (₹6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain long pending legal disputes / formalities.
5. **Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- “Employee Benefits” (Parent Bank)**
- A. **Defined Contribution Plans:**

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Provident Fund	0.25	0.28

B. **Defined Benefit Plans:**

- a) **Pension Plan**- This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b) **Gratuity Plan**- This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company’s Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c) **Leave Encashment/ Compensated Absences**-This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : Change in the Present value of Defined Benefit Obligations: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	3216.27	2772.84	506.05	483.29	235.24	208.92
2	ब्याज लागत Interest Cost	247.45	226.87	36.97	37.74	17.68	16.79
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	454.02	457.90	26.79	27.56	35.67	32.36
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(246.19)	(207.40)	(87.87)	(78.57)	(28.40)	(22.66)
6	वर्ष हेतु बीमाकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/ Losses for the year	58.29	(33.94)	13.45	36.03	14.87	(0.17)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	3729.84	3216.27	495.39	506.05	275.06	235.24

II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन : Change in the Fair Value of Plan Assets: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	3115.90	2541.49	453.68	383.56
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	293.83	232.29	34.39	34.52
3	दिया गया अंशदान Contributions made	481.05	534.60	85.74	119.88
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(246.19)	(207.40)	(87.87)	(78.57)
5	बीमाकिक लाभ / (हानि) Actuarial gains/(Losses)	32.01	14.92	3.18	(5.71)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	3676.60	3115.90	489.12	453.68

III. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि : Amount recognized in the Balance Sheet: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैर निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	3729.84	3216.27	495.39	506.05	4225.23	3722.32	275.06	235.24
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(3676.60)	(3115.90)	(489.12)	(453.68)	(4165.72)	(3569.58)	(0.00)	(0.00)
3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	53.24	100.37	6.27	52.37	59.51	152.74	275.06	235.24

4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	53.24	100.37	6.27	52.37	59.51	152.74	275.06	235.24

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि : Amount recognized in the Profit & Loss Account: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	454.02	457.90	26.79	27.56	35.67	32.36
2	ब्याज लागत Interest Cost	247.45	226.87	36.97	37.74	17.68	16.79
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(293.83)	(232.29)	(34.39)	(34.52)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	26.27	(48.86)	10.27	41.74	14.87	(0.17)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	433.92	403.62	39.64	72.52	68.22	48.98
7	पेंशन योजना के पुनः आरंभ होने तथा 2010-11 में अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र. बीसी 80/21.04.018/2010-11 द्वारा उपदान सीमा में वृद्धि के कारण बड़े हुए दायित्व अग्रणीत Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. DBOD.No.BC.80/21.04.018/2010-11 in 2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दूसरा विकल्प देने वालों द्वारा पेंशन निधि में निधि सीधे वापस Fund refunded by 2 nd Optee directly to Pension Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	(37.87)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	433.92	365.75	39.64	72.52	68.22	48.98

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	100.37	269.22	52.37	99.73	235.24	208.92
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	433.92	365.75	39.64	72.52	68.22	48.98
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(481.05)	(534.60)	(85.74)	(119.88)	(28.40)	(22.66)
4	अंतिम निवल देयता Closing Net Liability	53.24	100.37	6.27	52.37	275.06	235.24

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	293.83	232.29	34.39	34.52
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	32.01	14.92	3.18	(41.74)
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	325.84	247.21	37.57	(7.22)

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	बट्टा दर Discount rate	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	9.43%	9.14%	7.58%	9.00%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

3. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ :

(₹ करोड़ में)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2015	31.03.2014
1	पुनर्वास भत्ता	0.26	0.01
2	छुट्टी किराया रियायत	10.16	21.82
3	रजत जयंती अवार्ड	0.11	0.17
	कुल	10.53	22.00

C. Other Long Term Benefits:

(₹ In Crore)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2015	31.03.2014
1	Resettlement Allowance	0.26	0.01
2	Leave Fare Concession	10.16	21.82
3	Silver Jubilee Award	0.11	0.17
	Total	10.53	22.00

घ. अपरिशोधित पेंशन व उपदान देयता

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 9 फ़रवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु उपदान की सीमा में वृद्धि और विद्यमान कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से देने से संबंधित अपरिशोधित रकम रुपये ₹ 102.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है (कुल अपरिशोधित दायित्व रु.512.38 करोड़ की राशि का 1/5 अंश अर्थात ₹ 102.48 करोड़).

31.03.2015 को विद्यमान कर्मचारियों हेतु उपदान सीमा में वृद्धि व पेंशन विकल्प फिर से देने से संबंधित अपरिशोधित देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

पेंशन योजना		उपदान योजना		कुल	
31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
शून्य	75.05	शून्य	27.43	शून्य	102.48

D. Unamortized Pension and Gratuity Liability

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD. No. BP. BC. 80 / 21. 04. 018 / 2010-11 dated February 9, 2011, balance provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2015 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 crore i.e ₹ 102.48 crore).

The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2015 is as under:

(₹ In Crore)

PENSION PLANS		GRATUITY PLANS		TOTAL	
31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Nil	75.05	Nil	27.43	Nil	102.48

6. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking operations		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व Revenue	3154.35	2994.00	6555.92	6257.72	3864.19	3514.05	111.31	98.27	13685.77	12864.04
परिणाम Result	260.22	15.88	409.57	241.80	82.69	450.09	74.98	53.32	827.46	761.09
अ-आबंटित खर्च Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालनगत लाभ Operating profit									827.46	761.09
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									362.83	362.48
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									464.63	398.61
आस्तियां Segment assets	37451.69	38012.50	60680.26	55967.61	40320.86	35137.12	6682.92	6494.35	145135.73	135611.58
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									937.21	748.83
खंड देयताएं Total assets									146072.94	136360.41
खंड आस्तियां Segment liabilities	36784.11	37327.38	55640.23	52427.65	36764.10	32715.89	8659.63	6479.81	137848.07	128950.72
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									102.06	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									8122.81	7409.69
कुल देयताएं Total liabilities									146072.94	136360.41

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

- कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
- किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं हैं, और
- एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है।

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

ड) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

- Total average annual turnover is less than ₹ 50.00 Crore and
- No aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
- The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

7. लेखा मानक 18- संबंध पक्ष प्रकटन: इस संबंधी ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

- 1) श्री सुशील मुहनोंत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से)
- 2) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से)
- 3) श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार (₹. लाख में)

विवरण	31.03.15	31.03.14
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	54.93	61.39

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मद	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय अधिकारी
1	जमाराशि	26.00
2	प्रदत्त ब्याज	3.00

लेखा मानक 18 के परिच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पक्षों के प्रकटन की दृष्टि से बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित प्रकटन के संबंध में छूट देता है.

8. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय	₹ 4.64	₹ 4.73
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	₹ 46462.62	₹ 33669.36
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	₹ 10011.75	₹ 7111.12
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 4.64	₹ 4.73
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9. लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखा

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
आस्थगित कर आस्तियां		
1) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	78.20	80.41

7. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- (a) Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- (b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

- 1) Shri Sushil Muhnot Chairman & Managing Director (from 09.11.2013)
- 2) Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013)
- 3) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013)

(B) Transactions with Related parties (₹ in lakhs)

Particulars	31.03.15	31.03.14
Salary & Allowances (including perquisites)	54.93	61.39

(₹ in lakhs)

Sr. No	Items	Key management personnel
1	Deposits	26.00
2	Interest paid	3.00

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

8. Accounting Standard 20- Earning per Share

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Basic / Diluted E.P.S.	₹ 4.64	₹ 4.73
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (₹ in lakhs)	₹ 46462.62	₹ 33669.36
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	10011.75	7111.12
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	₹ 4.64	₹ 4.73
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Deferred Tax Assets		
1) On account of provisions for Employees benefits	78.20	80.41
2) Other Provisions where DTA is created	199.41	144.68

2) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	199.41	144.68
कुल	277.61	225.09
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	131.93	103.44
2) निवेश में ह्रास के कारण	194.30	195.64
3) अचल संपत्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	14.42	11.87
कुल	330.65	310.95
निवल आस्थगित कर आस्तियां	(-)53.04	(-)85.86

10. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

(1) आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि	3 वर्ष
परिशोधन दर	33.33%
परिशोधन पद्धति	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	15.99	3.72
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	34.80	21.92
वर्ष के दौरान परिशोधन	16.93	9.65
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	33.86	15.99

11. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक - 28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि स्थिर आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

13. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

14. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है।

15. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके।

Total	277.61	225.09
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	121.93	103.44
2) On account of Depreciation on Investment	194.30	195.64
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	14.42	11.87
Total	330.65	310.95
Net Deferred Tax Asset	(-)53.04	(-)85.86

10. Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years.
Amortization Rate	-	33.33 %
Amortization Method	-	Straight line at cost

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Software at the beginning of the year	15.99	3.72
Software acquired during the year	34.80	21.92
Amortization during the year	16.93	9.65
Net carrying amount at the end of the year	33.86	15.99

11. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

12. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

13. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

14. Other significant Notes on Accounts

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the Stand alone Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

15. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the Year Ended 31st March 2015

(₹ in Thousand)

Particulars	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities:		
आय Income		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	12665,46,41	11956,67,74
अन्य आय Other Income	1020,30,76	13685,77,17
घटाएँ: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions		
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	8789,72,88	8447,19,38
परिचालन व्यय Operating Expenses	2526,87,60	2397,73,25
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ Provisions & Contingencies	1904,54,07	13221,14,55
व्यय के उपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses	464,62,62	398,60,74
जोड़े: गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ Provisions & Contingencies	1904,54,07	1620,50,28
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	115,29,05	99,99,14
सहयोगी कंपनियों में आय/हानि का भाग Share of Earnings/Loss in associates	-13,63,34	-12,43,11
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	10,18	20,80
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	-	-
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	354,64,83	2360,94,79
	2825,57,41	2396,39,43
घटाएँ: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Less: Direct Taxes Paid (Net)	521,04,00	510,10,41
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	2304,53,41	1886,29,02
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियाँ Deposits	5316,67,19	22463,39,18
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियाँ Borrowings excluding Bond borrowings	800,25,10	-4551,01,47
अन्य देयताएँ व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-964,04,05	-1060,63,43
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	5152,88,24	16851,74,28
घटाएँ: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	-534,79,24	5819,26,99
अग्रिम Advances	9678,70,08	13449,62,11
अन्य आस्तियाँ Other Assets	-603,02,97	-357,79,50
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	8540,87,87	18911,09,60
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	-3387,99,63	-2059,35,32
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	-1083,46,22	-173,06,30
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	3,79,65	7,13,53
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-154,79,46	-178,56,58
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow Form Investing Activities	-150,99,81	-171,43,05

C. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Cash Flow From Financing Activities:		
i) गौण बांडो को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	2000,00,00	-
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-136,82,96	-202,11,95
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-23,25,42	-34,35,02
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-354,64,83	-289,51,58
v) शेयर प्रीमियम सहित ईक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares including share premium	400,00,00	799,99,98
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)	1885,26,79	274,01,43
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	(क+ख+ग) (A+B+C)	-70,47,92

(₹ in Thousand)

व्योरे Particulars	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By- वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	5991,38,82 110,97,94 6102,36,76	5265,29,20 907,55,48 6172,84,68
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balance with banks & money at call & Short notice	6652,75,05 100,42,47 6753,17,52	5991,38,82 110,97,94 6102,36,76
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	650,80,76	-70,47,92

आर. के गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R.K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
EXECUTIVE DIRECTOR

एस मुह्नोत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

वी रमेश प्रभु
सहायक महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
V RAMESH PRABHU
Asst. Gen. Manager, FM&A

एस एम मेथे
उप महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
S M METHE
Dy. Gen. Manager, FM&A

ए वाई शेडशाळे
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
A Y SHEDSHALE
General Manager, FM&A

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते जी. बसु एंड कंपनी
एफआरएन: 301174ई
सनदी लेखाकार
For G Basu & Co.
FRN: 301174E
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
एफआरएन: 318121ई
सनदी लेखाकार
For Singh Ray Mishra & Co.
FRN: 318121E
Chartered Accountants

कृते पारेख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए आर सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

सीए एस लाहिरी
CA S Lahiri
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :51717
Membership No:51717

सीए के के सिंह
CA K K Singh
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :052939
Membership No:052939

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :079236
Membership No:079236

सीए जे वी धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :37290
Membership No:37290

मेसर्स जी. बसु एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
3, चौरंगी अप्रोच
बसु हाऊस
कोलकाता 700 072

M/s. G. Basu & Co
Chartered Accountants,
3 Chowringhee Approach
Basu House, Ko kata - 700072

मेसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एस आर 31, अशोक मार्केट
स्टेशन स्क्वेअर
भुवनेश्वर 751 001

M/s. Singh Ray Mishra & Co
Chartered Accountants,
S R 31, Ashoka Market,
Station Square,
Bhubaneswar - 751001

मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
323 तीसरी मंजिल,
गणपति प्लाजा
जयपुर 302 001

M/s. Parakh & Co
Chartered Accountants,
323 Third Floor, Ganpati Plaza,
Jaipur - 302001

मेसर्स ए आर सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आनंद अपार्टमेंट
1180/2, शिवाजीनगर
पुणे 411005

M/s. A R Sulakhe & Co
Chartered Accountants,
Anand Apartments,
1180/2, Shivajinagar,
Pune - 411005

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2015 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में (क) बैंक के लेखा परीक्षित खाते जिसकी लेखा परीक्षा 4 (चार) संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है 31 मार्च, 2015 को बैंक की कुल आस्तियां ₹ 146018.79 करोड़ दर्शाई गई है तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष का कुल राजस्व ₹ 13671.42 करोड़, लाभ ₹ 450.69 करोड़ तथा निवल नकद प्रवाह ₹ 650.82 करोड़ रहा। एक सहयोग कंपनी एवं एक सहायक कंपनी के हाथों का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया तथा उनके वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2015 को कुल आस्तियों में समूह अंश ₹ 146072.94 करोड़, कुल राजस्व में समूह अंश ₹ 13685.77 करोड़, निवल नकद प्रवाह में समूह अंश की रकम ₹ 650.81 करोड़ रही। समूह की इकाईयां जिनके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियां - अनुसूची 18 में सूचीबद्ध किए गए हैं जो कि समूह के समेकित वित्तीय विवरण का अंश है।

2. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.3.2015 को रु 990.83 लाख की कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु रु 30.09 लाख का निवल लाभ दर्शाया गया है। साथ ही सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है, समूह के लाभ के हिस्से को ₹ 1363.34 लाख बताया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई। इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है।
3. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी : बैंक का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है तथा ये वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान तथा भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार जारी 'लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण' तथा 'लेखा मानक 23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखांकन' की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह का यथार्थपूर्ण एवं उचित ब्यौरा प्रदर्शित करते हैं। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत समूह के वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु संगत आंतरिक नियंत्रण का ढांचा तैयार करने, कार्यान्वित एवं देखभाल करना शामिल है तथा ये धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण वास्तविक गलतबयानी से मुक्त है।
4. **लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :** हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करना

AUDITORS' REPORT

To

The Board of Directors of Bank of Maharashtra,

Report on Consolidated Financial Statements.

1. we have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra, its subsidiary and an associate (the Group), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2015, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Incorporated in these consolidated financial statements are the: (a) audited accounts of the bank audited by 4(Four) Joint Auditors which reflect total assets of Rs. 146018.79 crore as at 31st March 2015, total revenue of Rs 13671.42 crore, profits of Rs 450.69 crore and net cash inflows amounting to Rs 650.82 crore for the year then ended; audited accounts of one subsidiary, one associate audited by other auditors whose financial statements reflects the group's share in total assets of Rs 146072.94 crore as at 31st March 2015, the group's share in the total revenue of Rs 13685.77 crore, the group's share in net cash inflows amounting to Rs. 650.81 crore. The entities of the group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 - Notes to Accounts - which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

2. We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statement reflect total asset of Rs.990.83 lacs as on 31st March 2015, and net profit of Rs.30.09 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of Rs. 1363.34 lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial statements have been furnished to us and our opinion is so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.
3. **Management's Responsibility for the Financial Statements:** The Management of the bank is responsible for the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21- Consolidated Financial Statements' and 'AS - 23 Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements of the Group that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
4. **Auditors' Responsibility:** Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं.

5. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है . जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है . ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है .

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण का पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार है.

6. हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व समूह की बहियों में दर्शाए गये अनुसार संलग्न किए गए वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित पाए गए हैं:
- क) 31 मार्च, 2015 को समूह की समेकित तुलन पत्र के व्यवहारों के मामले में,
- ख) समेकित लाभ हानि खाते के मामले में समूह का उसी दिनांक को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ, और
- ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी दिनांक को समाप्त वर्ष में समूह का नकदी प्रवाह.

7. मामलों का महत्व

हमारे अभिमत की अहंता के बिना हम आपका ध्यान तुलनपत्र की अनुसूची 18 के नोट 11 की ओर आकर्षित करते हैं जहां 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान ऋणों एवं अगिर्मों को खोज निकाला गया तथा उन्हें धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 अप्रैल 2015 के परिपत्र क्रमांक बी.पी.बी.सी. 83य21य04य048य2014-15 के अनुसरण में प्रावधान भरने की जानकारी की गई.

5. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the explanation given to us.

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, the attached financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) In the case of the Consolidated Balance Sheet of the state of the affairs of the Group as at 31st March 2015:
- b) In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Consolidated Profit of the Group for the year ended on that date: and
- c) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter:

Without qualifying, we draw attention to note 11 in Schedule 18 to the Balance Sheet where in respect of loans & advances detected and classified as fraud during the quarter ended March 31, 2015, provision is claimed to have been made in terms of circular of RBI No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 1, 2015.

कृते जी. बसु एंड कंपनी

एफआरएन: 301174ई
सनदी लेखाकार
For G Basu & Co.
FRN: 301174E
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी

एफआरएन: 318121ई
सनदी लेखाकार
For Singh Ray Mishra & Co.
FRN: 318121E
Chartered Accountants

कृते पारेख एंड कंपनी

एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए आर सुलाखे एंड कंपनी

एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

सीए एस लाहिडी

CA S Lahiri
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 51717
Membership No: 51717

सीए के के सिंह

CA K K Singh
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 052939
Membership No: 052939

सीए थलेंद्र शर्मा

CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 079236
Membership No: 079236

सीए जे वी धोंगडे

CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 37290
Membership No: 37290

स्थान : पुणे
दिनांक : 14 मई, 2015

Place : Pune
Date : 14th May, 2015



मूल – पारदर्शी – प्रतिबद्ध
Original - Transparent - Committed



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक